लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th S

LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
12-8-
Fumigated
On 3.2.84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
Go.C.(A.)
Date 16/11-

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

7 मई, 1970 / 17 वैशाख, 1890 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
v	प्रश्न संख्या 8015 में 'ग्रामों' के पश्चात् 'का' जोड़िये।
vi	प्रश्न संख्या 8832 में 'संयोग' के स्थान पर 'सहयोग' पढ़िये। और प्रश्न संख्या 8832 में 'Management' के पश्चात् 'of' जोड़िये।
x	प्रश्न संख्या 8871 में 'Occupied' बाद 'by' जोड़िये।
xix	पंक्ति 11 में 'प्रस्ताव' के स्थान पर 'प्रस्ताव' पढ़िये।
xix	नीचे से चौथी पंक्ति में 'श्री डी.एन.तिवारी 'Shri D.N. Tiwari' के पृष्ठ /pages 136-137 के स्थान पर 136 पढ़िये और उसके तत्काल पश्चात् एक पंक्ति 'श्री डा.आर.चव्हाण Shri D.R. Chavan' प्रश्न संख्या 136-137 पढ़िये।
	पंक्ति 22 में 'श्री चन्द्र गोयल' के स्थान पर 'श्री श्री चन्द गोयल' और पंक्ति 25 में 'ना.द.भण्डारे' पढ़िये।
29	प्रश्न संख्या 1489 में प्रश्न कर्ता सदस्य का नाम 'श्री देवकी नन्दन पाटोदिया' पढ़िये।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हि में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 53, बृहस्पतिवार, 7 मई, 1970/17 वैशाख, 1892 (शक)

No. 53, Thursday, May 7, 1970/Vaisakha 17, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
1471 मडंपम तथा अलेप्पी, कोचीन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का नया तरीका	New Method of Deep Sea Fishing at Mandapam and Allepy Cochin ...	1–5
1472 आंध्र प्रदेश में उर्वरकों के परिवहन में भ्रष्टाचार	Malpractices in Transportation of Fertilisers in Andhra Pradesh	5–14
1474 दिल्ली को-आपरेटिव टी हाउस लिमिटेड में कथित अनियमितताएं	Alleged irregularities in Delhi cooperative Tea House Limited	14–17
1475 चलचित्रों का प्रचार करने के माध्यमों का सेंसर करना	Censoring of Film Publicity Media... ...	17–18
1476 कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए मिल मालिकों से बकाया राशियों की वसूली	Recovery of dues from Employees to Employees, Provident Fund Scheme	18-20

अल्प–सूचना प्रश्न Short Notice Question

30 गंगानहर और भाखड़ा नहर को पानी उपलब्ध करना	Water supply to Gangnahar and Bhakra Canal	20–22

---

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1473 आकाशवाणी के प्रकाशनों में उर्दू लिपि की उपेक्षा	Urdu script Ignored in AIR Publications ...	22
1477 गन्ना विकास कार्यक्रम के बारे में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री का वक्तव्य	Statement of U. P. Agriculture Minister regarding sugarcane development programme	22–23
1478 भारतीय संगीत के प्रति केवल विदेशियों की प्रतिक्रिया को टेलीविजन में दिखाना	Only foreigners reacting to Indian Music Televised ...	23
1479 अखबारी कागज के कोटे सम्बन्धी नीति	Newsprint quota policy	23
1480 पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को पुनः वैद्य स्वामियों को दिलाने के लिये कार्यवाही	Illegal occupations of land in West Bengal and steps to restore land to legal owners	24-25
1481 चौथी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन तथा तार येवाएं	Telephone and Telegraph services in Rural Areas under Fourth Plan	25
1482 गन्ना, गुड़ और खांडसारी के मूल्यों में कमी के परिणाम स्वरूप उर्वरकों के मूल्य में कमी	Reduction in price of fertiliser consequent on fall in price of Sugarcane, Gur and Khandsari	25
1483 टेलीविजन के वणिज्यिक प्रयोग के बारे में सम्मेलन	Commercial T. V. Conference	26
1484 पी. पी. टेलीफोन कालों की दरों में वृद्धि	Increase in Rates of P. P. Telephone Calls...	26-27

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

1485	पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति भूमि रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में बंगाल कांग्रेस के महासचिव से ज्ञापन	Memorandum from General Secretary, Bangla Congress regarding fixing of Ceiling on individual land holding in West Bengal ...	27
1486	पूसा संस्थान, नई दिल्ली में बारानी खेती का परीक्षण	Dry farming expenditure at Pusa Institute, New Delhi	27–28
1487	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने का अधिकार	Right to strike by Central Government Servnats --	28
1488	चीनी की खपत	Consumption of Sugar ..	28–29
1489	आकाशवाणी द्वारा रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस के प्रसारणों का रिकार्ड किया जाना	Recording of Radio Peace and progress braodcast by AIR	29–30
1490	पश्चिमी बंगाल में बैनामी अरै निहित भूमि का भूमिहीन आदिवासियों और हरिजनों में वितरण	Distribution of Benami and Vested Land to Landless Tribals and Harijans in West Bengal	30
1491	सुपर बाजार को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में परिवर्तित करना	Conversion of Super Bazar into a Central Sector Scheme	30
1492	औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यकारी दल	Working Group of Social Security for Industrial Labour	31
1493	छोटे कस्बों तथा गांवों में डाक के वितरण में विलम्ब	Delay in Delivery of Dak in Small Towns and Villages	31

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

1494	भारतीय प्रसारण और टेलीविजन को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखने की वांछनीयता	Desirability of keeping Indian Broadcasting and T. V. free from foreign Influence ...	32
1495	सिंचाई कूप खोदने के हेतु भूमिगत जल का पता लगाने के सम्बन्ध में कृषकों की सहायता करने की व्यवस्था	Machinery to Assist Peasants in Locating Ground Water for Digging Irrigation Wells ...	32-33
1496	भारतीय फिल्मों के स्तर में सुधार	Improvement in the qualities of Indian Films	33
1497	सीरिया की चीनी मंडी का पाकिस्तान के हाथ में चला जाना	Seizure of Syrian Sugar Market by Pakistan ...	33
1498	विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से बड़े नगरों में दुग्धशाला परियोजनायें	Dairy projects in big cities in collaborating with World Food Programme	34
1499	कृषि फारमों तथा फलों के बागानों के मजदूरों को कर्मचारियों भविष्य निधि अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिये उनका सर्वेक्षण	Survey of Agriculture Farms and Fruit Orchards labour to bring them under purview of EPF Act	34–35
1500	भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता के अधिकारी द्वारा धोखा	Fraud by officials of food corporation of India, Calcutta	35–36
अ.ता. प्रश्न संख्या/U.S.Q. Nos.			
8807	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं पर अनाज की तस्करी	Smuggling of foodgrains on Borders of of Madhya Pradesh and Maharashtra ..	36
8808	आकाशवाणी में गन्दगी की स्थिति	Unhygienic conditions in AIR	36-37

8809	वनों पर व्यय में कमी	Short fall in Expenditure on forests... ...	37-38
8810	कुल वन क्षेत्र तथा उस पर व्यय	Total Forest Area and expenditure thereon..	38
8811	राष्ट्रीय कार्यक्रम का आकाशवाणी केन्द्रों से सीधा प्रशारण	Direct Broadcast of National Programme from AIR Stations ...	38-39
8812	खाद्यान्नों का रक्षित भंडार	Creation of buffer stock of foodgrains	39-40
8813	भूमि पर आधारित टेली-विजन तंत्र	Ground based T. V. Net work ...	40
8814	आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली के वाद्यों का मूल्य	Value of Musical Instruments at AIR ...	40-41
8015	आमों निर्जलीकरण (डीहाईड्रेशन)	Dehydration of Mangoes ..	41
8816	महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अच्छी किस्म के खाद्यान्न और तिल-हन खुरसानी की फसलें	High Breed varities of food crops and oilseed Khurasani in various districts of Maharashtra	42
8817	महाराष्ट्र के लिये निर्धा-रित चीनी का मूल्य	Sugar prices fixed for Maharashtra... ...	42-43
8818	महाराष्ट्र में नासिक जिले के आदिम जाति खंडों मे खेतों पर बन्ध बनाने के लिए राज सहायता	Subsidy for Agricultural Bunding in Tribal Blocks of Nasik district Maharashtra	43
8819	नासिक में कागज की लुगदी बनाने के कार-खाने	Paper Pulp Units at Nasik	43-44
8820	केन्द्रीय सरकार के उप-क्रमों में केन्द्रीय श्रम कानून लागू करना	Introduction of Central Labour Laws in Central Government Public Undertakings	44

8821 कूड़ा कर्कट से कार्बनिक (आर्गेनिक) खाद तैयार करने के लिए कारखाने स्थापित करना	Setting up of Factories for producing Organic Manure from Garbage	44–45
8822 धनबाद तथा आसनसोल क्षेत्रों में खान मालिकों द्वारा श्रम विधियों का उल्लंघन	Flouting of Labour Laws by Mine Owners in Dhanbad and Asansol areas	45
8823 इम्पेक्ट पब्लिकेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारियों के नाम	Names of Shareholders of Impact Publication (Pvt.) Ltd.	45-46
8824 कोलिन रोजर का भारतीय कम्पनी के साथ सहयोग	Collaboration of colin Rosser with Indian Company	46
8825 शिक्षाप्रद फिल्में	Educative films	46–47
8826 छोटी सिंचाई निगम की स्थापना	Establishment of minor irrigation corporation	47–48
8827 ग्राम बरवाला में श्री नाथू सिंह को दिल्ली प्रशासन द्वारा प्लाट का आवंटन	Allotment of plot to Shri Nathu Singh in Village Barwala by Delhi Administration	48
8828 भू सुधार विधियां	Land Reforms Laws	48-49
8830 ट्रैक्टर सहयोग करार	Tractor Collaboration Agreements	49
8831 विदेशी संयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors with Foreign Collaboration	49–51
8832 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों द्वारा भाग लेना	Workr's participation in Management Public Sector Undertakings	51
8833 चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा पशु चिकित्सा स्नातकों के लिये रोजगार	Employment of Agriculture and Veterinary Graduates under Fourth Plan ...	51–52

8834 राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की खान दुर्घटना में मारे गये मजदूर	Workers killed in mine accident in Bhilwara District, Rajasthan	52–53
8835 चीनी के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in price of sugar ...	53–54
8836 मछली चूर्ण उद्योग	Fish powder industry	54–55
8837 वनस्पति तथा चीनी की कृत्रिम कमी का निर्धन लोगों पर प्रभाव	Effect of artificial shortage of vanaspati and Sugar on poor people	55
8838 उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार कपास के पौधों के संरक्षण पर व्यय	Expenditure on plant protection of cotton as recommended by Hign Power Committee	55–56
8839 पी. एल- 480 गेहूं का आयात	PL 480 Wheat imports ... —	56
8840 केले के पेड लगाने के सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञ का परामर्श	Advice of foreign expert on cultivation of bananas	56–57
8841 राज्यों में सिंचाई वाला कुल क्षेत्र	Total irrigated area in states	57–58
8842 उठाऊ सिंचाई योजना के लिये सहायता देने के बारे में प्राथमिकता	Priority for assistance for lift Irriagation scheme	58
8843 केरल में तानियन-3 धान की नई किस्म का चयन	Selection of a new variety of paddy Tanian in Kerala	58
8844 तिलहन के उत्पादन में गिरावट	Fall in production of oilseeds	59-60
8845 पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार सुविधाओं में सुधार	Improvment in communication facilities in Hilly and Border areas	60–61

8846 गत पांच वर्षों से डाक तथा तार विभाग की 5 लाख रुपये की परियोजना का कार्य आरम्भ न होना — No-ncommissioning of Rs. 5 lakh project of P & T department for last five years ... 61

8847 भारत मे जनसंख्या में वृद्धि पर कोई नियंत्रण न होने के कारण वर्ष 1970 में अत्यधिक बेरोजगारी के बारे में श्री नवल एच० टाटा का भाषण — Speech by Shri Naval H. Tata regarding unemployment explosion in India in 1970 on account of unchecked population Growth ... 61–62

8848 दिल्ली में जिन पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगाया गया है दुकानों पर उनके फरों (मुलायम बालों वाली खालों) का प्रदर्शन — Display in shops in Delhi of furs of Animals whose killing is banned 62–63

8849 दिल्ली स्थित सरकारी विभागों में सीधे तथा अन्तर्कार्यालय टेलीफोनों का सर्वेक्षण — Survey of direct and internal Telephone connecton in Government Departments in Delhi 63

8850 दिल्ली प्रशासन द्वार नियुक्त रेस्तरां समिति का प्रतिवेदन — Report of Restaurant Committee apointed by Delhi Administration 63–64

8851 पंचाब को गांवों के विकास के लिये उनके सर्वेक्षण हेतु सहायता — Assistance to Punjab for Survey of Villages for their development 64

8852 भारतीय खाद्य निगम के एक इंजीनियर के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत — Complaint against an Engineer of FCI for accepting bribe 64–65

8853	कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक	Meeting of Central Advisory Committee for Agricultural Production	65–66
8854	आकाशवाणी के महा-निदेशक के कार्यालय की फाइल के भेदों आदि का बाहर के लोगों को पता चलना	Leakage of file of DG AIR	67
8855	दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्रों पर नियुक्त विद्यार्थी तथा गैर-विद्यार्थी लड़कियां	Students and non-student girls employed at D. M. S. Booths	67–68
8856	चौथी पंचवर्षीय योजना में हरयाणा में कृषि के विकास पर व्यय	Expenditure on development of agriculture in Haryana under Fourth Plan	68
8857	हिसार (हरियाणा) में बरानी खेती केन्द्रों की स्थापना	Setting up of dry farming centre in Hissar (Haryana)	68
8858	तिलहन का रक्षित भंडार बनाना	Creation of Buffer stock of oil seeds ...	68–69
8859	मध्य प्रदेश में गायों के लिये पशु पालन कार्यक्रम	Programme of animal husbandry for Cows in M. P.	69
8860	मध्य प्रदेश में होशंगाबाद तथा ईस्ट निमाड़ स्थित शाखा डाक घरों को उप–डाक घरों में बदलना	Conversion of branch post offices in Hoshangabad and East Nimar of Madhya Pradesh into Sub Post offices	69–70
8861	भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का मध्य प्रदेश में पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from Pak. after Indo-Pak. conflict in Madhya Pradesh	70

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

8862	बीज वर्धन फार्म	Seed multiplication farms	70
8863	मोटे अनाज, दालों तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तरीकों का अपनाया जाना	Adoption of scientific research and technique for increasiing production of coarse grain, pulses and commereial crops	70-71
8864	उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि	Increase in supply of foodgrains to U. P. ...	71
8865	देवनागरी लिपि में टेली-प्रिन्टरों का लगाया जाना तथा उनका उत्पादन	Installation of Teleprinters in Devanagari Script and their production	71-72
8866	चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कृषि के विकास की विशेष योजना	Special Scheme on Development of Agriculture in U. P. under Fourth Plan	72
8867	गुड़ का उत्पादन	Gur Production	73
8868	लखनऊ प्रतिरक्षा डिपो को घटिया किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of sub-standard foodgrains to Lucknow Defence Depot	73
8869	अस्पतालों को उद्योग के रूप में मानने के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court decision on Hospitals as an Industry	74
8870	कमी की स्थिति के कारण दरभंगा के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को राहत	Relief to P & T staff of Darbhanga due to Scarcity conditions	74
8871	दरभंगा डाक घर के कब्जे में इमारत तथा भूमि का अर्जन	Accusition of land and building occupied Darbhanga Post Office ...	74-75

8872 बोकारो स्टील सिटी टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को परि योजना/निर्माण भत्ता देने में विषमता — Disparity in payment of Project construction allowance to staff of Bokaro Steel City Telephone Exchange 75–76

8873 बोकारो स्टील सिटी अस्पताल से बोकारो स्थित डाक व तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें — Medical Facilities to P & T Staff at Bokaro from Bokaro Steel City Hospital ... 76

8874 कमला मार्केट रोजगार कार्यालय के माध्यम से रेलवे डाक सेवा, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधीक्षक के विभाग द्वारा की गई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के विरुद्ध जांच — Enquiry against Recruitment of class IV officers by Senior Superintendent's Division of R. M. S. New Delhi through Kamla Market Employment Exchance ... 76–77

8875 लोगों में बहादुरी की भावना पैदा करने के आकाशवाणी के कार्यक्रम — A. I. R. programmes for infusion of spirit of Bravery in people 77

8876 वाणिज्य संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की योजना — Scheme to decide minimum wages for employees in commercial establisbment ... 77–78

8877 खेती के आधुनिकीकरण सम्बन्धी समिति की सिफारिश — Recommendation of committee on Modernization of Farming 78

8878 कर्मचारियों की पदोन्नति — Staff Promotion 78

8879 मंत्रालय के कर्मचारियों की पदोन्नति — Promotion to staff in Ministry 79

8880 संचार विभाग में कार्य कर रहे अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा सहायक — L. D. C, UDC and Assistants working in Department of Communications — 79

8881 वर्ष 1968–69 में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के लिपिकों की पदोन्नति — Promotion of clerks in Ministry of information and Broadcasting during 1968-69 ... 80

8882 मध्य प्रदेश के उनहाल कस्बे में टेलीफोन की सुविधायें — Telephone facilities in Unhal town in Madhya Pradesh ... — 80–81

8883 राजस्थान में टेलीफोन केन्द्रों में इंजीनियरों की कमी — Shortage of Engineers in Telephone exchange in Rajasthan 81

8884 कोटा (राजस्थान) में पंचायत केन्द्रों को टेली-फोन सुविधायें — Telephone facilities for panchayat centres in Kota (Rajasthan) 81

8885 जयपुर से कोटा के बीच सीधी ट्रंक लाइन — Direct turnk line between Jaipur,-Kota ... 81

8886 चौथी योजना अवधि के अन्तर्गत स्थानिक मारी क्षेत्रों में नाशीकीट और फसल रोगों का उन्मू-लन करने के लिए योजना — Scheme for eradication of pests and crop diseases in Endemic areas under Fourth Plan Period 82

8887 विश्वव्यापी खाद्य सहायता कार्यों के सम्बन्ध में विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्तः सरकारी समिति में भारत का सुझाव — Suggestion made by India in Inter Governmental committee of world food programme regarding world wide food aid activities 82–83

8888 उद्योगों में दुर्घटना के कारण कर्मचारियों की मृत्यु तथा उनका घायल होना — Deaths and injuries to workers due to accidents in industries 83

8889	देश में दूध की मांग	Demand of milk in the country ... —	83–84
8890	वनस्पति की वार्षिक मांग तथा उत्पादन	Annual demand and productin of Vanaspati	84
8891	हिन्दी स्टेनोग्राफरों को अग्रिम वेतन वृद्धि देने से इंकार	Denial of Advance increments to Hindi Stenographers ...	84
8892	उत्तर बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा तथा मधुवन के नगरों के लिये ट्रंक काल प्राप्त करने में विलम्ब	Delay in gettting trunk calls to North Bihar Cities of Samastipur, Darbhanga and Madhubani	85
8893	भारत में प्रदर्शित रूसी चलचित्रों की संख्या	Number of Russian Films shown in India	85–86
8894	दिल्ली और मद्रास के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct dialing system between Delhi and Madras	86
8895	मध्य प्रदेश में सरकारी उपक्रमों पर केन्द्रीय श्रम कानूनों का लागू होना	Application of Central Labour Laws to public Undertakings in Madhya Pradesh	86–87
8896	कपास तथा तिलहनों का उत्पादन	Production of cotton and oil seeds	87–88
8897	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा रोटियां बनाने की मशीन उपहार में देना	Gift of chapatimaking machine by UNICEF	88
8898	डाक तथा तार विभाग की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Powers of P & T Department	88
8899	पूर्वी जर्मनी और बल्गेरिया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from East Germany and Bulgaria	89–90

8900 पश्चिम बंगाल में भूमि वितरण के लिए भूमि सुधार आयोग की स्थापना — Setting up land reforms commission in West Bengal for distribution of land 90

8901 पश्चिम बंगाल में आत्म निर्भरता के लिये धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत भूमि — Acreage under high Yielding variety of paddy for self sufficiency in West Bengal ... 90–91

8902 संयुक्त मोर्चा शासनकाल में पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्रों का लूटा जाना तथा उनका भूमिहीन किसानों में बांटा जाना — Looting of Fisheries in West Bengal and their Distribution to landless peasants cooperatives during united Front Rule 91–92

8903 पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ऋणों की अदायगी से छूट और उनको अन्य सुविधाएं देना — Remission of loans and other Benefits to flood affected areas of West Bengal ... 93

8904 कृषि में प्रयोग होने वाले ईधन के लिये राजसहायता — Subsidised Fuel for Agricultural use ... 93

8905 सेना के उपयोग के लिए दिल्ली से खरीदी गई दालें — Pulses purchased for Army use from Delhi... 94

8906 पंजाब में गन्ने का कम मूल्य मिलने के कारण सरकार द्वारा उसकी खरीद — Purchase of sugarcane crop in Punjab due to low returns 94–95

8907 संचार सेवाओं के प्रयोग में आने वाली मशीनों तथा उपकरणों का उत्पादन — Production of Machines and Equipment used in Communication Services 95

8908	राज्यों के लिये विपणन विकास कार्यक्रम हेतु अलग कार्यालय	Separate offices in States for Marketing Development programme	95
8909	समुद्रपारीय संचार में में प्रयुक्त समुद्र के नीचे डाले जाने वाले केबिलों के रखाव तथा उनको अपने अधिकार में लेना	Taking over ownership and Maintenance of Under Sea Cables used by overseas Communications	95–96
8910	प्रसारण के लिये विज्ञापन स्वीकार करने के बारे में नियम	Rules regarding advertisement for Broadcast	96
8911	भारत के लिये निर्धारित रेड़ियो फ्रीक्वेन्सी	Radio Frequencies allotted to India... ...	96
8912	जम्मू में उच्च शक्ति वाला मीडियम वेव ट्रांसमीटर	High power medium wave transmitter at Jammu	96–97
8913	नहरों का निर्माण करने कुए खोदने तथा नल-कूप लगाने के कार्य में प्रगति	Progress in constructing canals, sinking wells and tube wells	97
8914	ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों को निर्वाचन के धारा पर प्रतिनिधित्व देना	Elective Representation of Youth in rural areas	97–98
8915	सरकार द्वारा कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment by Government of Labour Welfare officers in Factories	98
8916	गाय, भैंस और दूधारू, पशुओं की संख्या में वृद्धि के लिये उपाय	Steps for increase in number of cattle Buffalos and Milch cow	98-100
8917	मनीला में वन एशिया एसेम्बली	One Asia Assembly in Manila	100

8918 पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों में अराजकता — Lawlessness amongst East Pakistan Refugees — 100

8919 उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चीनी की नई मिलों की स्थापना — Setting up of New sugar Mills in U. P. in Public Sector 101

8920 विष्णु शूगर मिल्स लिमिटेड गोपालगंज सारन, बिहार द्वारा चीनी का गलत श्रेणीकरण — Incorrect Gradation of Sugar by Vishnu Sugar Mills Limited, Gopal Ganj Saran, Bihar 101

8921 उप-मंडलीय तार तथा टेलीफोन विभाग, उदयपुर के विरुद्ध शिकायत — Complaint against sub-divisional Officer, Telephones, Udaipur 101–102

8922 अतिरिक्त विभागीय डाक सेवा में सेवानिवृत्त अधिकारियों को रखने पर रोक — Ban on continuance of retired officials in extra departmental postal service .. 102

8923 महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पोफाली गांव और उसके पास डाक, तार तथा टेलीफोन की सुविधाओं की कमी — Lack of post, telegrph and telephone facilities in and around village pophali in Yewatmal district, Maharashtra 102-103

8924 पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली, में प्लाटों का आवंटन — Allotment of plots in Kalkaji colony, New Delhi to displaced persons from East Pakistan 103-104

8925 कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकानों का निर्माण करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को अग्रिम धन देना — Grant of advance to Delhi development authority for construction of houses for displaced persons in Kalkaji Colony, New Delhi 104

8926	भूमि अर्जन के बारे में समान विधान बनाना	Legislation on Common Law of Acquision of Land	104–105
8927	मगलौर के नये डाकघर के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन	Land acquision for construction of new P & T office at Mangalore ...	105–106
8928	कृषि स्नातक	Agricultural graduates	106
8929	मद्रास से अन्य शहरों को सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था को लागू करना	Introduction of subscribers trunk Dialing system from Madras to other cities	106–107
8930	1969–70 में चीनी का उत्पादन	Sugar production during 1969–70	107–108
8931	अस्थायी सिनेमा घरों को चलाने के बारे में दिल्ली प्रशासन की नीति	Policy of Delhi Administration in Running Temporary Cinema Houses	108–109
8932	बिहार सर्किल के लिये टेलीफोन डायरेक्टरी	Telephone directory for Bihar Circle	109
8933	पशुओं पर परीक्षण	Experiments on Animals	110
8934	मासाब टैंक हैदराबाद में निष्क्रान्त सम्पत्ति संख्या 12 तथा 15	Evacuee property Nos. 12 and 15, Masab Tank Hyderabad	110–111
8935	संसद सदस्यों के लिये टेलीविजन सेट	T. V. Sets for M. Ps.	111–112
8936	आकाशवाणी पर पेय मद्य पदार्थों (एलकोहल) के बारे में विज्ञापन	Advertisements about Drinks (Alcohol) Over AIR	112–113
8937	जीव विज्ञान उत्पाद संस्थान, महऊ में पांव तथा मुंह के रोगों के टीके बनाना	Manufacture of Vaccine for foot and mouth diseases at institute of Biological products, Mhow	113

8938 दुग्ध चूर्ण के लिए मध्य प्रदेश द्वारा किया गया अनुरोध तथा उस राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता — Request from Madhya Pradesh of Milk Powder and per capita availability of Millk in M. P. ... 113–114

8939 मध्य प्रदेश में समन्वित पशुपालन कार्यक्रम की योजना — Scheme of coordinated Cattle Breeding Programme in Madhya Pradesh .. 114–115

8940 मध्य प्रदेश की विदेशी नस्ल के सांडों तथा गायों के लिये मांग — Request from Madhya Pradesh for Foreign Bred Bulls and Cows 115

8941 मध्य प्रदेश की रूसी मैरीनों तथा रैमबोंलेट नस्ल की भेडों की मांग — Demand from Madhya Pradesh for Russian Marino and ramboullet Sheep 115–116

8942 चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों में उठाऊ सिंचाई योजना में वृद्धि के लिये कार्यक्रम — Programme for increase in Lift Irrigation Scheme in States under Fourth Plan 116

8943 हिमाचल प्रदेश के लिये अलग पोस्टल सर्किल बनाना — Creation of Separate postal circle for Himachal Pradesh ... 11 6

8944 जनरल जोरावर सिंह की स्मृति में डाक टिकट — Commemorative stamps on General Zorawar Singh 116–11 7

8945 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बीड़ी उद्योग का सर्वेक्षण — Survey of Beedi Industry by EPF Organisation 117

8946 आकाशवाणी के आर्टिस्टों का कार्मिक संघ के अधिकार न देना — AIR Artistes not allowed Trade Union Rights 117–118

8947 बिहार डाक तथा तार सर्विस के मुअत्तिल कर्मचारी — Employees of P & T Circle, Bihar still under suspension 118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	118
अल्पसंख्यकों के पूर्वी पाकिस्तान से हाल ही में भारत आने का समाचार	Reported influx of minorities from East Pakistan to India	118-121
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	121
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Joint Committee on Commissions of Inquiry (Amendment) Bill	122
पैट्रोलियम (संशोधन) विधेयक	Petroleum (Amendment) Bill	122
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	122
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	122
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	123
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	123
श्री दा. रा. चव्हाण	Shri D. R. Chavan ...	124
खंड 2 से 16 तथा 1	Clauses 2 to 16 and 1	126–132
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	133
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	133
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	133–134
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	134–135
श्री बृज भूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal	135
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	135–136
श्री द्व० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	136–137
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (विद्यार्थियों द्वारा प्रबन्ध राय में भाग लेना) विधेयक	Central Universities (Students opinion Participation) Bill	137

विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक	Contingency fnnd of India (Amendment) Bill	137-140
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	137
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi ..	137–138
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	138
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	138–139
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	139
श्री एस. कंडप्पन	Shri S. Kandappan ...	140
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	140
श्री शिवचन्द झा	Shri Shiva Chandra Jha	140
खंड 2 और 1	Clause 2 and 1 ...	141–142
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, amended —	142
मद्य निशेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे प्रस्ताव	Motion Re. Report of study Team on Prohibition ...	143-154
श्री मनुभा पटेल	Shri Manubhai Patel	143–144
श्री पीलु मोडी	Shri Piloo Mody	146–147
श्री अ. सि. सहगल	Shri A. S. Saigal	147–148
श्री एस. कंडप्पन	Shri S. Kandappan ...	148–150
श्री चन्द गोयल	Shri Shrichand Goyal	150–151
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	151
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	151
रा. डो. भंडारे	Shri R. D. Bhandare	152
श्री के. रामानी	Shri K. Ramani	152–153
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav ...	153–154

लोक–सभा
LOK--SABHA

वृहस्पतिवार, 7 मई, 1970/17 वैशाख, 1892 (शक)
Thursday, May 7, 1970/Vaisakha 17, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मंडपम तथा अलेप्पी, कोचीन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का नया तरीका

*** 1471. श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडपम में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के एक नये तरीके का प्रयोग किया गया है और एक विशिष्ट प्रकार की मछली पाई गयी है जिसका मूल्य 2,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है और जिसे विदेशों में बहुत पसन्द किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रयोग केरल राज्य में अलेप्पी और कोचीन में किये गये हैं या किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना–साहेब शिन्दे) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां, । भारत–नार्वे परियोजना के एक पोत द्वारा मंडपम से दूर गहरे समुद्र में झींगा मछली पकड़ने के परीक्षण किए गए हैं । जमी हुए झींगा मछली की पूंछों तथा मांस से विदेशी मण्डियों में लगभग 20,000 रुपए प्रति मीटरी टन प्राप्त होते हैं न कि 2,000 रुपए ।

(ख) कन्या कुमारी से कन्नानोर तक गहरे जल में झींगा मछली पकड़ने के परीक्षण किए गए हैं । विशेषकर विवलन से दूर अच्छे स्थलों का पता चला है ।

(ग) परीक्षणात्मक कार्यक्रम में 100–200 फैदम की गहराई में मछवापोतों से क्रमबद्ध पद्धति से मछली पकड़ना शामिल है । अब तक किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि गहरे समुद्र की झींगा–मछली की नस्लें मोटे तौर पर एक सी गहराई पर पाई जाती हैं । इन गहराइयों में स्थित झींगा–मछली स्थलों से प्रति घन्टा 190 से 300 किलोग्राम मछली पकड़ी जाती है ।

श्री मंगलाथुमाडम : गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में हाल में एर्नाकुल में हुए सेमिनार में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे और सरकार ने उन निर्णयों पर क्या कार्य–वाही की है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी सेनिमार में स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं किया जा सकता, सेमिनार ने कुछ सिफारिशें की हैं और भारत सरकार उन सिफारिशों की जांच कर रही है, हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि सरकार उसकी सिफारिशों को सबसे अधिक महत्व देगी क्योंकि सेमिनार में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से सम्बन्धित सभी विशेषज्ञों ने भाग लिया था ।

श्री मंगलाथुमाडम : मछली पकड़ने, विशेषकर गहरें समुद्र में मछली पकड़ने सम्बधी सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में कोचीन में क्या सुधार किये गये हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मछली पकड़ने के लिए कोचीन में एक बन्दरगाह का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बहुत कुछ काम किया जा चुका है । यहां तक कि उसके बिना भी कुछ मत्स्यनौकायें कोचीन में अब चल रही हैं । कोचीन में मछली साधने की सुविधायें भी उपलब्ध हैं, जैसाकि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, कोचीन देश में एक ऐसा केन्द्र है जहां से संसार भर में बड़ी मात्रा में मछलियों का निर्यात किया जाता है ।

श्री एस० कन्डप्पन : विवरण से मुझे ऐसा पता चलता हैं कि जमी हुए झींगा मछली की पूछों तथा मांस की प्रति मीटरी टन से विदेशी मण्डियों में लगभग 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं न कि 2,000 रुपये । हम सब जानते हैं कि कुछ समय से मछली का निर्यात बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा की एक अच्छी राशि प्राप्त हो रही है, इसको दृष्टि में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के इस विशिष्ट कार्य में पर्याप्त सुधार करने की स्थिति में है, और यदि हां, तो उन्होंने क्या उपाय किये हैं । दूसरे, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने मंडपम स्थित अनुसंधान प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित करने तथा उसे किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हां, तो क्यों ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का विकास करने का सम्बन्ध है, सरकार के पास आगामी चार वर्षों के लिए बड़ी लम्बी चौड़ी योजनायें हैं, गहरे–समुद्र में लगभग 300 मत्स्यनौकायें काम पर लगाने का प्रस्ताव है और अधिक मछली वाले स्थलों का पता लगाने के लिए पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर आवश्यक सर्वेक्षण किया गया है। जहां तक किसी अनुसंधान केन्द्र को स्थानान्तरित करने का प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री एस० कन्डप्पन : यह संगत है, लगभग एक सप्ताह पूर्व मैंने इस प्रश्न के बारे में एक पूर्व सूचना दी थी कि क्या इस प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है, क्योंकि मैंने कुछ स्त्रोंतों से पता किया था कि ऐसा एक प्रस्ताव है, उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई, मंत्रालय ने लोक सभा सचिवालय के माध्यम से मुझे सूचना दी कि मेरा प्रश्न स्वीकार करना कठिन है, अब मंत्री महोदय कहते हैं कि अगर सूचना दी जायेगी तो वह इसे स्वीकार करने को तैयार हैं, ये दो परस्पर विरोधी वक्तव्य हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कई बार अल्प सूचना प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता लेकिन जब हम उन पर नियम लागू करते हैं तो हम कभी कभी उन्हें सामान्य सूची में रख देते हैं और वे स्वीकार हो जाते हैं, यह कोई बहुत असामान्य बात नहीं।

श्री एस० कन्डप्पन : कृषि मंत्रालय ने लोक सभा कार्यालय के माध्यम से मुझे यह सूचना दी थी कि मंत्रालय के लिए उनके प्रश्न को स्वीकार करना कठिन था, यही उत्तर मुझे मिला था। मैं उस टिप्पणी (नोट) को प्रस्तुत करने को तैयार हूं। लेकिन मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह सूचना (नोटिस) को स्वीकार करने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई दूर हो गई है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं जानना चाहती हूं कि पोलिश टीम की सिफारिशें क्या हैं। क्या उन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : उन विदेशों से जिनके हमारे साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं, अनेक टीमें हमारे देश का दौरा करती हैं और उनके सदस्य समय–समय पर सुझाव देते रहते हैं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि पौलिश टीम की सिफारिशें क्या हैं, मुझे इसकी जांच करनी होगी, इस समय वह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री पी० विश्वम्भरन : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि :

> "कन्या कुमारी से कन्नानोर तक गहरे जल में झींगा मछली पकड़ने के परीक्षण किए गए हैं, विशेषकर क्विलन से दूर अच्छे स्थलों का पता चला है।"

देश के समुद्र–तट का 10% तट केरल में है और देश में पकड़ी जाने वाली कुल मछलियों का 40 प्रतिशत यहां से प्राप्त होता है और समुद्री उत्पादों का 85% निर्यात केरल से किया जाता

है। केरल सरकार ने मछली पकड़ने के कार्य के विकास के लिये 20 वर्ष की 306 करोड़ रुपये के लागत की योजना प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई इस वृहद योजना के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दूसरे, कन्या कुमारी से कन्नानोर तट तक विशेषकर क्विलोन तट पर समुद्र जल में वाणिज्यक आधार पर झींगा मछली पकड़ने के कार्य के विकास के लिए भारत सरकार कौन से विशेष कदम उठा रही है ? मैं सोचता हूं नये परीक्षण किये जा रहे हैं मैं जानना चाहता हूं सरकार वाणिज्यिक आधार पर झींगा मछली पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और इसका वाणिज्यिक उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जैसा मैं कह चुका हूं, कि सरकार के पास गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में बड़ी लम्बी चौड़ी योजना है। आगामी चार वर्षों में 300 मत्स्यनौकायें उपलब्ध कराने की योजना है। हम स्वदेशी मत्स्यनौकायें तैयार करने में भी सफल रहे हैं और देशी निर्माताओं को 40 मत्स्यनौकाओं के लिए क्रयादेश दे दिये गये हैं। 30 मत्स्यनौकाओं का आयात करने की भी योजना है, इन स्थलों से मछली पकड़ने के लिए सरकार केवल सम्भावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे सकती है और सर्वेक्षण का उद्देश्य मछली वाले अच्छे स्थलों की जानकारी देना है ताकि मछली उद्योग से सम्बन्धित पार्टियां इसका लाभ उठा सकें। यहां तक कि केरल मत्स्य क्षेत्र निगम भी इसका लाभ उठा सकता है।

श्री लोबो प्रभु : हम इस समय गहरे समुद्र से केवल पांच प्रतिशत मछली पकड़ पा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय की इस बात को सुनकर प्रसन्न हूं कि इस बारे में एक बड़ी लम्बी योजना है और आगामी चार वर्षों में 300 मत्स्यनौकायें प्रयोग में लाये जाने की सम्भावना है, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि गत $1\frac{1}{2}$ वर्षों में मेरा जिला एक मत्स्यनौका की प्रतीक्षा करता रहा और जो मत्स्यनौका दी गई उसको चलाने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई और इसलिए, उसको उत्तरी कनारा के पास के जिले को दे दिया गया, इसलिये, मैं मन्त्री महोदय से पहले यह जानना चाहता हूं कि क्या 400 मत्स्यनौकायें तैयार की जा रही हैं अथवा आयात की जा रही हैं। दूसरे, वे कर्मचारियों को साथ साथ प्रशिक्षण देने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि बिना प्रशिक्षित कर्मचारियों के मत्स्यनौकाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैंने 300 मत्स्यनौकायें कहा था न कि 400/ मैं जानता हूं माननीय सदस्य ने काफी रुचि दिखाई है और वह मेरे साथ पत्र–व्यवहार भी कर रहे हैं। इन सब पहलुओं की जांच कर ली गई है कि प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था की जाय तथा किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा एक सेमिनार का निर्देश दिया गया था। इस सेमिनार में इन सभी समस्याओं पर विचार किया गया था, मुझे विश्वास है कि जो प्रबन्ध हमने किए हैं उनसे हम उन विकास कार्यों की आवश्यकताओं को अधिकांशतः पूरा करने की स्थिति में होंगे जिनको किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री क० नारायण राव : मछली के निर्यात की सम्भावनायें अच्छी हैं। आन्ध्र क्षेत्र में मछली के पर्याप्त भंडार हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र समुद्र तट में मत्स्य क्षेत्र विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई है। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने

केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव दिये हैं। यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात केरल के प्रश्न से किस प्रकार सम्बन्धित है ?

श्री प० गोपालन : मैं नहीं जानता कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि केरल में मत्स्य उद्योग को बहुत गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बाहर धकेला जा रहा है। टाटा को केरल में एक मत्स्य उद्योग स्थापित करने के बारे में पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, न केवल टाटा को बल्कि यूनियन कार्बाइड्स, जो कि एक विदेशी एकाधिकारी संस्था है और ड्यूपौंड आफ यू० एस० ए० की सहायक है, को केरल में दूसरा कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इसलिये, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है कि छोटे उद्यमियों को, जो कि इस उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी हैं, इस क्षेत्र से बाहर न निकला जाय और एकाधिकारियों को वहां समृद्ध होने अथवा बढ़ने की अनुमति न दी जाये।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में मेरी पूरी सहानुभूति है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रत्येक छोटा दल गहरे समुद्र में नहीं जा सकता क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि देश में यहां तक की गहरे समुद्र की 5 प्रतिशत मछलियों को भी नहीं पकड़ा जा रहा है। जहां तक समीप के क्षेत्रों का सम्बन्ध है हम उन क्षेत्रों को छोटे मछुओं के लिए आरक्षित कर सकते हैं और उनके हित की रक्षा की जा सकती है। लेकिन जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का सम्बन्ध है। हमें छोटी तथा बड़ी दोनों पार्टियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। गहरे समुद्र से इस धन को निकालने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध वांछनीय नहीं है। दूसरे देश हिन्द महासागर के संसाधनों से लाभ कमा रहे हैं।

श्री प० गोपालन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। सरकार इस क्षेत्र में कुछ पहल कदमी क्यों नहीं कर सकती और एकाधिकारियों को इस क्षेत्र में फलने-फूलने की अनुमति क्यों देती है ? यही मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं। अगला प्रश्न।

आन्ध्र प्रदेश में उर्वरकों के परिवहन में भ्रष्टाचार

1472. श्री रवि राय : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री शारदा नन्द : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में उर्वरकों के परिवहन में जिस भ्रष्टाचार का पता लगा है उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने के आदेश देने के बारे में उन्होंने विधि तथा गृह मन्त्री से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का आदेश देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . विधि तथा गृह मन्त्रालयों ने सलाह दी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच कार्य सौंपने से पहले राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये। राज्य सरकार से परामर्श करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, this is an important question. You know that a discussion was hold here on this subject on the 13th of the last month. The Hon. Minister says that the Ministries of Law and Home have agreed to entrust this matter to C. B. I., but the consent of the state Government has not yet been taken. I would like to know why the consent of the state Government has not been taken so far ? I want to draw your attention to the Report of the P. A. C. of the Andhra Pradesh Legislative Assembly in which it has been stated that

> "In view of what has been stated in the preceding paragraphs, the committee is of the view that the State Government as well as the Centre should make a thorough probe into the whole question in detail without any loss of time by entrusting it to the Central Bureau of Investigation or such other."

There is misappropriation of Rs. 3,77,00,000 and the Minister is involved in it. I would like to know from the Hon. Minister that 24 days have passed and how long will he take to get the consent of the state Government.

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : हम राज्य सरकार को पत्र लिख चुके हैं और आशा करते हैं कि राज्य सरकार यथासम्भव शीघ्र अपने विचारों से हमें अवगत करा देंगी। जहां तक मैं जानता हूँ, मैं नहीं सोचता कि बिलम्ब किया जा रहा है और मैंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि मैंने विधि तथा गृह-कार्य मंत्रालय से परामर्श करना है, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि राज्य सरकार की अनुमति परम आवश्यक है।

स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं माननीय सदस्य का ध्यान प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन (78वां प्रतिवेदन) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान कानून के अनुसार राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : तो, यह केवल अनुमति का प्रश्न है।

Shri Rabi Ray : The Government is intentionally delaying the matter. This is my charge against the Government because the minister of their party is involved in it. So I would like to know whether it has come to the notice of the hon. Minister.

Last time I have placed a memorandum of Shri Ratnasbhapati on the table of this House, and Shri Thimma Reddy has not refuted this memorandum while replying in the Andhra legislative Assembly. Shri Brahamanand Reddy appointed Shri E. V. Rama Reddy as special secretary to investigate in to this matter. May I know whether it is a

fact that the report of this special Secretary is against Shri Thimma Reddy ? If so, what are the contents of the report ? There is P. A. C. report against a Minister and a month has lapsed but you have not yet obtained the cosent of the state Government, it is stated that the Ministries of Law and Home have given their consent, but the state Government has not given their consent and the person is still enjoying Minister-ship against whom the Report has been made.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को दे दिया गया है ।

Mr. Speaker : Now, it is only aquestion of consent.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ ।

Shri Rabi Ray : Last time I placed the memorandum of Shri Ratna sabhapati on the table of the House. Mr. Speaker, with your permission, I want to place the reply given by Shri Thimma Reddy, in the Legislative Assembly, on the Table of the House. I will submit it to the secretary.

Mr. Speaker : You kindly submit it, I will see.

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं अपना प्रश्न बाद में पूंछूगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगले सदस्य आपके पीछे पहले ही खड़े हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू : जब राज्य सरकार मामले की पहिले ही जांच कर रही है तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिये हस्तक्षेप करना केन्द्रीय सरकार के लिए क्यों आवश्यक है ? मंत्री महोदय के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, इस मामले में, मंत्री महोदय ने गैर-सरकारी लोगों को उर्वरक आवंटित किया है, केवल गैर-सरकारी कम्पनियों ने यह गलती की है उन्होंने भंडार को बेचकर सरकार को धोखा दिया है, उनका परिवहन किये बिना, उन्होंने सरकार से यह राशि प्राप्त की हैं, अतः केवल गैर-सरकारी कम्पनी उत्तरदायी है । मंत्री महोदय किस प्रकार उत्तरदायी हो सकते हैं ? वे यहां नहीं हैं जिससे कि अपना बचाव करते ।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, kindly see what reply the hon. Member is giving. P. A. C. has given its report in this matter and I am not speaking of my own accord.

श्री चेंगलराया नायडू : मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं किया है, उर्वरकों के लिए मांग थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि वे अपना प्रश्न पूछें और किसी अन्य व्यक्ति का बचाव न करें ?

श्री चेंगलराया नायडू : मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं । जब आन्ध्र प्रदेश में उर्वरकों की भारी मांग थी और सहकारी समितियां उस मांग को पूरा करने में असमर्थ थी, उन्होंने कृषकों की सहायता के लिए उर्वरक भंडार गैर-सरकारी व्यक्तियों को आवंटित कर दिये थे । मैं जानता चाहता हूं क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने कृषकों की सहायता के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों को उर्वरक भंडार आवंटित किये थे और यदि हां, तो वह किस प्रकार से उत्तरदायी ठहरते हैं ।

Shri Rabi Ray : Private people and private companies-it is all false. I want to lay the required information on the table of the House.

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : गैर–सरकारी कम्पनियों ने अपनी सहायता स्वयं की थी ।

श्री चेंगलराया नायडू : गैर–सरकारी कम्पनियों को इसका परिवहन करना चाहिये था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिये, वे ही इसके लिए उत्तरदायी हैं न कि मन्त्री महोदय, जबकि राज्य सरकार ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और वे इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं तो केन्द्रीय सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है ?

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मैं मामले के गुणों की जांच करना चाहूंगा और मामले के तथ्यों के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा, विशेषकर, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है राज्य सरकार ने अपने आपराधिक जांच विभाग के द्वारा जांच करा ली है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि लोक लेखा समिति ने सुझाव दिया था कि शायद यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाय । अब हम राज्य सरकार की अनुमति मांग रहे हैं, और यदि राज्य सरकार ने आवश्यक अनुमति दे दी तो, शायद लोक लेखा समिति की इच्छा के अनुसार इसे अग्रेतर जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा सकता है ।

Shri Kanwer Lal Gupta : The Hon. Minister has stated that the C. I. D. of the state is conducting enquiry. When the Minister of that state himself is involved in it, it is a force to get an enquiry conducted by the C. I. D. of the state Government because fertilisers worth Rupees ten crores was brought here and 500 permits of Rs. 2 crores were issued by Shri Thimma Reddy for ferlitiser out of that and bungling took place. So far as the question of transport is concerned, though it was to be done through trucks but is was not done in this way.

Shri Rabi Ray : Who is that who is interrupting this way ? He is a lawyer and he should know the procedure of the house.

श्री क० नारायण राव : प्रश्न का क्षेत्र बहुत सीमित है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सीमित प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने विधि मन्त्रालय तथा गृह कार्य मन्त्रालय की राय मांगी है और यदि हां, तो वह क्या है, उत्तर यह है कि वे राज्य सरकार की अनुमति मांग रहे हैं । बात यहां समाप्त होती है, अब अग्रेतर चर्चा करना प्रश्नाधीन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में था, उत्तर यह दिया गया कि उन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के लिए कागजात भेज दिए हैं । अगला प्रश्न यह है कि राज्य सरकार की अनुमति लेना क्यों आवश्यक है, जबकि लोक लेखा समिति इसके बारे में पहले ही कह चुकी है ? इसमें से कई अन्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, इन मामलों में इस सदन का रिवाज कुछ विस्तार वादी है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, I quite agree with you.

श्री एस० कन्डप्पन : जो बात आपने अभी कही है उससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है । राज्य की लोक लेखा समिति राज्य के अन्तर्गत है और यह अपना प्रतिवेदन राज्य

सरकार को देती है न कि हम को। क्या यह संसद के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है कि वह राज्य की लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करे ?

अध्यक्ष महोदय : शायद, सदन इस बात से अवगत है कि उस आधार पर हमने इस सदन में चर्चा की थी और अनेक दूसरे प्रश्न भी उसमें शामिल थे तथा लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन भी उनमें से एक था।

श्री रवि राय : वह तो एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल उचित है। वास्तव में यह ऐसा प्रश्न है जिसका हमें पूरा अध्यन करना चाहिए। लेकिन जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मैं सोचता हूं कि इस समय यह प्रश्न केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में है। मैं नहीं चाहता कि हम अन्य बातों पर चर्चा करें।

श्री चेंगलराया नायडू : पहले ही जांच कार्यवाही की जा रही है, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है, इसलिए इस बीच ही किस प्रकार हस्तक्षेप किया जा सकता है ?

श्री पीलु मोडी : किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज पर, जो कि प्रकाशित किया जा चुका है, इस सदन में चर्चा की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक है तो उस पर यहां चर्चा की जा सकती है। मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता जिससे कि हम राज्य सरकार की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं कर सकते; क्योंकि वह संघ राज्य क्षेत्र है, इसलिये प्रतिवेदन पर यहां चर्चा करने पर प्रतिरोध नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मामला है जिस पर अग्रेतर अध्ययन की आवश्यकता है।

श्री एस० कन्डप्पन : लोक लेखा समिति ने सम्बन्धित राज्य सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं और उस सरकार से उनका उत्तर दिये जाने की आशा की जाती है। इसलिये, यह एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे प्रश्न काल के दौरान बार बार व्यवस्था का प्रश्न न उठायें। वह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Spear, small thieves have been arrested but the dacoit is at large.

Mr. Speaker : I stated that the enquiry, which the State Government is conducting through C.I.D. police is a force, because the dacoits cannot be arrested so long the enquiry will be conducted by the state Government as the friend Mr. Naidu has said that through the little thieves have been arrested but the dacoit is at large. The question is that when it has been proved that 500 special permits were issued by him and it has also been proved that 18% of the whole fertiliser was given only to three companies, then inspite of all this, I want to know whether your enquiry will not be impartial so long you do not oust such a corrupt Minister. My question is why you do not onst that Minister ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न के क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने विधि तथा गृह मंत्रालयों से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में परामर्श किया है। मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि यह सब ठीक है और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी चाहिये। उनको उससे बाहर नहीं जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, I have to put two questions. Firstly, when a prima facia case has been established against that Minister, then why do you seek a permission from state Government that an investigation should be instituted through C.B.I., because state Government will be interested in shielding him. Secondly, May I know whether an impartial investigation can be instituted so long the corrupt Minister is there ? May I know whether C. I. D. can conduct an impartial enquiry ?

श्री क० नारायण राव : यह एक आरोप है, यह एक ज्यादती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का स्वागत करता हूँ।

श्री क० नारायण राव : वह राज्य सरकारों के इरादों के बारे में आरोप नहीं लगा सकते, यह ऐसा मामला है जो पूर्णतः राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। वह उसको क्यों बचाना चाहते हैं ? चाहे वह कांग्रेसी हैं अथवा किसी अन्य दल से संबंधित हैं।

श्री क० नारायण राव : यहां तक कि लोक लेखा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में राज्य सरकार से जांच कराने के लिए कहा है। इसलिये, चाहे वह केन्द्रीय ब्यूरो हो अथवा कोई अन्य एजेंसी, यह एक ही बात है।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्हें त्यागपत्र देना चाहिये। उन पर अभियोग चलाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न काल में व्यवधान न किया करें। मेरे होते हुए आप प्रक्रिया सम्बन्धी बातों की चिन्ता क्यों करते हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। कुछ मामलों की जांच सी०आई०डी० कर रही है। जहां तक लोक लेखा समिति और माननीय सदस्यों के इस सुझाव का प्रश्न है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच स्वयं करे, मैं जानना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार इसकी अनुमति दे देती है तो भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, my question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संगत न था फिर भी मैंने आपको पूछने दिया किन्तु आगे मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अनुपस्थित व्यक्तियों के प्रति आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। यदि जांच की जानी है तो जांच करने वालों को अपना काम करने दिया जाए।

श्री को० सूर्यनारायण : उर्वरकों का एक चौथाई भाग गैर सरकारी व्यापारियों तथा सहकारी समितियों को दिया गया था और इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसमें कुछ कदाचार हुए हैं। सरकार भी इस बात से कहां इन्कार करती है। अभी इसकी जांच करनी है कि ऐसा कैसे हुआ और इसके लिए कौन उत्तरदायी है इसमें 3 करोड़ रुपये का गोलमाल हुआ है आन्ध्र प्रदेश सरकार को शिकायत करने वाले लोगों में से मैं भी एक हूं। सड़क द्वारा उर्वरकों का लाना ले जाना बहुत महंगा पड़ता है परिणामतः हमें उर्वरक समय पर नहीं मिल पाते। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार से उर्वरकों का यातायात रेल वैगनों द्वारा करने देने का अनुरोध किया है ? और यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने और इस सम्बन्ध में कानूनी परामर्श से है। आपका प्रश्न बहुत ही सामान्य है।

श्री को० सूर्यनारायण : इस सम्बन्ध में एक गलत धारणा बनाई जा रही है। हम यह जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भी भारत सरकार ने उर्वरकों का माल डिब्बों द्वारा भेजने का प्रबन्ध नहीं किया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैंने 22 अप्रैल को गृह मंत्री को एक पत्र लिखा था और उनके अतिरिक्त निजी सचिव ने उत्तर देने की कृपा भी की थी। इसके अतिरिक्त मैं अध्यक्ष महोदय तथा सदन का ध्यान लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के उन अंशों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो कि इस सदन की कार्यवाही का अंग है। सदन में इस प्रतिवेदन पर चर्चा हुई थी और इसे सभा पटल पर भी रखा गया था। अतः इस सरकार का दायित्व भी कुछ कम नहीं है। यहां तक कि लोक लेखा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने को कहा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों का कार्य साथ साथ चलना चाहिए ताकि मामले की जांच अच्छी तरह हो सके। आंध्र प्रदेश की सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है अतः समय व्यर्थ किए बिना विस्तार से इसकी जांच शीघ्र अति शीघ्र की जानी चाहिए। एक माह से अधिक समय हो गया है। मेरा अनुरोध यही है कि मामले को निपटा दिया जाए जिससे लोक जीवन में सन्देह के लिए कोई स्थान न रहे। इनके वरिष्ठ साथी इनके दल के प्रधान हैं। आंध्र प्रदेश में इनके पूरक किसी समय सतारूढ़ दल के अध्यक्ष थे। लोक जीवन में नैतिकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि श्री थिम्मा रेड्डी को दोष मुक्त किया जाए। मैं यह नहीं चाहता यदि उन्होंने कोई गलती नहीं की तो भी उन्हें दण्डित किया जाए। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप इसे लोक जीवन में नैतिकता तथा सदाचार का मामला समझकर निपटाएं और राज्य सरकार को इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने की महत्ता समझाएं। जहां तक गुप्तचर विभाग द्वारा जांच का सम्बन्ध है मुझे सूचना मिली है कि और सभी दस्तावेजों को दबाया जा रहा है क्योंकि आर्थिक एवं राजनीतिक–सत्ता सम्पन्न व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम है। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को अविलम्ब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दें। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य स्वयं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष थे और प्राक्कलन समिति ने जो सदन में सिफारिशें की हैं वे ये हैं:—

"केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस समय जांच करने सम्बन्धी अपनी कानूनी शक्ति दिल्ली एस० पी० ई० अधिनियम 1946 से प्राप्त करता है जिसके अन्तर्गत इसका जांच विभाग जिसका नाम दिल्ली एस० पी० डिवीज़न है, किसी भी राज्य में सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अपराधों की जांच कर सकता है। यदि कोई राज्य सरकार किसी भी अपराध के बारे में अपने राज्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के क्षेत्राधिकार को स्वीकार नहीं करता तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो उस राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामलों अथवा केन्द्रीय अधिनियमों से सम्बन्धित मामलो की जांच नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वे विभाग जो जांच कार्य से सम्बन्धित नहीं हैं जैसे कि अपराध अभिलेख, सांख्यिकी, अनुसंधान एवं नीति सम्बन्धी विभाग अपने कार्य संचालन के लिए राज्य पुलिस द्वारा दी जाने वाली सहायता पर निर्भर करते हैं। इन विभागों के लिए कोई कानूनी आधार न होने के कारण इनको राज्य सरकारों से औपचारिक रूप से सहायता मिलती रहती है और ये राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों की सदभावना पर निर्भर है। इन परिस्थितियों में समिति ये महसूस करती है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कानूनी आधार दिया जाना चाहिए ताकि इसको पक्के पैरों पर खड़ा किया जा सके। ऐसी स्थिति में मेरा विचार है केन्द्र सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप कृपया अभिलेख पढ़िए और देखिऐ कि मैंने क्या कहा है लोक लेखा समिति ने एकमत से कहा है कि यह कार्य अविलम्ब किया जाना चाहिए और मैंने केवल यही अनुरोध किया है कि केन्द्र, आन्ध्र सरकार को शीघ्र ही मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की महत्ता समझाए। जिससे उचित जांच हो सके। मेरे कथन का ग़लत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये।

श्री० स० कुन्दु : जहां तक प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है माननीय मंत्री ने बहुत प्रभावशाली ढंग से सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है। श्री वेंकटसुब्बया ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक था। समिति की सिफारिश में यह नहीं कहा गया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को, किसी जांच के लिए आदेश देने से पूर्व, राज्य सरकार की सहमति लेनी ही पड़ेगी। इसमें तो इतना कहा गया है कि जांच को प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति भी आवश्यक है। अभी तक हुए जांच मामलों में उन्होंने सहयोग नहीं दिया। कृपया प्राक्कलन समिति की एक पंक्ति पकड़कर लोगों की आखों में धूल मत झोंकिए।

आप इस सदन के अभिरक्षक हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस गोलमाल में फंसी राशि—(यह कहा जा रहा है कि $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का यह गोलमालदुनिया का सबसे बड़ा गोलमाल है,) केन्द्र ने आन्ध्र सरकार को उर्वरकों के परिवहन के लिए ऋण के रूप में दिया था। यदि यह राशि केन्द्र की है तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए राज्य सरकार की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति ने भी इसी मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया है अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें अड़चन क्या है। राज्य विधान सभा में एक विधायक श्री नी०रत्नासभापति ने आरोप लगाए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने

स्पष्ट रूप से कहा है कि 2½ करोड़ रुपये के गोलमाल में निजी व्यापारियों तथा इन मंत्री महोदय का हाथ है.....।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे यह परामर्श देने से पूर्व कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है, गृह मन्त्रालय और विधि मन्त्रालय ने इन सभी तथ्यों पर विचार कर लिया है। मुझे खेद है कि मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री स० कुन्दु : श्रीमन्, इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो सुझाव दिया है मंत्री महोदय ने उस पर पूरा ध्यान दिया है। मेरे विचार में इस प्रश्न पर पर्याप्त समय लग चुका है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : श्रीमन् एक प्रश्न मेरा भी है। मेरा नाम भी इस प्रश्न के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर था। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने में कुछ असमर्थता प्रकट की है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या केन्द्र परिवहन भाड़े के लिए आर्थिक सहायता देना बन्द कर देगा। यदि केन्द्र द्वारा भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता तो कम से कम अपने धन को बचाया तो जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Ram Sevak Yadav ; Sir, Hon. Minister has just stated, that Home Ministry and Law Ministry have also advised that it should be investigated by C. B. I. I want to know whether before advising this has some Ministry obtaind any information in regard to this swindling in sale of fertilisers. Secondly when was the state Govt. approached for their consent ?

Have you received any reply ? If not has the ministry persued it or not ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे खेद है कि गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच किए जाने के विषय में कोई राय नहीं दी है। पिछली बार जब माननीय सदस्यों ने यह पूछा था कि लोक लेखा समिति द्वारा मांग किए जाने के उपरांत भी गृह मामला केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को क्यों नहीं सौंपा गया तो मैंने कहा था कि गृह तथा विधि मंत्रालय से परामर्श करने के बाद ही आगे कोई कार्यवाही करूंगा। अब मैंने उल्लेख किया है कि गृह तथा विधि मंत्रालय ने मुझे परामर्श दिया है कि जाँच के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। हमने हाल ही में राज्य सरकार को लिखा है। गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद ही हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Ram Sevak Yadav : When did you write to the State Government ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे तिथि का पता करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बाद में बतला सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : नियमों के अन्तर्गत क्या यह सम्भव नहीं है कि राज्य सरकार स्वयं विशिष्ट पुलिस संगठन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराए जिससे यह मामला जाँच के

लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपा जा सके। लोक लेखा समिति की सिफारिश को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार को विशिष्ट पुलिस संगठन में इस मामले को नियमित शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है जिससे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच कार्य आरम्भ किया जा सके।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस पर निर्णय राज्य सरकार को करना है। मैंने केन्द्रीय सरकार की स्थिति अत्यंत स्पष्ट कर दी है कि यदि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच होनी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम यह मामला ब्यूरो को सौंपने के लिए तैयार हैं किन्तु सहमति राज्य सरकार को ही देनी है। मैं राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं कह सकता।

दिल्ली कोआपरेटिव टी हाऊस लिमिटेड में कथिक अनियमितताएं

1474. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का ध्यान सिविल सप्लाई एण्ड कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के कार्यकारी पार्षद के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली कोआपरेटिव टी हाऊस लिमिटेड में गम्भीर अनियमिततायें पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सहकारी समिति में जो गलान पैदा हो गई है उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(ख) पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली द्वारा सूचित की गई गम्भीर अनियमितताओं का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

(1) समिति के लिए भवन के समझौते पर उसके दो सदस्यों द्वारा मकान मालिक तथा समिति दोनों की ओर से हस्ताक्षर करना।

(2) समिति के वाहनों, एक 'सेलर' और उससे होने वाली आय का दुरुपयोग।

(3) समिति की प्रबन्ध कमेटी के दो सदस्यों को समिति की नौकरी में रखना और उन्हें वेतन देना।

(4) भवन के लिए सदस्य के पास 15,000 रु० की राशि प्रतिभूति के रूप में रखना, जो अनुचित था। उस पर समिति को कोई ब्याज नहीं मिल रहा था।

(5) समिति द्वारा अधिकतम ऋण सीमा नियत न करवाना, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी देयता 1½ लाख रु० हो गई।

(6) अनावश्यक व्यय करने के कारण 30-6-1968 तक 43,000 रु० की हानि होना।

(7) समिति की निधि में से 22,107.50 रु० की राशि अनेक व्यक्तियों को उधार दी गई, किन्तु इसकी वसूली के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

(ग) समिति को परिसमापन कार्यवाही के अन्तर्गत लाया गया है।

श्री जय सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गये विवरण के द्वारा पता चलता है कि स्थिति बहुत गम्भीर है यथाकथित सोसाइटी में चार-पांच सदस्य हैं। मैं सरकार से उन सदस्यों के नाम जानना चाहता हूं और साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

श्री डा० एरिंग : प्रबन्धक समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

प्रधान श्री भगवान सिंह, सचिव श्री दलजीत सिंह, कोषाध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह, सदस्य श्री सुन्दरदास और श्री चतर सिंह उपायों के सम्बन्ध में हमने दिल्ली प्रशासन को सूचना दे दी है और वह ही आवश्यक कार्यवाही करेगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि परिसमापन कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी किन्तु दुर्भाग्य से उच्च न्यायलय ने हाल ही में इन कार्यवाहियों के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी कर दिए हैं।

श्री जय सिंह : क्या माननीय मंत्री सितम्बर 1969 के जाँच प्रतिवेदन को पढ़ने की कृपा करेंगे और यदि प्रतिवेदन बहुत लम्बा है तो क्या वे इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

श्री डा० एरिंग : श्रीमन्, यदि आप अनुमति दें तो इसे पढ़ूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

Shri Hardyal Devgun : The irregularities in the working of Delhi's cooperative store have already been exposed, This is the second co-operative store that is a family affair. Sardar Sobha Singh's son,.. ....

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति आरोप लगाने की अनुमति नहीं दूंगा जो सदन में उपस्थित नहीं हैं।

Shri Hardyal Devgun : I am disclosing the names of members.

Mr. Speaker : Disclosing names does not mean that... ...

Shri Hardyal Devgun : I am asking about the allegations which he had accepted here. This society is a bogus family affair, Sobha Singh's son, Bhagwan Singh and Daljeet Singh and besides these Bhagwan Singh's father in law, mother inlaw, brother inlaw, sister in law and both his sons are in the society. They are Delhi's big capitalist. What allegation have I made in this ?

Mr. Speaker : It does not appear so but it is a question of interpretation.

Shri Hardyal Devgun : This is a co-operative society. A Post office was to be opened in their building but these people acquired the building for the co-operative society. They have bought two cars and a scooter in the name of the society but no mention has been made of this here. I want to know if it is a fact that they are using these vehicles. Besides this they have opened a shop 'Cellar' in one half of this building. There the boys and girls of Delhi take Charas and Bhang with the hippies. This shop has been opened without a licences and the society has invested Rs. 58,000 in it. I want to know if two sons of the chairman stddied in England. Thay were its executive members and were given a salary which was irregular. In this way this society has misappropriated lakhs of rupees. Keeping in mind that cars were bought irregularly with its money. Will the government take action to get this money, Will a criminal case be instituted for embazzlement and other accusations.

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि इस सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने वस्तुत: सहकारी समितियों का नाम बदनाम किया है और साथ ही इन सदस्यों में उनके परिवार तथा रिश्ते के कुछ व्यक्ति भी शामिल हैं ।

श्री हरदयाल देवगुण : इस सहकारी समिति का भंडाफोड़ करने पर हमें दिल्ली प्रशासन को बधाई देनी चाहिए ।

श्री विश्वनाथ राय : माननीय सदस्य के प्रश्न में दिये गये ब्योरे को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस सहकारी समिति के कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो माननीय सदस्य के दल से सम्बन्ध रखते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । सूची दे दी गई है और वे स्वयं उसे देख सकते हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या उस सहकारी समिति का कोई सदस्य इस सदन का भी सदस्य है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने सदस्यों की सूची घोषित कर दी है । आप इसे देख सकते हैं । अगला प्रश्न ।

श्री क० सूर्यनारायण : क्या दिल्ली प्रशासन ने इस बारे में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि कितने धन की हानि हुई और कितनी राशि का दुर्विनयोजन हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह इसके सीमा क्षेत्र से बाहर है ।

श्री बलराज मधोक : क्या मैं जान सकता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बलराज मधोक : श्रीमन् यह उचित नहीं है। पहले भी आपने दो तीन सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। मुझे भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। मेरा निवेदन यह है कि जिस सहकारी समिति का यहां उल्लेख किया जा रहा है वह पहले कभी हुआ करती थी परन्तु आजकल उस समिति का संचालन वहां के कर्मचारी कर रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जिन व्यक्तियों का मन्त्री महोदय ने अभी उल्लेख किया है क्या उनके गलत कार्यों का दण्ड सहकारी समिति के वर्तमान कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा तथा क्या मन्त्री महोदय यह भी आश्वासन देंगे कि जिन व्यक्तियों ने धन का दुरुपयोग किया है उनसे धन वसूल करने के लिए कठोर कदम उठाए जायेंगे।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : यह मामला दिल्ली प्रशासन के अधीन है।

श्री रा० ढो० भण्डारे : श्रीमन् क्या यह उचित है कि सदस्य कहे कि अध्यक्ष की कार्यवाही ठीक नहीं है अतः इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनका आभारी हूं। मुझे आश्चर्य है श्री बलराज मधोक जैसे सदस्य भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं।

श्री बलराज मधोक : मैने ऐसा कुछ नहीं कहा जो सदन को बुरा लगे।

Censoring of Film Publicity Media

***1475. Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khosla Commission has strongly appealed to Government to censor the posters, hand-bills, photographs and other media of film publicity; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में पोस्टरों तथा फिल्म प्रचार सामग्री पर किसी प्रकार का अंकुश रखने पर ज़ोर दिया है और उन्होंने यह विचार प्रकट किया है कि इस मामले पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उचित रूप से कार्रवाई की जा सकती है।

(ख) समिति की रिपोर्ट अभीं भी विचाराधीन है। तथापि, क्योंकि सरकार इस समस्या से पहले ही परिचित थी अतः उसने अभी राज्य सरकारों को पहले लिखा था कि वे इस प्रकार के अश्लील और अभद्र फिल्मी पोस्टरों पर कड़ी नजर रखें।

Shri Deven Sen : Is it a fact that hand bills, posters and photographs of those parts of the films which are censored, are being printed on large scale ? it is said that a group of capitalists and other highly rich people are involved in this work, who have faith in black marketing, glorofication of sex and admiration of violence. If it is a fact, then what steps the Government have taken to prevent this ?

श्री इ० कु० गुजराल : जैसा मैंने कहा, इस की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है, और इसीलिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस पर नियन्त्रण रखें। यह तथ्य खोसला आयोग के समक्ष भी लाया गया था और आयोग ने भी कहा था कि इस को रोकने के लिए कोई न कोई कार्य करना चाहिए।

Shri Deven Sen : Is it a fact that the film industry in India stands second in the world ? Is it also a fact that our film industry is declining day by day and our films are not able to compete with Europe films ? When I went to Mosko in 1959, I remember, the people there knew only four Indians-Tagore, Nehru, Raj Kapur and Nargis. They do not know others. What steps the Government has taken to keep up the standard of films ? I would also like to know what are the obstacles in nationalising the film industry ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय मित्र ने पूछा कि क्या यह सच है कि हिन्दुस्थान फिल्म उद्योग दुनिया में दूसरी श्रेणी में है। मैं उन से कहूंगा कि परिमाण के हिसाब से यह कथन ठीक है। गत वर्ष यहां जो फिल्म बनाये गए, वह केवल जापान के मुकाबले में द्वितीय श्रेणी में रह गए। जहां तक गुण का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को इस प्रकार एक व्यापक निर्णय नहीं करना चाहिए था। कुछ अच्छे फिल्म भी बनाये गए हैं जिनकी कीर्ति केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैल गई। जहां तक आम रुख का सम्बन्ध है, हम समय समय पर इस पर विचार करते आ रहे हैं और फिल्म सेंसर बोर्ड ने एक नीति निर्धारित की है। इस के अनुसार अब हम एक फिल्म परिषद् की स्थापना करने के बारे में विचार कर रहे हैं, और इससे गुण की दृष्टि से कुछ अच्छे फिल्म बनाने का वातावरण तैयार होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Some of the posters printed and stuck on the walls, are obscene and it has a bad effect on the morality of the society. For example such posters have been printed in which kissing, embracing etc. have been exhibited. May I know whether the Government is proposing to ban these posters ?

श्री इ० कु० गुजराल : जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, हम ने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। आशा है, कि वे इस सम्बन्ध में ध्यान देंगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : What the state Governments can do in this matter ? These posters are being printed by film companies.

Mr. Speaker : Please sit down. The work will go on like this.

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए मिल मालिकों से बकाया राशियों की वसूली

***1476. श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना की जो भारी राशि मिल मालिकों आदि की ओर बकाया है उसे वसूल करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से सहायता मांगी है;

(ख) विभिन्न संस्थानों की ओर कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार दिये गये हैं कि वे भविष्य निधि की बकाया राशियों को बकाया राजस्व के समान वसूल कर सकती है और दोषी नियोजकों के विरुद्ध अभियोग चला सकती है। श्रम मन्त्रियों की क्षेत्रीय बैठकों में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बकाया राशियों के भुगतान में सहायता दे और उन्होंने इस संबंध में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1969 को बिना छूट वाले दोषी संस्थानों के नाम 14 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बकाया राशि हर वर्ष बढ़ती जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में राज्य सरकारों के सहयोग के बिना ही केन्द्रीय सरकार कौन-सा विशिष्ट कदम उठा रही है ताकि बकाया राशि को समय पर वसूल किया जा सके और पता लग सके कि असल में बकाया राशि कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : वसूल करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। हम ने बकाया राशि की वसूली एवं अभियोजन के लिए 46,566 मुकदमें दायर किए हैं। अब तक वसूल किये गए रकम हैं : 1964—65 में 1.42 करोड़ रुपए। 1965—66 में 1.57 करोड़ रुपए। 1966—67 में 2.8 करोड़ रुपए। 1967—68 में 1.71 करोड़ रुपए 1968—69 में 2.2 करोड़ रुपए। 1969—70 में 2.5 करोड़ रुपए। इस संदर्भ में यह भी याद रहे कि अब तक जो कुल बकाया राशि वसूल की गई है, वह 1,300 करोड़ रुपए है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : हर कम्पनी को किसी न किसी समय या तो किसी आयात लाइसेंस के लिए या अन्य किसी प्रकार के लाइसेंस के लिए केन्द्रीय सरकार के पास आना पड़ता है। कभी सरकार की ओर से आग्रह किया जाता है कि आयकर की अद्यावधिक देय राशि चुकाई जाए। मै जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे मौके का लाभ उठाकर इन कम्पनियों को लाइसेंस या अन्य सुविधायें देने या नवीकृत करने के पहले उन से प्रमाणपत्र की अपेक्षा करेगी कि कर्मचारी भविष्य निधि की तमाम बकाया राशि चुका दी गई है ?

श्री एस० कन्डप्पन : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री डी० संजीवैया : न्यासधारी मंडल ने एक उप-समिति को नियुक्त किया है और इस उप-समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन समाप्त किया है। इस के अलावा, प्राक्कलन समिति ने भी कुछ सिफारशें दी हैं। देय राशि की वसूली के उपायों पर जब विचार किया जाएगा, तो इन सारी सिफारशें और माननीय सदस्य के सुझावो पर ध्यान दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।

श्री स० कुण्डू : मैं इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ। आप उन्हें इसे लिख कर दे दें।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Water Supply To Gangnahar And Bhakra Canal

30. **Shri Hardayal Devgun :** **Shri P. L. Barupal :**
Shri Ramji Ram : **Shri T. Ram :**
Shri Bhola Nath Master :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that supply of canal water to Pakistan has been discontinued ;

(b) if so, the reasons for which the water is not being made available to Ganganahar and Bhakra canal in Srigangangar ;

(c) whether it is also a fact that on account of non-availability of water in the aforesaid canal, local people are facing acute shortage of drinking water in this hot weather so much so that a threat has been posed to their lives even; and

(d) if so, the steps being taken by Government to solve this problem ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sideshwar Prasad). (a) Yes, Sir.

(b) Water is being supplied to Bhakra Canals of Rajasthan and to Gang Canal according to their shares taking into account the waters withdrawn from Pakistan.

(c) At present to make water available for drinking purposes, canals are being run by rotation. As the water storage arrangements in the villaaes are not adequate there is difficulty of drinking water in some of the areas of Gang Canal and Bhakra.

(d) Permanent improvement in the supply position of the Canals during the dry months will be-come possible on completion of Pong Dam.

Shri Hardayal Devgun . Mr. Speaker, Sir in Ganganagar, Bikaner etc. there is an acute shortage of water. Had the Rajasthan Canal been completed, this problem and also the food problem would have been solved to a greater extent. May I know how much water is saved after water is being provided to Pakistan and how much water is being available to these canals to solve the problem of shortage of water ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : इस समय रावि और व्यास में 13,000 क्यूसेक्स पानी बहता है। 4000 क्यूसेक्स पाकिस्तान को देकर शेष 9,000 क्यूसेक्स पानी पंजाब और राजस्थान के लिए बांट लिया जाएगा। इसमें राजस्थान का हिस्सा 5000 क्यूसेक्स

है। 5000 में से 2700 क्यूसेक्स पानी राजस्थान भाखड़ा नहर को और 2300 क्यूसेक्स गंगा नहर को दिया जाता है।

Shri Hardayal Devgun : Keeping in view the acute shortage of water in Rajasthan will the Government provide there more water because the situation there is more serious than that of Punjab and Haryana ? (Interruption). Secondly, may I know whether the Government will take steps to expedite the construction of Pong Dam and Thiug Dam ?

डा० कु० ल० राव : अप्रैल महीने में कम वर्षा के कारण, नदियों में बहुत कम पानी आता है मगर अब इनमें पानी आ रहा है और इससे संकट दूर होगा। राजस्थान का उचित हिस्सा उसे प्राप्त होगा। माननीय सदस्य ने कहा कि अतिरिक्त पानी इन प्रदेशों को दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सिर्फ एक समस्या यह है कि उन गांवों में जहां पानी नहरों से मिलता है, पानी का संग्रह करने की पर्याप्त जगह नहीं है। जब नहरें बन्द की जाती है क्योंकि ये नहरें एक एक कर के चलाई जाती हैं, अगर गांवों में पानी के संग्रह के लिए जगह नहीं है, तो नहर का अतिरिक्त पानी देने मात्र से समस्या हल नहीं होगी। फिर भी, अगर अतिरिक्त जल से उन्हें किसी भी प्रकार का प्रयोजन होगा तो मैं इस मामले को राजस्थान सरकार के ध्यान में लाउंगा। पोंग बांध का जहां तक सम्बन्ध है, हम इसके निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। पोंग बांध को पूरा किए बिना हम व्यास के पानी का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते। आशा है कि इसका निर्माण 1973 में पूरा हो जाएगा।

Shri Onkarlal Bohra : Mr. Speaker, Sir, the supply of canal water to Pakistan has been discontinued, but neither the Pong dam is completed nor there is any time limit fixed within which the Rajasthan canal can be completed. In view of the utilisation of surplus water in Rajasthan Canal, may I know when the Rajasthan canal is going to be completed and in Bikaner and Ganganagar shortage of drinaing water is mounting up due to severe drought water in Rajasthan canal can be utilised only when it is completed. Due to non-availability of water cattle will be perished in thousands of numbers. Hence I would like to know how much water is going to be supplied there now and what was the discussion held with the Government of Rajasthan in this regard ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान नहर का पहला चरण चौथी योजना के अन्त तक पूरा होने की आशा है। हम दूसरे चरण का भी निर्माण कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु इसके लिए आवश्यक राशि मिलनी चाहिए। हमें कुछ अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की आशा है। हम आशा करते हैं कि पांचवीं योजना काल में यह पूरा हो जायगा। पहला चरण अगले तीन या चार वर्षों में पूरा हो जाएगा और दूसरे चरण के पूर्ण होने में छः से आठ वर्ष तक लगेगें। मैं अपनी बात को दुहरा रहा हूं कि अगर गंगा नहर या उप नहरों के अतिरिक्त पानी से लोगों को पीने का पानी प्रदान करने में सहायता मिलेगी तो जरूर मैं उसके लिए उचित कार्रवाई करूँगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि सूखा पीड़ित प्रदेशों में जो भयानक स्थिति रहती है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उन प्रदेशों का दौरा किया था। सचमुच वहां के लोग बड़ी भयानक परिस्थिति में जी रहे हैं। थोड़ा सा पानी भरने के लिए लोगों को ऊँटों पर 10 मील तक जाना पड़ता है। कुछ लोग नमकीन

पानी पी नहीं सकते । अतः वे लोग अपने पेट पर गीली हुई पट्टी लगा देते हैं ताकि प्यास न लगे। राजस्थान में यही परिस्थिति है ।

मैं जानना चाहता हूं कि कम से कम इन सूखा पीड़ित प्रदेशों के लोगों के लिए पीने का पानी देने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। क्या वह शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है ? श्री बोहरा ने एक प्रश्न उठाया था कि पाकिस्तान द्वारा छोडे गये पानी का भारत सरकार किस प्रकार उपयोग करने जा रही है ।

डा० कु० ल० राव : जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है, यह खराब नहीं है । फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन इलाकों में राजस्थान नहर से पानी मिलता है, वहां पीने के पानी की कुछ अन्य व्यवस्थायें भी हैं । मगर उससे पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता । हम यहां से पानी उस ओर बहाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि जोधपुर इलाके के आगे भी पानी उपलब्ध हो । बाडमेर और जैसलमेर के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान नहर के दूसरे चरण का निर्माण कार्य शीघ्रता से चल रहा है । जब यह पूरा होगा, इन इलाकों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा । जहां तक पोंग बांध का सम्बन्ध है जैसे मैंने पहले ही कहा हम इसका शीघ्र निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । आशा है कि 1973 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WIRTTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आकाशवाणी के प्रकाशनों में उर्दू लिपि की उपेक्षा

***1473. श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी अपने हर प्रकार के प्रकाशनों में उर्दू लिपि की उपेक्षा करती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : **(क) जी, नही ।**

(ख) प्रश्न नहीं उठता

गन्ना-विकास कार्यक्रम के बारे में उत्तर प्रदेश के कृषि मन्त्री का वक्तव्य ।

1477. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बालमीकि चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के कृषि मन्त्री के 5 अप्रैल, 1970 के 'टाइम्स आफ इन्डिया' में प्रकाशित इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि गन्ना विकास कार्यक्रम की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के कृषि मन्त्री ने इस सम्बन्ध में सरकार को लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) (क) 5 अप्रैल, 1970 के टाइम्स आफ इन्डिया में ऐसा कोई वक्तव्य प्रकाशित नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

भारतीय संगीत के प्रति केवल विदेशियों की प्रतिक्रिया को टेलीविजन में दिखाना

1478. श्री बाबू राव पटेल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन के फोटोग्राफर भारतीय गायन, नृत्य, संस्कृति, बजट आदि के सम्बन्ध में विदेशियों की प्रतिक्रिया के चित्र अवश्य खींचते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया उपयुक्त नहीं होती अथवा क्या भारतीय टेलीविजन भारतीय चेहरों के लिए उपयुक्त नहीं है;

(घ) क्या यह सच है कि टेलीविजन पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्थान पर श्री मोरारजी देसाई को बजट पेश करते हुए दिखाया गया था; यदि हां, तो उस गलती करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले सहायक निर्माता का नाम क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ. कु. गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दोनों बातें सच नहीं है।

(घ) श्री मोरारजी देसाई को बजट पेश करते हुए दर्शाने वाली एक पुरानी फिल्म 23-2-1970 को कुछ मिनटों के लिये गलती से दिखायी गयी थी। इस गलती के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

(घ) नाम बताना लोकहित में नहीं है।

अखबारी कागज के कोटे सम्बन्धी नीति

1479. श्री हिम्मत सिंह का : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अखबारी कागज के कोटे के बारे में हाल ही में घोषित की गई नीति से छोटे समाचार पत्रों की आशाएं पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त नीति के बारे में विभिन्न वर्गों के समाचार पत्रों की सही-सही प्रतिक्रियाएं यदि सरकार को प्राप्त हुई है; तो वे क्या है; और

(ग) इन प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त नीति में यदि कोई संशोधन करने का विचार है तो क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ. कु. गुजराल) : (क) और (ख) :-जी, नहीं । सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि छोटे समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया जाए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अखबारी कागज के बारे में उनकी आवश्यकताओं को 1970–71 के लिये अखबारी कागज नियतन सम्बन्धी नीति बनाते समय ध्यान में रखा गया था । सरकार अनुभव करती है कि छोटे समाचार पत्र इस नीति को अपने लिये ज्यादा लाभदायक पायेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को पुनः वैध स्वामियों को दिलाने के लिये कार्यवाही ।

1480. श्री सूरज भान : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में कितने मामलों में जमीन पर गैर-कानूनी तौर पर तथा जबरदस्ती कब्जा किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में जिन व्यक्तियों के पास 1 से 5 एकड़ तक भूमि थी उस पर भी जबर्दस्ती कब्जा किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से मामलों में नक्सलवादियों तथा साम्यवादी दल (मार्किसस्ट) के कार्यकर्त्ताओं की मदद से भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जबरदस्ती कब्जे में की गई इस भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और ऐसा कितने मामलों में किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब-शिन्दे) (क) तथा (ख) . भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने के कई मामले हैं । भूमि पर जबर-दस्ती कब्जा करने की घटनायें प्रत्येक जिले तथा एक ही जिले के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न हैं । अतः ऐसे मामलों की ठीक संख्या निश्चित करना कठिन है । काफी मामलों में जबरदस्ती कब्जा की गई भूमि राज्य की भूमि थी अथवा ऐसी भूमि थी जिसके अवैधानिक हस्तान्तरण को रद्द करने के लिये न्यायालयों में मामले अनिर्णीत थे ।

(ग) अधिकांश मामलों में जिन व्यक्तियों ने भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया वे एक या दूसरे राजनैतिक दलों द्वारा संगठित किये गये थे। साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) ने इस विषय में काफी मामलों में कार्यवाही की, लेकिन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से कई और राजनैतिक दलों ने भी भाग लिया।

(घ) भूमि सुधार के सारे विषय पर पश्चिम बंगाल की सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Telephone and Telegraph Services in Rural Areas Under Fourth Plan

***1481. Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the progress made in scheme for extension of telephone service and setting up telegraph offices in rural areas under the Fourth Plan ;

(b) whether Government are satisfied with the progress made ; and

(c) if not, the new targets fixed and the new scheme formulated in this regard for the Fourth Five Year Plan period ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) The table below gives the proposed Fourth Plan targets and the actual achievements in respect of Telephone and Telegraph services in rural areas :-

	Fonrth Plan target	Achievement in 1969--70
(i) No. of new long distance PCOs.	2,000	500
(ii) No. of telephone connections from rural exchanges	37,000	7,000
(iii) No. of new Telegraph Offices	2,400	425

(b) Yes, Sir. The progress made during the first year vis a vis the Plan target has been satisfactory.

(c) The question of an upward revision of targets is constantly under consideration and if the Financial/Material resources permit such a revision may be made at the time of mid term plan appraisal.

Reduction in Price of Fertiliser Consequent on Fall in Price of Sugarcane, Gur and Khandsari

***1482. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state whether Government propose to bring down the price of fertilizers keeping in view the low price of sugarcane, gur and khandsari ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Sninde) : There is no such proposal to bring down the Pool prices of fertilisers in view of the low prices of sugarcane and other crops. Pool prices are fixed on 'no-profit no-loss' basis. If the prices of Gur and Khandsari have been lower this year, the prices of other crops are still remunerative and provide satisfactory return on use of fertilisers in raising them.

टेलीविजन के वाणिज्यक प्रयोग के बारे में सम्मेलन

*1483. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 16 से 18 अप्रैल तक टेलीविजन के वाणिज्यिक प्रयोग के बारे में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन का आयोजन तथा उसके लिए वित्त की व्यवस्था देश के लगभग सभी प्रमुख विज्ञापकों द्वारा की गई थी तथा इन सभी ने इसमें भाग लिया था ;

(ग) क्या सरकार इस बात की अनुमति देगी कि भारत में टेलीविजन के आरम्भ होने की प्राथमिक अवस्था में इसका प्रयोग शैक्षिक प्रयोजनों की बजाये मुख्य रूप से वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे समाचार पत्रों के राजस्व पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन का आयोजन इण्डियन सोसाइटी आफ एडवरटाइजर्स, बम्बई द्वारा किया गया था।

(ग) टेलीविजन पर वाणिज्यिक विज्ञापन आरम्भ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

पी० पी० टेलीफोन कालों की दरों में वृद्धि

*1484. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० पी० (विष्शटि व्यक्ति) टेलीफोन कालों की दरों में वृद्धि कर दी गई है :

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है और यह वृद्धि किस प्राधिकार के अन्तर्गत की गई है ; और

(ग) क्या टेलिफोन कालों की दरों में मामले को संसद में लाये बिना किसी भी सीमा तक वृद्धि की जा सकती है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) विशिष्ट व्यक्ति ट्रंक कालों की दरों में 1 मई, 1969 से संशोधन कर दिया गया है।

(ख) विशिष्ट व्यक्ति कालों के प्रभार एक मई, 1969 से संशोधित किये गये थे और वे इस प्रकार हैं।

	मूल ट्रंक काल प्रभार	विशिष्ट व्यक्ति काल प्रभार	
		1-5-69 से पहले	1-5-69 के बाद
	रु०	रु०	रु०
(1)	0.50	0.50	0.25
(2)	1.00	0.50	0.50
(3)	2.00	1.00	1.00
(4)	3.00	1.00	1.50
(5)	5.00	2.00	2.50
(6)	8.00	2.00	4.00
(7)	12.00	4.00	6.00
(8)	16.00	4.00	8.00

दरों में ये संशोधन केन्द्रीय सरकार को भारतीय तार अधिनिमम की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत किये गये थे।

(ग) हालांकि केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है, फिर भी शुल्कदरों में संशोधन करने के लिए बनाये गये नियम प्रथम अवसर मिलते ही संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखने पड़ते है। शुल्क दरों में यह संशोधन भी संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया था।

पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति भूमि रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में बंगला कांग्रेस के महासचिव से ज्ञापन

1485. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला कांग्रेस इस पक्ष में है कि पश्चिमी बंगाल में प्रति व्यक्ति भूमि रखने की अधिकतम सीमा का पुनः निर्धारण किया जाये तथा प्रति व्यक्ति भूमि रखने की 25 एकड़ की विद्यमान अधिकतम सीमा को कम कर दिया जाये और इस सम्बन्ध में अप्रैल 1970 में पार्टी के महासचिव श्री सुशीलधारा द्वारा केन्द्रीय कृषि मन्त्री को एक ज्ञापन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के बारे में बंगला कांग्रेस के विचारों को व्यक्त करते हुए ज्ञापन में प्रति व्यक्ति भूमि रखने की अधिकतम सीमा के स्तर को कम करने के विषय में एक सुझाव दिया गया है। ज्ञापन में और कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। ज्ञापन में दी गई बातों को नोट कर लिया गया है।

Dry Farming Expenditure at Pusa Institute, New Delhi.

1486. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether any experiments have been made in regard to the dry farming at the Pusa Institute, New Delhi.

(b) if so the details thereof ; and

(c) the details of the programme chalked out to benefit from these experiments ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, sir.

(b) and (c). The research programmes under different divisions of the I. A. R. I. include experiments on various aspects of dry land farming. The more important studies made in this field relate to experiments on (i) erosion and soil conservation, (ii) improvement of tillage for better structure and root penetration (iii) organic matter and plant residue management for improving physical and biological characters of soils, (iv) water storage for crop use, (v) Deep placement of fertilisers and foliar feeding (vi) biological nitrogen fixation by efficient strains of rhizobia, specially salt tolerant strains and use of pelletd bacterial cultures under acidic and alkaline soil conditions. (vii) mixed and double cropping instead of single long duration crops, to fit the weather patterns. (viii) Photo-insensitive and quick maturing crops, less affected by drought. (ix) introduction of Soya-bean, high protein maize, macaroni wheat, short duration castor and cotton as well as perennial crops like cashewnut, oil palm, date palm for small scale industry and export earning, (x) high yielding fodder grasses and high protein bajra and (xi) genetic upgrading of nondescript cattle by artificial insemination, using superior Europian breeds acclimatized in tropical parts of Australia.

(c) An action programme for increasing production on in rainfed areas, based largely on the knowledge gathered from the experiments, has been prepared by I. A. R. I. A Rs. 20 crore development programme for pilot projects on dry farming has been formulated under which 24 pilot projects will be taken up in 12 States. To supplement these efforts, I. C. A. R. has formulated as All India Co-ordinated Research Project on dry land agriculture, with a plan outlay of Rs. 1.48 crores. This scheme envisages intensification of multi disciplined research at 24 selected centres representing different moisture deficit zones and soils in the country, with a view to develop new technology to increase production under dry land conditions.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने का अधिकार

1487. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने गृह कार्य मंत्रालय को यह सलाह दी है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल करने का अधिकार नही छीनना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर गृह कार्य मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : इस विषय पर गृह मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में आपस में कुछ परामर्श हुआ है और मामला विचाराधीन है ।

चीनी की खपत

1488. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने हाल ही में जनता से यह अपील की है कि चीनी का अधिक से अधिक उपयोग करें क्योंकि देश में चीनी के फालतू भण्डार जमा हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस समय कितनी फालतू चीनी जमा है ; और

(घ) फालतू चीनी का निर्यात करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा-साहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष चीनी की खपत गत वर्ष की अपेक्षा अधिक हुई है लेकिन सरकार इस खपत में और वृद्धि का स्वागत करेगी ।

(ग) चीनी वर्ष अक्तूबर, 1969 से सितम्बर, 1970 के दौरान कुल आन्तरिक खपत 33 लाख मीटरी टन हो सकती है जबकि चीनी की कुल प्राप्यता पिछले मौसम के बचे स्टाक सहित लगभग 55 लाख मीटरी टन होगी । ऐसी मात्रा जिसका निर्यात की जाने की सम्भावना हो सकती है, के अलावा, जब तक अगले मौसम की चीनी नहीं आती है तब तक बाद के तीन महीनों के दौरान आन्तरिक खपत के लिए लगभग 10 लाख मीटरी टन चीनी की आवश्यकता पड़ेगी ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के उपबन्धों के अधीन भारत 1970 के दौरान लगभग 3·20 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात कर सकता है । लगभग 2·25 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं और निर्यात करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

आकाशवाणी द्वारा रेडियो पीस एण्ड प्राग्रेस के प्रसारणों का रिकार्ड किया जाना

1489. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा रेड़ियो पीस एण्ड प्राग्रेस द्वारा की जाने वाली आलोचना की प्रवृत्ति जानने के लिये उसके प्रसारणों का नियमित रूप से रिकार्ड किया जाता है ;

(ख) यदि हां तो भारतीय राजनीतिक दलों, विशेषकर कांग्रेस (पुरानी), स्वतन्त्र तथा जनसंघ को रूस के इस रेडियो द्वारा की जाने वाली आलोचना किस प्रकार की है ;

(ग) गत एक वर्ष में प्रत्येक के विरूद्ध क्या आरोप लगाये गये है ; और

(घ) क्या आकाशवाणी ने उनका खण्डन किया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसे प्रस्तावों का जवाब देने के लिये गैर सरकारी क्षेत्र में रेडियों को स्थापना की अनुमति देने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) से (घ) आकाशवाणी रेडियो पीस एण्ड प्राग्रेस द्वारा अंग्रेजी में समाचारों तथा टिप्पणियों के प्रसारणों को रिकार्ड करता है ।

2. रेडियो ने कई बार श्री निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाली कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ तथा कुछ अन्य संगठनों की आलोचना की है । इन दलों के विरूद्ध लगाये गये 'आरोपों' स्पष्ट

रूप से बताया नहीं जा सकता। यदि गत एक वर्ष की आलोचना का ब्योरा देना पड़े तो प्रसारणों के काफी भाग पुनः तैयार करने होंगे।

3. आकाशवाणी अन्य संगठनों के प्रसारणों का खण्ड नहीं करता। यह हमारी लोकतन्त्रीय संस्थाओं के कार्य के बारे में कार्यक्रम प्रसारित करता है। सरकार ऐसी आलोचना का जवाब देने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र रेड़ियों की स्थापना को वांछनीय नहीं समझती।

पश्चिमी बंगाल में बेनामी और निहित भूमि का भूमिहीन आदिवासियों और हरिजनों में वितरण

1490. श्री समर गुह : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल में बेनामी और निहित भूमिकों भूमिहीन किसानों, विशेषकर आदिवासियों और हरिजनों में वितरित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल में अवैध रूप से अधिकृत की हुई बेनामी भूमि और निहित भूमि वापिस ले ली गई है अथवा ले ली जाएगी और उसकी उक्त श्रेणियों के भूमिहीन किसानों को वैध रूप से अविलम्ब वितरित किया जायगा ?

खाद्य; कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार द्वारा निहित भूमि को भूमिहीन कृषकों की सुपात्र श्रेणियों अर्थात (1) भूमिहीन कृषि श्रमिकों (2) भूमिहीन बटाईदारों और (3) भूमिहीन छोटे कृषकों में (जिनके पास दो एकड़ से कम भूमि हो) वितरित की जा रही है। इनमें भी आदिवासी व हरिजनों को प्राथमिकता दी जाती है। पश्चिम बंगाल सम्पदा अर्जन अधिनियम की धारा 6 (5) के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के कारण सरकार में निहित बेनामी भूमि के सम्बन्ध में भी यही पद्धति लागू होती है।

सुपर बाजार को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में परिवर्तित करना

1491. श्री यशपाल सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली के सुपर बाजार को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में परिवर्तित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस योजना को लागू करने से क्या लाभ होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एरिंग) (क) इस उद्देश्य का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) दिल्ली प्रशासन का विचार है कि सुपर बाजार को वित्तीय सहायता की जितनी राशि की जरूरत पड़ने की सम्भावना है इसकी व्यवस्था दिल्ली के केन्द्रशासित क्षेत्र के योजना परिव्यय के भीतर नहीं की जा सकती है।

(ग) सुपर बाजार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र के योजना परिव्यय से बाहर होगी।

औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यकारी दल

1492. श्री लोबो प्रभु : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल को इस बारे में प्रतिवेदन देने के लिये कहा जायगा कि उन अन्य श्रमिकों के लिए उसी तरह के कैसे उपाय किये जाने चाहियें, जो कि सरकार द्वारा उनकी अपेक्षा के प्रति सजग होते जा रहे हैं ;

(ख) इस दल द्वारा बेरोजगारी में वृद्धि, जो कि वर्तमान रजिस्टरों में सभी प्रविष्टियों में 14 प्रतिशत तक हुई है और शिक्षित आवेदनकर्त्ताओं में 16.6 प्रतिशत तक हुई है और उनको कम से कम न्यूनतम मजूरी की सामाजिक सुरक्षा देने पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं

(ग) चूंकि जनशक्ति इंजीनियरों और कारीगरों की संख्या वृद्धि पर है तो मंत्रालय ने उनको विदेशों में रोजगार दिलाने के बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, कोई योजनाएं बनाई है तो वे क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों से बाहर है ।

(ग) विकासशील मित्र देशों के विकास कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए फालतू तकनीकी विशेषज्ञों को बाहर भेजने के लिए हमारे मिशनों द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ।

(घ) यह आशा की जाती है कि कृषि विकास के बढ़ते हुए वेग से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने तथा कृषि उद्योग में पहले से लगे हुए व्यक्तियों को और अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त होने की संभावना है ।

छोटे कस्बों तथा गांवों में डाक के वितरण में विलम्ब

1493. श्री न० रा० देवधरे : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में छोटे शहरों, कस्बों तथा गांवों में सामान्य डाक के वितरण में डाकियों द्वारा जानबूझ कर देरी की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) (क) यह कथन ठीक नहीं है कि छोटे शहरों, कस्बों तथा गांवों में सामान्य डाक के वितरण में डाकियों द्वारा जानबूझ कर देरी की जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय प्रसारण और टेलीविजन को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए वांछनीयता

1494. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसारण तथा टेलीविजन को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) तथा (ख) : सरकार की यह नीति है कि प्रसारण तथा टेलीविजन को विदेशी प्रभाव से युक्त रखा जाए।

सिंचाई कूप खोदने के हेतु भूमिगत जल का पता लगाने के सम्बन्ध में कृषकों की सहायता की व्यवस्था

1495. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई कूप खोदने के लिए भूमिगत जल की उपलब्धता का पता लगाने के सम्बन्ध में कृषकों की सहायता करने की कोई सरकारी व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) (क) जी हां।

(ख) तीन एजेन्सियां, अर्थात् भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, कृषि विभाग की समन्वेषी नलकूप संस्था तथा विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई जल विज्ञान संस्थायें भूगर्भ जल विकास कार्यक्रम को बढ़ाने तथा सिंचाई के कुओं। नलकूपों के निर्माण में किसानों की सहायता करने के लिये उपलब्ध भूगर्भ जल संसाधनों की सम्भाव्यता और उसके निर्धारण में लगे हुए हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण मुख्यतः सम्भाव्यता (अधितर भूभौतकीय तकनीकी माध्यम से) तथा जल विज्ञान सम्बन्धी चित्रांकन करने पर ध्यान दे रहा है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा प्रारम्भिक सम्भाव्यता के फलस्वरुप भूगर्भ जल के योग्य समझे जाने वाले क्षेत्रों समन्वेषी नलकूप संस्था समन्वेषी बेधन कार्य (पम्पिंग परीक्षणों सहित) कर रही है । तीसरी योजना के अंत में भूगर्भ जल विकास को और अधिक बढ़ाने से यह महसूस किया गया था कि चालू किये गये कार्यक्रम को बढ़ाने तथा भूगर्भ जल विकास के लिये अपेक्षित दिन-प्रति-दिन की जल भूविज्ञान सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था केन्द्रीय एजेन्सी नहीं कर सकेगी। इसलिये, कृषि विभाग ने राज्यों में जल भूविज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं को स्थापित करने के लिए 1967 में एक केन्द्रीय आयोजित योजना शुरू की है, जो कि शीघ्र सहायता देने के लिये उत्तरदायी हो सके। कई राज्यों ने जल भूविज्ञान सम्बन्धी एककों का पहले से ही स्थापित कर दिया है और अन्य राज्य इन्हें स्थापित करने जा रहे हैं। राज्य संस्थाओं के क्रिया-कलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : (क) उपलब्ध आंकड़ों का संग्रह संकलन तथा विश्लेषण ; (ख) परीक्षण वेदन तथा अन्य अध्ययनों की जानकारी के अन्तर को पूरा करना ;

(ग) विकास योजनाओं को तैयार करना तथा परीक्षण करना ; (घ) भूगर्भ जल से सम्बन्धित गैर सरकारी तथा सरकारी स्थानीय ऐजेन्सियों के उपयोग के लिये उचित कुओं के डिजायन तथा उनकी दूरी को प्रदर्शित करने वाले नक्शों, मार्गदर्शक संकेतों, पैम्फलेटों के रूप में उपलब्ध जल भूविज्ञान सम्बन्धी जानकारी को प्रदर्शित करना तथा (ङ) कुओं के लिए स्थान बताने तथा कुओं के डिजायन एवं पानी निकालने में किस प्रकार तथा किस आकार के साधन इस्तेमाल किये जायें, इन मामलों में किसानों को परामर्श-सेवा उपलब्ध कराना ।

भारतीय फिल्मों के स्तर में सुधार

1496. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्में विषय–वस्तु तथा प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में पश्चिमी देशों और रूस में निर्मित फिल्मों जैसी ही है; और

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय फिल्मों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रत्येक फिल्म चाहे वह भारत में बनी हुई हो या विदेश में, का विषय, तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का स्तर स्वाभाविक रूप से उसका अपना होता है । अतः भारतीय फिल्मों तथा विभिन्न पश्चिमी देशों और रूस में बनी फिल्मों के बीच सामान्यित तुलना करना उचित नहीं होगा । सर्वोत्तम भारतीय फिल्में पश्चिमी देशों तथा रूस में बनी सर्वोत्तम फिल्मों जैसी होती हैं और उन्हें कई फिल्म समारोहों में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Seizure of Syrian Sugar Market by Pakistan

***1497. Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sugar being supplied to Syria by India will henceforth be supplied by Pakistan;

(b) if so, whether it is also a fact that the sugar industry will have to face a crisis as a result thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperntion (Shri Anna Saheb P. Shinde) : (a) No, Sir, India is not a traditional supplier of sugar to Syria. It was only in the year 1963 that a small quantity of about 21,000 tonnes of raw sugar was exported to Syria.

(b) and (c) . Do not arise.

विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से बडे नगरों में दुग्धशाला परियोजनायें

1498. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से दुग्धशाला परियोजना के ब्योरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न नगरों में उक्त परियोजना के आरम्भ होने की सम्भावित तिथि क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त परियोजना पर आरम्भ में कुल कितनी राशि लगाई जायेगी; और

(घ) नगरों से पशुओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने पर कुल कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। भारत में दुग्ध विपणन और डेरी विकास सम्बन्धी एक योजना की क्रियान्विति के लिए 4 मार्च, 1970 को भारत सरकार तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) ज्यों-ही विश्व खाद्य कार्यक्रम से पदार्थ प्राप्त हो जायेंगे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की सरकारी क्षेत्र की चारों योजनायें सप्रेटा दूध चूर्ण और मक्खन से दुग्ध तैयार करना शुरू कर देंगी। सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और मक्खन की पहली खेप भारतीय पत्तन पर जून, 1970 के मध्य में आने की सम्भावना है।

(ग) भारतीय डेरी निगम लिमिटेड के लिए मूल अंश पूंजी के रूप में सरकार 1 करोड़ रुपये लगायेगी। निगम दूध विपणन और डेरी विकास परियोजना को अनुमानित 95.40 करोड रुपये की लागत से चलायेगी और यह राशि विश्वखाद्य कार्यक्रम से प्राप्त पदार्थों की बिक्री से उपलब्ध होगी।

(घ) लगभग 15.40 करोड़ रुपये।

कृषि फार्मों तथा फलों के बागानों के मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र में लाने के लिए उनका सर्वेक्षण

***1499. श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि फार्मों और फलों के बागानों के मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिये उनका सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण को पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो श्रमिकों के इस वर्ग की, जोकि सबसे कम मजूरी पा रहा है, उपेक्षा क्यों की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इन प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को लागू करने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कृषि फार्मों, फलों के बगीचों, इत्यादि का एक सर्वेक्षण पहले ही कर रहा है।

(ख) इस समय कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है क्योंकि सर्वेक्षण समाप्त होने के पश्चात इस मामले पर आगे विचार करने की आवश्यकता होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता के अधिकारी द्वारा धोखा

1500. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में भारतीय खाद्य निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सरकार के 5,42,000 रुपयों का धोखे से दुर्विनियोग किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिकारी ने 26 मार्च, 1970 को पूरे मामले से सम्बन्धित कागजात कार्यालय से निकाल लिए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। निगम के अधिकारी द्वारा जारी किए गए कथित अनाधिकृत पत्र के आधार पर कलकत्ता की एक रोलर फ्लोर मिल्ज ने उन्हें सप्लाई किए गए गेहूँ का भारतीय खाद्य निगम को 5,42,295 रुपये का देर से भुगतान किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) मिल ने इस राशि का भुगतान कर दिया है। सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है और यह मामला केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया गया है।

गंगनहर और भाखड़ा नहर को पानी उपलब्ध करना

अ०सू०प्र०30. श्री पन्ना लाल बारूपाल : श्री तुलमोहन राम :
श्री हरदयाल देवगुण : श्री भोलानाथ मास्टर :
श्री रामजी राम :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को नहरी पानी देना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो श्री गगानगर में गंगनहर तथा भाखड़ा नहर को पानी उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त नहरों में पानी न होने के कारण इस गर्मी के मौसम में स्थानीय जनता को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि उनके जीवन के लिए भी खतरा पैदा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई व बिजली मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी हां।

(ख) गंगनहर को और राजस्थान की भाखड़ा नहरों को पानी की सप्लाई पाकिस्तान से ले लिये गये पानी को ध्यान में रख कर उनके भागों के अनुसार की जा रही है।

(ग) इस समय पीने के लिए पानी देने हेतु नहरें पारी से चलाई जा रही हैं। क्योंकि गांवों में पानी को संचित करने के प्रबन्ध पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये गंगनहर और भाखड़ा के कुछ क्षेत्रों में पेय जल की कठिनाई है।

(घ) शुष्क महीनों के दौरान नहरों की सप्लाई स्थिति में स्थायी सुधार पोंग बांध के पूरा होने पर संभव हो जाएगा।

Smuggling of Foodgrains on Borders of Madhya Pradesh and Maharashtra

8807. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of cases of food smuggling deteched in the areas at the boundary of Madhya Pradesh and Maharashtra in the year 1969-70;

(b) the value of the foodgrains recovered;

(c) whether some specific steps are being taken to check the smuggling in foodgrains effectively in the State of Madhya Pradesh; and

(d) if so, the complete details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. & Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a), (b), (c) and (d) . Reports have been called for from the Government of Madhya Pradesh and Maharashtra and are awaited.

आकाशवाणी में गन्दगी की स्थिति

8808. श्री बाबू राव पटेल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के रिकार्डिंग स्टूडियो की कितने कितने समय बाद सफाई की जाती है तथा मक्खियां बाहर निकाली जाती है;

(ख) दिल्ली केन्द्र में सफाई और स्वास्थ्यकर अवस्था बनाये रखने के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के नाम क्या है;

(ग) अनेक शौचालयों के सारे दिन गन्दे और बन्द रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) आकाशवाणी का दिल्ली केन्द्र सुपर बाजार जैसा क्यों दिखायी देता है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) स्टूडियो की पूर्ण रूप से सफाई दिन में एक बार तथा स्थान की सफाई दिन भर सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक की जाती है।

(ख) श्री ए० सी० आनन्द, स्टूडियो एक्जीक्यूटिव तथा श्री एच० एन० बनर्जी, केयर टेकर।

(ग) कोई भी शौचालय दिनों तक गंदा तथा बन्द नहीं रहा हैं।

(घ) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र तथा सुपर बाजार के बीच तुलना का कोई प्रश्न नहीं है।

वनों पर व्यय में कमी

8809. श्री राजदेव सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केन्द्रीय तथा राज्यों के क्षेत्र में वनों के लिए किये गये वित्तीय प्राविधानों की तुलना में वास्तविक व्यय में निरन्नतर कमी होती रही है;

(ख) क्या सरकार का यह मत हो गया है कि वन व्यर्थ मद है और उसे अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्यों और केन्द्रीय दोनों क्षेत्रों में वन विकास योजनाओं के बारे में प्रतिशत उपयोगिता सहित वित्तीय उपबन्धों और व्यय के अखिल भारतीय आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(रुपये लाख में)

	आवंटन	व्यय	प्रतिशत उपयोगिता
राज्य क्षेत्र	7435	6924	930
केन्द्रीय क्षेत्र	934	641	690

(ख) जी नहीं। विभिन्न वन उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही वन क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया गया है। प्रथम योजना के 850 लाख रुपये के व्यय की तुलना में तीसरी योजना की अवधि में 4590 लाख रुपये से भी अधिक व्यय हुआ है और चौथी योजना में 9230 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

विभिन्न वन विकास गतिविधियों में मानव द्वारा लगाये हुए वनों का विकास करना, काष्ठ–निष्पति की तकनीकों में सुधार करना, उपयुक्त मौसमी तथा परिरक्षी उपचार के पश्चात कम जानी पहचानी किस्मों की उपयोगिता को बढ़ाना और गूदा तथा कागज उद्योग आदि में सख्त लकड़ी के प्रयोग को बढ़ाना शामिल है।

विभिन्न वन उद्योगों के लिए विशिष्ठ कच्ची सामग्री की उपलब्धि का निर्धारण करने के लिए 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम खाद्य और कृषि संगठन भारत सरकार परियोजना अर्थात वन संसाधनों का निवेश–पूर्व सर्वेक्षण शुरू किया गया था। इस परियोजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात यह पूरी तरह से भारत सरकार की परियोजना के रूप में चल रही है। बरबादी कम करने और मितव्ययता के विचार से काष्ठनिष्कासन के औजारों और तकनीकों में सुधार लाने के लिए इस समय काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना भी चल रही है।

देश में वन क्षेत्र के सघन और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए 1952 में केन्द्रीय सरकार के स्तर पर एक अखिल भारतीय नीति निकाय अर्थात केन्द्रीय वन मण्डल का गठन किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कुल वन क्षेत्र तथा उस पर व्यय

8810. श्री राज देव सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कुल बनों के बारे में सभी जानकारी तथा तथ्य हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल कितना वन क्षेत्र है; और

(ग) वनों के प्रशासन तथा उनके विकास पर व्यय का अलग अलग ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। सरकार के पास देश के सारे वनों के बारे में आंकड़े तथा तथ्य उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1966–67 के दौरान देश में कुल वनभूमि का क्षेत्र 75,351 हजार हैक्टार था।

(ग) सन् 1966–67 के दौरान देश में बनों के प्रशासन तथा उनके विकास पर 52.04 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वनों के प्रशासन तथा उनके विकास पर हुये खर्च के अलग आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय कार्यक्रम का आकाशवाणी केन्द्रों से सीमा प्रसारण

8811. श्री बाबूराव पटेल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कितने केन्द्रों से राष्ट्रीय कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाता है और क्या प्रत्येक केन्द्र के लिए कार्यक्रम की एक विशेष प्रति तैयार की जाती है;

(ख) राष्ट्रीय कार्यक्रम की कुल कितनी प्रतियां तैयार की जाती है और कार्यक्रम के प्रसारण के बाद उसकी कितनी प्रतियां नष्ट कर दी जाती है;

(ग) केन्द्रीय संगीत यूनिट के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जो राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्वीकृति देते हैं और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सदस्य की क्या क्या विशेष योग्यताएं हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम के टेप आकाशवाणी के अभिलेखागारों में रखे जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो किस किस विषय पर; और

(च) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 16

(ख) 16 प्रतियां बनाई जाती हैं, परन्तु प्रसारण के बाद ये सभी नष्ट कर दी जाती है और मूल प्रति मूल केन्द्र को वापिस भेज दी जाती है।

(ग) (1) डा० के० सी० डी० बृहस्पति, मुख्य संगीत सलाहकार। यह एम० ए०, पी० एच० डी, डी० एम० यू० एस०, महामहोपाध्याय, विद्यामार्तण्ड है।

(2) श्रीमती वी० एस० राम, उप मुख्य प्रोड्यूसर, संगीत। यह संगीत विशारद है।

(3) श्री दिनकर कैकिनो, संगीत प्रोड्यूसर। यह संगीत विशारद तथा 'ए' ग्रेड के प्रख्यात संगीतज्ञ हैं।

(4) श्री ईमानी शंकर शास्त्री, मुख्य प्रोड्यूसर, करनाटक संगीत। यह एक प्रख्यात वीणा कलाकार हैं और उच्चतम कोटि में आते हैं।

(5) श्री अनिल बिस्वास, मुख्य प्रोड्यूसर, सुगम संगीत (हिन्दी)।

(घ) तथा (ङ) . जी, हां। वाद्य तथा यन्त्र दोनों के संगत के टेप रखे जाते हैं, परन्तु यह संगीतज्ञ के कार्यक्रम के स्तर तथा उसकी प्रसिद्धि आदि पर निर्भर करता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यानों का रक्षित भण्डार

8812. श्री हिम्मत सिंहका : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में रक्षित भंडार में प्रत्येक किस्म का कितना खाद्यान्न और जमा किया जायेगा; और

(ख) उनमें से प्रत्येक किस्म के कितने खाद्यान्न का आयात किया जायेगा और इन रक्षित भंडारों को 1970 में देश में होने वाले उत्पादन में से कहां तक भरा जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) 1970 के अन्त तक 35 लाख मीटरी टन गेहूं और चावल का बफर स्टाक तैयार करने का विचार है। यह स्टाक पाइप लाइन स्टाक जो कि चालू खपत की आवश्यकताओं के लिए होता है, के अलावा होगा। गेहूं और चावल के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) पंचांग वर्ष 1970 के लिए 40 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने का अन्दाजा लगाया गया है जिसमें 37 लाख मीटरी टन गेहूं और शेष चावल होगा। सरकार के पास खाद्यान्नों के स्टाक में देश में अधि-प्राप्त तथा विदेशों से मंगाए गए खाद्यान्न होते हैं। चालू खपत के लिए पुराने स्टाक का उपयोग कर और उसके स्थान पर नया स्टाक भर कर हमेशा स्टाक की अदला–बदली होती रहती है। किसी तारीख विशेष को सरकार के पास उपलब्ध स्टाक में बफर स्टाक तथा चालू खपत के लिए अपेक्षित स्टाक शामिल होता है। इन को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि बफर स्टाक तैयार करने के लिए कितना स्टाक आन्तरिक उत्पादन और कितना विदेशी आयातों से लिया जाएगा :

भूमि पर आधारित टेलीविजन तन्त्र

8813. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के लिए भूमि पर आधारित टेलीविजन तन्त्र अधिक लाभदायक रहेगा; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। देश में टेलीविजन का ढांचा रूढिगत टेलीविजन ढांचा होगा जो भूमि पर आधारित है तथा उस क्षेत्र, जहां यह स्थित है, की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

(ख) विकास के वर्तमान चरण के दौरान बम्बई, श्री नगर, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर/लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। भूमि पर आधारित टेलीविजन कार्य बाद के चरणों में हाथ में लिया जायेगा।

आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली के वाद्यों का मूल्य

8814. श्री बाबू राव पटेल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के पास कितनी संख्या में तथा कितने प्रकार के वाद्य हैं और उनका मूल्य कितना है, उनमें से कितने वाद्य चालू हालत में हैं;

(ख) उनको किस प्रकार रखा जाता है और उनकी दिन प्रतिदिन देखभाल कैसे की जाती है और कितने कितने समय बाद उनकी धूल झाड़ी जाती है;

(ग) क्या वाद्यों को दिन प्रतिदिन देने तथा वापिस लेने का रिकार्ड रखने के लिए कोई रजिस्टर बना है;

(घ) यदि हां, तो रजिस्टर को रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वाद्यों की देखभाल करने के लिए कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है और उनका वार्षिक वेतन कितना है; और

(च) एक दर्जन पखावजों (दो ओर वाले ड्रमों) को स्टूडियो संख्या 2 में खड़ा करके रखने और यहां तक कि उन्हें भूमि की धूल और तापमान से बचाने के लिए गद्दों से ढक कर न रखे जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3427/70]**

(ख) यन्त्रों को रखने के लिए ताला लगने वाले विशेष प्रकार के ऊपर से ढके हुए रेक तथा स्टील के ट्रंक स्टोर रूम में हैं। यन्त्रों के लिए कुछ रेक संगीत स्टूडियों में भी हैं। संगीत स्टूडियो में कुछ स्टैंड भी उपलब्ध किए हुए हैं ताकि यन्त्रों को, जब वे प्रयोग में न हो, उन पर ठीक प्रकार से रखा जा सके। यन्त्रों की रोजना सफाई की जाती है।

(ग) दो अलग अलग रजिस्टर रखे हुए हैं;–एक कलाकारों को यन्त्र देने के लिए और दूसरा बाह्य कार्यक्रम प्रसारण के लिए यन्त्र जारी करने के लिए।

(घ) तथा (ङ) यन्त्रों की देखरेख करने के लिए दो केयरटेकर हैं श्री वी० एस० मणि तथा श्री के० कृष्णस्वामी। स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में इन्हें प्रति वर्ष क्रमशः 5575.20 रुपये तथा 4925.40 रुपये मिलते हैं।

(च) केन्द्र पर 7 पखावज तथा 16 मृदंगम हैं। प्रतिदिन के प्रयोग के लिए स्टूडियो नं० दो में केवल तीन या चार पखावज तथा पांच या छः मृदंगम रखे जाते हैं। इन्हें स्टूडियों में बायनों के साथ फर्श पर रखा जाता है जिम पर दरियां बिछी हुई होती हैं। अतः उनके नीचे कुशन रखने की आवश्यकता नहीं है।

आमों का निर्जलीकरण (डीहाइड्रेशन)

8815. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमों के निर्जलीकरण के सम्बन्ध में हाल ही में प्रयोग किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकलें हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां। केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसन्धान संस्थान मैसूर में आमों के निर्जलीकरण के सम्बन्ध में अभी हाल ही में कुछ प्रयोग किये गये हैं।

(ख) कच्चे आम और आम के गूदे से आम के खाद्य फ्लेक्स, अमचूर और आमपापड़ जैसे उत्पाद सफलता–पूर्वक तैयार किये गये हैं। कुछ औद्योगिक संस्थाओं ने इन में से कई उत्पादों का उत्पादन पहले ही प्रारम्भ कर दिया है

महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अच्छी किस्म के खाद्यान्न और तिलहन खुरासानी की फसलें

8816. **श्री ज० मं० कहानडोल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के नासिक, धुलिया, थाना और चन्द्रापुर जिलों के आदिम जाति क्षेत्रों में नागली और वारायी खाद्यान्नों और महत्व-पूर्ण तिलहन खुरासानी की मुख्य रूप में खेती होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि अच्छी किस्म के बीज तैयार करने के लिए उनके अनुसंधान की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले कोई कार्य किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस समय इस बारे में क्या किया जा रहा है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने मोटे अनाजों–नागली (एल्यूसिन कौराकाना) तथा बाराई (पानीकम मिलियासियम) की श्रेष्ठ उत्पादनशील किस्मों के चुनने के लिए कुछ कार्य किया है, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय समन्वित मोटे अनाजों के सुधार की एक परियोजना तैयार की है और उसे कार्यान्वित करने के लिए चालू कर दिया गया है। बाजरी तथा नागली एवं बाराई सहित कम मोटे अनाजों के सुधार के लिए चौथी योजना की अवधि में 60 लाख रुपये की कुल लागत अनुमानित है। इस योजना के अधीन एक केन्द्र बीजापुर (महाराष्ट्र) में स्थापित किया गया है।

खुरासानी, जो कि खरासानी अजवाइन (हाइओसिमस नाइगर) के रूप में जाना जाता है, एक बूटी है जिसकी पत्तियां औषधि के रूप में तथा बीज (जिनमें आवश्यक तेल होता है) मसालों के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित औषधीय तथा एरोमैटिक पौधों के क्षेत्रीय केन्द्रों को स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय योजना के अन्तर्गत इस पौधे के सुधार के लिए अनुसंधान शुरू किया गया हे।

महाराष्ट्र के लिए निर्धारित चीनी का मूल्य

8817. **श्री ज० मं० कहानडोल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महाराष्ट्र स्थित चीनी कारखानों में उत्पादित चीनी के मूल्य कम निर्धारित कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कम मूल्यों के कारण होने वाली हानि के लिए चीनी कारखानों तथा गन्ना उत्पादकों को राज सहायता देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . जी नहीं। देश के शेष भागों की तरह महाराष्ट्र में चीनी कारखानों के लेवी–चीनी के निकासी मूल्य टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित जोनों और लागत अनुसूचियों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। आयोग द्वारा ये लागत अनुसूचियां प्रत्येक जोन में चुने हुए प्रतिनिधि कारखानों के उत्पादन की वास्तविक लागत को ध्यान में रखने के बाद तैयार की गई थी। लेवी मूल्य निर्धारित करते समय सम्बन्धित जोनों में कारखानों की औसत अनुमानित वसूली और पिराई मौसम की औसत अवधि को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नासिक जिले के आदिमजाति खंडों में खेतों पर बन्ध बनाने के लिए राज सहायता

8818. श्री ज० म० कहानडोल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक जिले के आदिम जाति खण्डों में खेतों पर बन्ध बनाने के लिए राज सहायता देने की कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि इस बारे में किये गये कार्य के तुरन्त बाद प्रथम मानसून से ही बहुत से बन्ध बह जाते हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इसलिये सरकार यह आवश्यक समझती है कि उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जाये और किसानों को यह सलाह दी जाये कि सरकार तथा किसानों को हुने वाली क्षति को रोका जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां। नासिक जिले के आदिम जाति क्षेत्र सहित समस्त महाराष्ट्र राज्य में बांध की लागत का 25 प्रतिशत भाग राज सहायता के रूप में दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

नासिक में कागज की लुगदी बनाने के कारखाने

8819. श्री ज० मं० कहानडोल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नासिक जिले के जन जाति क्षेत्रों में जंगलों में टीक, बांस और आपता और तेम्भूरनी के पत्ते बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नासिक में सरकारी क्षेत्र में इनसे सामान तैयार करने के कारखाने या कागज की लुगदी जैसे लघु उद्योग खोलना उचित समझती है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजनाएं सरकार के सामने हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क), (ख), (ग) और (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में केन्द्रीय श्रम कानून लागू करना

8820. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय श्रम कानून लागू करने के लिए और आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या औद्योगिक अशान्ति का एक सबसे बड़ा कारण केन्द्रीय श्रम कानूनों का लागू न करना भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय के अधीन जो एक सरकारी उपक्रम है, उस पर संगत केन्द्रीय श्रम कानून पहले ही लागू है ।

Setting up of Factories for producing Organic Manure from Garbage.

8821. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of big cities where Government propose to set up factories for producing good quality organic manure from the garbage of the cities on the basis of the new technique; and

(b) the progress made so far in this connection and whether such a factory would also be set up in Delhi?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Government have no proposal to set up factories for producing organic manure from city garbage. The Govt. have, however, been recommending to the State Governments that to start with, the compost plants to manufacture organic manure from city garbage, may be set up on pilot basis by interested Municipal Corporations/Committees. A few Municlpal Corporarions not-ably Delhi, Poona, Ahemdabad, Calcutta and Bangalore have shown their keenness in setting up of such plants. These Corporations have been advised to secure funds from commercial banks for the purpose. The Agricultural Refinance Corporation is likely to extend refinance facilities

to such banks. The Government of Mysore and Delhi Administration have also provided necessary funds in their 4th Plan for giving financial assistance to the Corporations of Bangalore and Delhi respectively for setting up of compost plants.

(b) The Poona Municipal Corporation has already invited tenders for supply of compost plant machinery which are, at present, under scrutiny. The Delhi Municipal Corporation is taking action to secure loan either from Agricultural Finance Coporation or from State Bank of India. The Corporation has also approached the Ministry of Home Affairs to grant permission for raising the loan.

धनबाद तथा आसनसोल क्षेत्रों में खान मालिकों द्वारा श्रम विधियों का उल्लंघन

8822. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज-विरोधी तत्वों की सहायता से धनबाद तथा आसनसोल क्षेत्रों में खान मालिक श्रम विधियों का उल्लंघन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन खानों में अनुचित श्रम प्रथा को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) तथा (ख). श्रम विधियों के उल्लंघन अथवा अनुचित श्रम प्रथाओं के बारे में जब शिकायतें प्राप्त होती है तो उन पर ध्यान दिया जाता है और प्रवर्तन व्यवस्था द्वारा जहां भी आवश्यक हो, उचित कार्यवाही की जाती है। यह कहना ठीक नहीं है कि कानूनों का सामान्य रूप से उल्लंघन करने दिया जाता है अथवा दण्ड नहीं दिया जाता है।

इम्पेक्ट पब्लिकेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारियों के नाम

8823. श्री स० चं० सामन्त : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के समाचार-पत्र रजिस्ट्रार को प्रस्तुत और 14 मार्च, 1970 के सिटीजन एण्ड वीक एण्ड रिव्यू में प्रकाशित, इम्पेक्ट पब्लिकेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारियों की सूची में नामों का उल्लेख न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत, समाचार-पत्र के प्रकाशक को प्रेस रजिस्ट्रार को अपने वार्षिक विवरण में तथा प्रत्येक वर्ष की फरवरी के अन्तिम दिन के बाद के पहले अंक में प्रकाशित किए जाने वाले विवरणों में उन्हीं व्यक्तियों को जो इसके स्वामी होते हैं और पार्टनरों या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक राशि के शेअर होल्डरों के नाम और पते देने होते हैं। इम्पेक्ट पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेट पाक्षिक "दि सिटीजन एंड वीकैंड रिव्यू" को निकालता है। प्रकाशक ने कलेन्डर वर्ष 1969 के लिए अपने वार्षिक विवरण में स्वामित्व के बारे में अपेक्षित जानकारी प्रेस रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की है। जैसा कि समाचार पत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली के सम्बन्धित नियम के अन्तर्गत अपेक्षित हैं, प्रकाशक ने 28 फरवरी, 1970 के बाद के पहले अंक में भी निर्धारित

फार्म में 10 मार्च, 1970 के दिन कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक राशि के शेअर होल्डरों के नाम और पते प्रकाशित किए हैं।

कोलिन रोजर का भारतीय कम्पनी के साथ सहयोग

8824. श्री स० चं० सामन्त : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलिन रोज़र नामक किसी व्यक्ति ने नई दिल्ली के श्री प्राण चोपड़ा के साथ सहयोग करार किया है ;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत इस सहयोग का क्षेत्र तथा शर्तें क्या क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने दूतावासों, इंग्लैंड और अमरीका में उच्चायोगों और कलकत्ता में सुरक्षा नियन्त्रण पुलिस से किसी कोलिन रोज़र के अस्तित्व में होने के बारे में पता लगाया है जो कि अब प्रत्यक्षतः ओल्ड डनिग्स, स्वैलोन फील्ड रोड, अरबोर फील्ड क्रास वर्कशायर में रह रहा है जब कि वास्तव में वे अब भारत में स्थित वैदेशिक प्रतिष्ठान (फारेन फाउंडेशन) का एक अधिकारी है ; और

(घ) क्या इस कोलिन रोज़र ने श्री जय प्रकाश नारायण के संरक्षण में चल रही किसी लिमिटेड कम्पनी में धन लगाया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) से (घ) तक : माननीय सदस्य कृपया 5 मई, 1970 को लोक सभा के प्रश्न संख्या 1434 के दिए गए उत्तर को देखें। मैसर्ज दि इम्पैक्ट, पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड पाक्षिक "सिटीजन आन वीकैण्ड रिव्यू" नई दिल्ली के प्रकाशक हैं। श्री जय प्रकाश नारायण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।

शिक्षाप्रद फिल्में

8825. श्री लोबो प्रभु : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने फिल्मों को चरित्र निर्माण और बेहतर रहन-सहन सम्बन्धी सूचना देने का माध्यम बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं ;

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त विषयों पर जानकारी देने वाली प्रत्येक भाषा की फिल्मों को वार्षिक पुरस्कार देने की योजना बनायेगी ;

(ग) क्या साधारण सैटों से कम पूंजी लगाकर बनाई गई ऐसी फिल्मों को पुरस्कृत करेगी, जिनमें कथा यथार्थता पर आधारित होगी और जो कम खर्च पर फिल्मों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने में सहायक होगी ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया जायेगा कि जो फिल्में शैक्षिक महत्व की प्रमाणित की जाती हैं, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाये जाने पर मनोरंजन कर से छूट दी जाये ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) डाकुमेन्ट्री फिल्मों तथा समाचारचित्रों, जिनमें से कुछ राष्ट्रीय समस्याओं से भी सम्बन्धित होते हैं, के निर्माण और रिलीज करने के अतिरिक्त इस मन्त्रालय ने राष्ट्रीय एकता तथा अन्य सामाजिक तथा शैक्षिक फिल्मों सहित फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देना भी प्रारम्भ किया है। फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, जो एक सार्वजनिक अन्डरटेकिंग है, के द्वारा निर्माताओं को ऋण देने की योजना भी चालू हैं।

(ख) राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पहले ही क्षेत्रीय भाषाओं की उत्कृष्ट फिल्में आती है।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि उच्च तककीकी स्तर और सौन्दर्यात्मक मूल्यों वाली फिल्मों के निर्माण को पुरुत्साहित करने के लिये दिये जाते हैं, उन सभीं प्रकार की फिल्मों के लिये जो अपेक्षित स्तर की होती है।

(घ) जी नहीं। मनोरंजन कर से छूट राज्यों का विषय है और फिल्म प्रदर्शकों को अलग अलग मामलों में छूट लेनी होगी। हां, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा शैक्षिक महत्व की फिल्मों को निशुल्क रूप से दिखाया जाता है।

छोटी सिंचाई निगम की स्थापना

8826. **श्री भगवान दास :**
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री उमानाथ :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की तरह राज्यों में छोटी सिंचाई निगम की स्थापना करने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) राज्य सरकारों से उनकी कुल कितनी योंजनाएं प्राप्त हुई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) (क) और (ख) : कृषि विभाग का प्रस्ताव था कि सिंचाई और बिजली मन्त्रालय द्वारा स्थापित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के आधार पर एक लघु सिंचाई निगम की स्थापना की जाये। प्रस्ताव में राज्य के प्रगतिशील क्षेत्रों में सक्षम लघु सिंचाई योजनाओं (अधिकांशतः नलकूप, उठाऊ सिंचाई और मंडारण कार्य) की वित्तीय सहायता के लिये एक विशेष निधि की व्यवस्था थी। किन्तु और अधिक विचार करने के उपरान्त इस प्रस्ताव को उचित नहीं समझा गया क्योंकि राज्यों में अभी तक कोई ऐसी उपयुक्त ऐजेन्सी (जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सम्बन्ध में राज्य विद्युत मंडल) नहीं थी जिसे कि प्रस्तावित निगम द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये ऋण प्रदान किया जा सके इसका एक अन्य कारण यह भी था कि कृषि पुनर्वित निगम द्वारा पहले ही भूमि विकास बैंकों के

माध्यम से लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये अपनी निधि का अधिकांश भाग नियतित किया जा रहा था।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

ग्राम बखाला में श्री नाथू सिंह को दिल्ली प्रशासन द्वारा प्लाट का आवंटन

8827. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के ग्राम बखाला में वर्ष 1951 में श्री नाथू सिंह को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य पुनर्वास बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा एक बीघा (अर्थात् 1008 वर्ग गज) वह रिहायशी भूमि अस्थाई तौर पर आवंटित की गई थी जो पहले कुछ मुसलमानों की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उसके पश्चात् उसके हक के अनुसार तत्कालीन पुनर्वास मन्त्रालय, नई दिल्ली, द्वारा कुछ दूसरी रिहायशी भूमि उसको स्थायी रूप से आवंटित कर दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री नाथू सिंह को अस्थायी रूप से आवंटित रिहायशी भूमि को प्लाट नम्बर दिया गया था और अस्थायी आवंटन आदेश को रद्द किये बिना उस प्लाट की पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा उसी स्थल पर नीलामी कर दी गई थी ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) तथा (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, उनके मन्त्रालय द्वारा उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) के हितों की रक्षा के लिए उस बीच क्या कार्यवाही की गई हैं जिसने सबसे ऊंची बोली देकर सार्वजनिक नीलामी में उस भूमि को खरीदा था ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) श्री नाथू सिंह को मासिक किराया के आधार पर किये गये अस्थायी आवंटन को इस बीच 23 जुलाई, 1969 को रद्द कर दिया गया था। रद्द किये गये इस आवंटन के बारे में उनकी अपील को भी रद्द कर दिया गया है और यह निर्णय किया गया है कि इस सम्पत्ति पर उसका कोई दावा नहीं है अथवा उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। नीलामी में खरीदने वाले व्यक्ति को खाली जगह का कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।

Land Reforms Laws

8828. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the scheme formulated by Government to bring about radical change in the laws regulating tenancy rights with a view to check increasing incidents of violence has been finalised ;

(b) whether Government propose to take some legal and administrative action for giving a new direction to the land reforms laws and to abolish the monopolistic system of land ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d) . Measures have been taken in a number of States for comprehensive land reforms. At the Chief Ministers' Conference on Land Reforms held in November, 1969, emphasis was laid on the need for taking similar steps in other States by removing gaps in legislation and in implementation. A statement summarising the recommendations made by the Chief Ministers' conference for further measures relating to land reforms has already been placed on the Table of the Lok Sabha on December, 2, 1969 in connection with Calling Attention Notice. Land being a State subject, these recommendations have to be pursued by each State Government in the light of local conditions and in response to local deeds.

1969–70 में चीनी का उत्पादन

8830. श्री जुगल मंडल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70 में, राज्यवार, कुल चीनी का उत्पादन हुआ है और विभिन्न चीनी के कारखानों से, राज्यवार कितनी चीनी अब तक प्राप्त की गई है ; और

(ख) सरकार को आन्तरिक खपत और निर्यात के लिये कितनी चीनी की आवश्यकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1969–70 (पहली अक्तूबर, 1969 से 30 सितम्बर, 1970 तक) के दौरान 21 अप्रैल, 1970 तक चीनी का उत्पादन 35.46 लाख मीटरी टन हुआ था । एक विवरण संलग्न है जिसमें 1969–70 के दौरान 22 अप्रैल, 1970 तक राज्यवार उत्पादन और 7 अप्रैल, 1970 तक गन्ने से चीनी की प्रतिशत उपलब्धि बतायी गयी है ।

(ख) 1969–70 में चीनी की आन्तरिक खपत अनुमानत: 33 लाख मीटरी टन के आस पास होगी । चीनी का निर्यात पंचांग वर्ष के आधार पर किया जाता है । 1969 में 94,000 मीटरी टन चीनी निर्यात की गई थी । 1970 में लगभग 2.25 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं और निर्यात करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

विदेशी सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण

8831. श्री नम्बियार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ही भारतीय फर्म अथवा तीनों प्रकार के ट्रैक्टरों के निर्माण से सम्बन्धित एक व्यक्ति के लिये रूमानियां, पूर्वी जर्मनी, तथा पश्चिमी जर्मनी के साथ ट्रैक्टरों के निर्माण में सहयोग का अनुमोदन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन तीन देशों से कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया ; उनका कुल मूल्य कितना है तथा कितने क्रयादेश निलम्बित पड़े हैं और कितने देने हैं ; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश कृषि उद्योग निगम द्वारा उनमें से आदि रूप (प्रोटोटाइप्ड) ट्रैक्टरों को बड़ी संख्या में अस्वीकार किया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ने सर्वश्री प्रेम कृषि इन्जिनियरिंग निगम नई दिल्ली, द्वारा मैसर्स औद्योगिक निर्यात, रूमानिया के सहयोग से रूमानिया ट्रैक्टरों (50 अश्व शक्ति के यू–500 और 65 अश्व शक्ति के यू–650 और 651 के प्रतिवर्ष 5,000 ट्रैक्टरों के निर्माण के प्रस्ताव को भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप में मंजूर कर लिया है। इसके अतिरिक्त 20 अश्व शक्ति के आर० एस०–09 के प्रतिवर्ष 10,000 ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए सर्वश्री ट्राक्टोरेनवर्के चौइनिवैक, बर्लिन, पूर्वी जर्मनी के सहयोग से सर्वश्री भारतीय कृषि मशीन, बम्बई की एक अन्य योजना को भी सिद्धान्त रूप में मंजूर कर लिया गया है। इन दोनों एककों ने संयुक्त रूप से एक फैक्टरी (यूनाइटिड आटो ट्रैक्टर, हैदराबाद) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें से किसी पक्ष ने भी अपने मूल अभ्यावेदन या सहयोग प्रस्तावों में निदेशकों के नाम नहीं दिए थे और बाद में नाम प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया था। उस समय उपलब्ध सामग्री से कोई ऐसा निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं था कि इन दोनों आवेदन-पत्रों में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है। संशोधित लाइसेन्सिग नीति के अनुसार उपरोक्त एककों को औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्र देने के लिए कहा गया है।

जहां तक पश्चिम जर्मनी के सहयोग का सम्बन्ध है, तीन योजनाओं अर्थात (1) मैसर्स किलोस्कर ब्रादर्स लि०, पूना द्वारा पश्चिम जर्मनी के मैसर्स क्लाकनर हम्बोल्डट् ड्यूट्स ए जी कोलन के सहयोग से ड्युट्स ट्रैक्टरों का निर्माण करने, (ii) मैसर्स परफैक्ट ट्रैक्टर लि० पटियाला द्वारा मैसर्स रेहिन्सटाहल हानोभाग, पश्चिम जर्मनी के सहयोग से हानोभाग ट्रैक्टरों का निर्माण करने और (iii) ज० आर केमल द्वारा मैसर्स लिण्डे गुल्ड्नर, पश्चिम जर्मन के सहयोग से गुल्डनर ट्रैक्टरों का निर्माण करने से सम्बन्धित तीन योजनाओं को सिद्धान्त रूप में मंजूर कर लिया गया है। प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों से उपरोक्त दोनों पक्षों में किसी प्रकार के सम्बन्ध के विषय में कोई निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है।

(ग) सन् 1968–69 के दौरान 1,000 सुपर यू टी ओ ट्रैक्टर और 3,000 आर एस 09 ट्रैक्टर क्रमशः रूमानिया और पूर्व जर्मनी से आयात करने का निर्णय किया गया था। इनमें से अब तक 150.28 लाख रुपये के मूल्य के 1,000 सुपर यू टी ओ ट्रैक्टर और 212.00 लाख रुपये के मूल्य के 2,000 आर एस 0 9 ट्रैक्टर प्राप्त हो चुके हैं। अभी शेष 1,000 आर एस० 09 ट्रैक्टरों के ऋण पत्र को खोला जाना है।

1969–70 के दौरान रूमानिया से 3,000 यू–650 और 651 ट्रैक्टर और पूर्व जर्मनी से 7,000 आर एस 09 ट्रैक्टर आयात करने का निर्णय किया गया था। इसमें से 181.05 लाख रुपये के मूल्य के 900 यू–650 और 651 ट्रैक्टर समुद्री-जहाज द्वारा पहुँच चुके हैं। रूमानिया सम्मरणकर्त्ताओं के पास 19.89 लाख रुपये के मूल्य के 100 यू–650 ट्रैक्टरों का आदेश बकाया है। शेष रूमानिया ट्रैक्टरों के लिए अभी आदेश दिया जाना है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने आर एस 09 ट्रैक्टरों में कुछ नुक्स निकाले है। जिनकी इस मन्त्रालय के तकनीकी विशेषज्ञों और पूर्वी जर्मनी के तकनीकियों द्वारा जांच की जा रही है। उनके अन्तिम निष्कर्ष मिलने और इस दिशा में निर्णय किये जाने के पश्चात ही आर एस 09 ट्रैक्टरों के आगे और आयात के लिए आदेश दिये जायेंगे।

Worker's Participation in Managment of Public Sector Undertakings

8832. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any policy to establish conventions in respect of the percentage of workers' representation in the management of the factories particularly in the public sector ; and

(b) if so, the details thereof, particularly in respect of public undertakings ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) . Government have accepted in principle the inclusion of a workers' representative in the Boards of Management of certain categories of public sector undertakings Such representative, how ever, should be one actually working in the undertaking. Details to give effect to this decision are being worked out.

चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा पशु चिकित्सा स्नातकों के लिए रोजगार

8833. श्री रामावतार शर्मा :
श्री क० अनिरुद्धन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि स्नातकों तथा पशु-चिकित्सा स्नातकों, के फालतू हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है, जिनके बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां। कृषि विभाग द्वारा किए गए "भारतीय कृषि के लिए तकनीकी मानव शक्ति" नामक अध्ययन के अनुसार चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक फालतू कृषि स्नातकों तथा पशु चिकित्सा स्नातकों की संख्या क्रमश: 8950 तथा 1915 हो जाने की सम्भावना है।

(ख) जहां तक बेरोजगार कृषि स्नातकों का सम्बन्ध है, निम्न विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। मद (1) का सम्बन्ध बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों से भी है।

(1) उन व्यक्तियों के लिए, जो कृषि या पशु चिकित्सा विज्ञान या कृषि इन्जिनियरी में स्नातक हैं, भारत के स्टेट बैंक ने एक योजना इस दृष्टि से आरम्भ की है कि ऐसे व्यक्ति स्वयं रोजगार योजनाएं चलाएं। अन्य बैंक भी इन मामलों पर विचार करने के लिये तैयार हो सकते हैं, इन सुविधाओं

के बारे में राज्य सरकारों को जानकारी दे दी गई है, और उनसे अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त योग्यताओं वाले उपयुक्त व्यक्तियों के लिये बैंक से ऋण प्राप्त करने में सहायता के लिए कदम उठाए जाए। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे कृषि वित्त निगमों से बातचीत करें, जिनमें कहा है कि कृषि वित्त का बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए बैंकों को काफी संख्या में कृषि स्नातकों की आवश्यकता होगी।

(2) उर्वरक और कीटनाशी औषधि-उद्योग से अनुरोध किया गया है कि वे कृषि स्नातकों को व्यापारियों के रूप में नियुक्त करने के बारे में अग्रता दें, क्योंकि ऐसा कार्य न केवल उन व्यक्यिों के लिए रोजगार उपलब्ध करेगा, अपितु इससे आदानों की बिक्री के साथ विशेषज्ञ सलाह भी सम्भव हो जायेगी। उर्वरक उद्योग की इस बारे में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया रही है।

(3) कृषि विज्ञान और उससे सम्बन्धित विषयों में बेरोजगार इन्जिनियरों और डिप्लोमा प्राप्त हुए व्यक्तियों के लिए अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो हजार ग्रामीण सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई हैं। योजना में बेरोजगार इन्जिनियरों और डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को भारत के स्टेट बैंकों और अन्य राष्ट्रीय बैंकों, कृषि उद्योग निगमों आदि से ऋण दिलाने की परिकल्पना की गई है ताकि वे कृषि मशीनरी और वर्कशाप औजार आदि ले सकें। प्रत्येक केंद्र में लगभग दस व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और योजना अवधि के अन्त तक यह स्कीम लगभग बीस हजार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर सकेगी। यह केन्द्र उन स्थानों पर स्थापित किये जाएंगे जहां कृषि उद्योग निगम और अन्य ऐजेन्सियां नहीं चल रही हैं। योजना राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें भेज दी गई है और उनकी प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही।

साधारण कृषक मशीनरी खेती की सुविधाओं से लाभ उठा सके, इस दृष्टि से भी एक योजना बनाई गई है, जिसके अधीन चौथी पंचवर्षीय योजना में सारे देश में कृषि मशीनरी के लिए किराया केन्द्र खोले जायेंगे। यह किराया केन्द्र, कृषि उद्योग निगमों द्वारा स्थापित किए जायेगें। ये केन्द्र फालतू इन्जिनियरों, कार्मिकों की सेवाओं का भी उपयोग कर सकेंगे। कुछ निगमों ने, जैसे आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पहले ही ऐसे केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं, अन्य निगमें भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है।

Workers Killed in Mine Accident in Bhilwara District, Rajasthan

8834. Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Ramesh Chandra Vyas :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many workers have died and many others injured in the accident which took ptace in the mine near Mulagaon in the district of Bhilwara (Rajasthan) ; and

(b) the causes of this mine accident and the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Seven persons were reported killed as a result of an accident which took place in the Moosha Garnet Mine in Bhilwara District on 5th Aprial, 1970.

(b) the accident was due to fall of side from a height of 12 metres.

चीनी के मूल्य में वृद्धि की मांग

8835. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चीनी कारखानों की संख्या कितनी है जिन्होंने सरकार को इस बारे में अभ्यावेदन दिये हैं कि या तो उनको हानि उठानी पड़ रही है अथवा उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या चीनी उद्योग ने चीनी के मूल्य में वृद्धि की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . कुछ राज्यों विषकर महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, हरियाणा और असम में स्थित चीनी कारखानों ने 1969–70 में उत्पादित लेवी चीनी के अधिक मूल्य निर्धारित करने हेतु अभ्यावेदन दिया था।

(ग) टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत 15 क्षेत्रों और लागत अनुसूचियों के आधार पर लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित किये गये हैं। किसी भी भिन्न आधार पर मूल्यों को निर्धारित करना सम्भव नहीं है। तथापि सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके उपलब्धि का अनुमान और सीजन की अवधि सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा की है और संशोधित अनुमानों के आधार पर मूल्यों में इस प्रकार संशोधन किया है :—

उत्पादन शुल्क छोड़ कर, डी–29 आई० एस० एस० ग्रेड चीनी का प्रति क्विंटल के हिसाब से रुपयों में मूल्य

	1–3–70 को निर्धारित	24–4–70 को संशोधित
मध्य उत्तर प्रदेश	120.27	125.34
पूर्वी उत्तर प्रदेश	122.85	126.40
उत्तरी बिहार	123.13	128.67
दक्षिणी बिहार	137.42	147.86
गुजरात	115.09	119.16
महाराष्ट्र	110.03	117.60

आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में स्थित कारखानों द्वारा उच्च न्यायालयों में दायर की गयी रिट याचिकाओं तथा उन पर दिये गये आदेशों को देखते हुए उनकी स्थिति पर अभी विचार किया जा रहा है।

मछली चूर्ण उद्योग

8836. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1947 के बाद मछली चूर्ण उद्योग को सरकारी क्षेत्र में शामिल करने में असफल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार देश में खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिये उनके आयात पर बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय कर रही है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में मछली चूर्ण उद्योग स्थापित करने में असफलता के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) सम्भवतः यहां पर संकेत मत्स्य प्रोटीन सांद्रण की ओर है, जो कि चूर्ण के रूप में एक मत्स्य उत्पाद है और जिसके वाणिज्यिक निर्माण, आरक्षण और मानव आहार की वस्तु के रूप में प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कई देशों में प्रयोग किये जा रहे हैं। 1947 में मत्स्य प्रोटीन सांद्रण को प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त और कहीं निर्मित करने का प्रश्न ही नहीं था। वस्तुतः वाणिज्यिक स्तर पर इस सांद्रण के निर्माण के तकनीक में अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। सांद्रण के निर्माण में की गई तकनीकी प्रगति इस तथ्य द्वारा स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमरीका के खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर मत्स्य प्रोटीन सांद्रण के उत्पादों को अभी तक जब तक कि वे मछली की एक विशेष किस्म द्वारा नहीं निर्मित किये जाये और जिनके प्रयोग के लिए भी दृढ़ शर्तें हैं, अमरीका में मानव उपभोग के लिए स्वीकृत नहीं किया गया है। भारत सरकार इस क्षेत्र में होने वाली तकनीकी प्रगति का पूर्ण ध्यान रखती है। मत्स्य प्रोटीन सांद्रणों के निर्माण के लिये केन्द्रीय संस्थानों तथा कुछ राज्य सरकारों की प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान किया जा रहा है।

(ख) जिन खाद्य वस्तुओं का आयात किया जा रहा है वे मुख्यतः अनाज हैं। इनका आयात विशाल मात्रा में किया जा रहा है किन्तु इसमें क्रमशः शीघ्रता से कमी आ रही है। पर्यटक व्यापार जैसी कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिये किये जाने वाले बहुत ही अल्प आयात के अलावा मछलियों का आयात नहीं किया जाता है। आजकल ताजी व सूखाई गई मछली की मांग आपूर्ति से अधिक है। मत्स्य प्रोटीन सांद्रणों द्वारा मत्स्य उत्पादों में विविधता तो आ जाती है किन्तु उनसे खाद्य की उपलब्धि में वृद्धि नहीं होती। इसका प्रयोग विभिन्न खाद्य उत्पादों के प्रोटीन तत्व में वृद्धि के लिए किया जा सकेगा।

(ग) सांद्रण के वाणिज्यिक उत्पादन को अभी तक उस स्तर तक विकसित नहीं किया गया है कि उसे मानव खाद्य के रूप में सुरक्षित रूप से प्रयोग में लाया जा सके। सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र में सांद्रण का विशाल स्तर पर निर्माण प्रारम्भ करना अभी उपयुक्त नहीं

होगा। जब कि इस सम्बन्ध में सतर्कता से कार्य किया जा रहा है, इस क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास के साथ-साथ चलने के लिये अनुसन्धान कार्य को भी जारी रखा जा रहा है।

वनस्पति तथा चीनी की कृत्रिम कमी का निर्धन लोगों पर प्रभाव

8837. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में उद्योगपतियों की अदक्षता तथा बेईमानी के कारण निर्धन लोगों को जो कि पूरी जनसंख्या का 80 प्रतिशत हैं, वनस्पति तथा चीनी की कृत्रिम कमी के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों तथा उद्योगपतियों के बीच सांठगांठ थी और यदि नहीं; तो इस खेदजनक कार्य के लिये कौन उत्तरदायी था ; और

(ग) क्या इस अवधि में किसी अधिकारी अथवा उद्योगपति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अथवा मामले रजिस्टर किये गये थे और यदि नहीं, तो क्या इस मामले में कोई बहुत बड़े अधिकारी शामिल हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) पिछले तीन वर्षों में चीनी की कोई कृत्रिम कमी नहीं हुई है। थोड़े समय को छोड़कर वनस्पति की सप्लाई स्थिति भी आम तौर पर सन्तोषजनक रही है।

(ख) जी नहीं। वनस्पति की कदाचित कमी या मौसमी स्वरूप की थी अथवा बाढ़ों, फायर मैनों की हड़ताल के कारण रेल यातायात में विघ्न पड़ने अथवा अत्यधिक ऊंचे मूल्यों आदि के फलस्वरूप कच्चे तेलों को कम सप्लाई के कारण हुई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार कपास के पौधों के संरक्षण पर व्यय

8838. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री मयावन : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च शक्ति प्राप्त समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है जिसमें योजना अवधि में पौधों के संरक्षण पर 8.4 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है ; और

(ख) अन्य सिफारिशें क्या हैं तथा कपास की उपज को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) और (ख) इस मंत्रालय की निर्यात आधारित कृषि जिन्स विषयक उच्च अधिकार समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। फिर भी इस मंत्रालय ने विदेश व्यापार

मंत्रालय के परामर्श से चौथी योजना की बाकी अवधि के लिए 8.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की मांग की है, जिससे कि हवाई छिड़काव के लिये परिचालन व्यय तथा सिंचित एवं सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में हवाई छिड़काव के परिचालन व्यय के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बारानी खेती के लिये शत प्रतिशत उपदान दिया जा सके। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

पी० एल० 480 गेहूं का आयात

8839 श्री राजदेव सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 का गेहूँ हमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर बेचा जाता है और उसे अमरीकी जहाजों द्वारा लाया जाता है जिसका भाड़ा डालरों में लिया जाता है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय दर से तिगुना होता है ;

(ख) यदि गेहूं को भारत द्वारा नहीं खरीदा गया तो क्या वह अमरीकी गोदामों में सड़ेगा अथवा उसे समुद्र में डाल दिया जायेगा जिससे अमरीकां को कुछ भी लाभ नहीं होगा ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका को अनुगृहीत करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) भारतीय सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा पी० एल० 480 गेहूँ खुले बाजार में खरीदा जाता है। पी० एल० 480 विनियमनों में यह जरूरी है कि पी० एल० 480 खाद्यान्नों की कम से कम आधी मात्रा अवश्य ही अमरीकी ध्वज पोतों में लाई जाए। अमरीकी ध्वज पोतों का भाड़ा गैर अमरीकी ध्वज पोतों के भाड़े की उपेक्षा अधिक होता है। लेकिन भारत सरकार को अमरीकी ध्वज पोतों में लाई जाने वाली मात्रा का भाड़ा गैर-अमरीकी ध्वज-पोतों के भाड़े की दरों के अनुसार देना पड़ता है। अमरीकी ध्वज-पोतों और गैर अमरीकी ध्वज पोतों के भाड़े की दरों का अन्तर अमरीकी सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं नहीं बेचता तो अमरीका में गेहूँ के बारे में अमरीकी सरकार की क्या योजना होगी।

(ग) भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अधीन गेहूं अपनी जरूरत के लिए लेता है और न कि अमेरिका को खुश करने के लिए लेता है।

केले के पेड़ लगाने के सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञ का परामर्श

8840. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केले के पेड़ लगाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी विदेशी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उसके द्वारा क्या सुझाव दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

राज्यों में सिंचाई वाला कुल क्षेत्र

8841. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67 और 1968-69 में, अलग अलग, प्रत्येक राज्य में सिंचाई वाला कुल क्षेत्र कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : वर्ष 1966–67 के लिये अपेक्षित जानकारी अनुबन्ध में दी गई है। वर्ष 1968–69 के लिये जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

भारत में 1966–67 में कुल सिंचित क्षेत्र (अन्तिम)

हजार हैक्टार

क्रम सं०	राज्य का नाम	कुल सिंचित क्षेत्र	
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,825	
2.	असम	612	(क)
3.	बिहार	2,010	
4.	गुजरात	1,072	(ख)
5.	हरियाणा	1,736	
6.	जम्मू और कश्मीर	301	(ख)
7.	केरल	527	
8.	मध्य प्रदेश	1,113	
9.	महाराष्ट्र	1,338	(ख)
10.	मैसूर	1,187	
11.	नागालैण्ड	12	(घ)
12.	उड़ीसा	1,141	
13.	पंजाब	3,350	
14.	राजस्थान	2,121	
15.	तमिल नाडु	3,372	
16.	उत्तर प्रदेश	7,162	
17.	पश्चिम बंगाल	1,499	(ग)
	राज्यों का जोड़	32,428	
	संघ शासित क्षेत्रों का जोड़	326	
	कुल जोड़	22,754	

(क) 1953–54 के लिये है।

(ख) 1965–66 के लिये है।

(ग) 1964–65 के लिये है।

(घ) 1956–57 के लिये है।

(ङ) 1955–56 के लिये है।

उठाऊ सिंचाई योजना के लिए सहायता देने के बारे में प्राथमिकता

8842. श्री स० कुन्दु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को सहायता देने के बारे में भूमि गत जल तथा नदी जल की उपलब्धता और उसके कारण उठाऊ सिंचाई की मांग को प्राथमिकता माना जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) और (ख). प्रचलित पद्धति के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता समग्र रूप से वार्षिक योजना के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदान के रूप में दी जाती है और किसी अलग कार्यक्रम या योजना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। अलग-अलग योजनाओं के लिए निधि का आवंटन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य है। परन्तु, योजना क्षेत्र तथा संस्थानिक संसाधनों से धन नियतन करने के मामले में भूमिगत जल विकास तथा उठाव सिंचाई योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

केरल में "तानियन–3" धान की नई किस्म का चयन

8843. श्री मंगलाथुमाडम : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में फसलों पर जो कीट तथा बीमारियां बढ़ी हैं और उससे फसलों को होने वाली हानि को देखते हुए क्या तानियन–3 से पृथक की गई धान की नई किस्म का जैसा कि केरल में अलगांद ब्लाक के एक एन्टोमी मनावलन द्वारा प्रयोग किया गया है, आगामी सीजन के लिये चयन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल में ऐसे युवा किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तिलहन के उत्पादन में गिरावट

8844. श्री रवि राय :
श्री रा० कृ० बिडला :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहन का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके कारण खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है ;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(घ) तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खाने के तेलों (1961–62=100 आधार मान कर) के थोक मूल्यों का वार्षिक औसतन सूचकांक और गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत बढ़ोत्तरी या कमी निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	सूचकांक की वार्षिक औसत	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (–)
1967	195.2	
1968	158.5	(—) 18.8
1969	195.3	(+) 23.2
1970 (जनवरी–मार्च)	215.2	(+) 10.2

(घ) सम्भाव्य क्षेत्रों में तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैकेज कार्यक्रम की पद्धति के सम्बन्ध में सघन कृषि उपाय अपनाए जा रहे हैं। सम्भाव्य क्षेत्रों में मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1966–67 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना पहले तीन राज्यों में क्रियान्वित की गई थी और 1969-70 तक इसका कार्यक्षेत्र धीरे-धीरे 13 राज्यों में बढ़ा दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत आवृत क्षेत्र प्राप्य अतिरिक्त उत्पादन तथा किया गया व्यय निम्नप्रकार है :—

वर्ष	राज्यों की संख्या	आवृत्त क्षेत्र	प्राप्त हुआ अतिरिक्त उत्पादन	व्यय की गई रकम
		(हैक्टार)	(मीटरी टन)	(रुपये लाखों में)
1966–67	3	66,800	48,651	6.01
1967–67	8	4,01,930	2,76,455	41.01
1968–69	11	6,94,229	3,79,655	37.13
1969–70	13	11,05,174	उपलब्ध नहीं	54.28

इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) पैकेज पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाना ।

(ख) समय पर अपेक्षित आदान उपलब्ध करना ।

(ग) ऋण को उत्पादन से सम्बद्ध करना ।

(घ) बड़े पैमाने पर प्रदर्शन प्लाट तैयार करना ।

(ङ) पौध रक्षा रासायनों और हाथ में चलने वाले उपस्करों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना ।

(च) अभियान के आधार पौद्य रक्षा उपायों की व्यवस्था करना ।

कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये राज्य योजना की सीमा के अतिरिक्त भारत सरकार योजना के समस्त व्यय को पूर्ण रूप से वहन करती है । इनके अतिरिक्त तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय भी किये जा रहे हैं :—

(1) सिचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत यथासम्भव अधिक से अधिक बड़े क्षेत्र में मूंगफली, तिल और अलसी की दोहरी फसल को प्रोत्साहित करना ।

(2) वर्ष की कमी वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती की तकनीकों के माध्यम से तिलहनों की उपज का स्थिरीकरण करना ।

(3) उपयुक्त क्षेत्रों में मूंगफली, अण्डी और तिल की उन्नत किस्मों की खेती का विस्तार करना ।

(4) बहुसस्य प्रतिमान के अनुसार अण्डी और सरसों की अल्पावधि किस्मों को जारी करना ।

पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार सुविधाओं में सुधार

8845. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्र में विशेषकर पाकिस्तान और चीन सीमा पर संचार सुविधाओं में कोई सुधार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुधार का ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रखदी जाएगी ।

गत पांच वर्षों से डाक तथा तार विभाग की 5 लाख रुपये की परियोजना का कार्य आरम्भ न होना

8846. श्री दंडपाणि : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयावन : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 वर्षों से अधिक समय से स्वीकृत डाक तथा तार बिभाग के 5 लाख रुपये की एक परियोजना का कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब के कारण अत्यधिक हानि हुई है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रत्यक्ष रूप से यह कटक-भुवनेश्वर सी–8 लाइन की ओर संकेत है । 1965 में स्वीकृत इस प्रायोजना को चालू करने में विलम्ब हो गया है ।

(ख) इस योजना पर कोई व्यर्थ का व्यय नहीं किया गया है ।

(ग) यह कार्य 1965 में स्वीकृत हुआ था । दिसम्बर, 1967 में भण्डार की मुख्य मदें प्राप्त हुई थी और निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सका था । किन्तु इसी दौरान सडक की दोनों तरफ बिजली पावर लाइनें आ गई थी जिस कारण बिजली पावर की समान्तरता की समस्या खड़ी हो गई । मूल रूप से आयोजित सड़क का मार्ग त्याग देना पड़ा और एक नये मार्ग का सर्वेक्षण करना पड़ा ।

(घ) इस नए मार्ग पर निर्माण-कार्य फरवरी, 1970 में शुरू हो गया है ।

भारत में जनसंख्या में वृद्धि पर कोई नियन्त्रण न होने के कारण वर्ष 1970 में अत्यधिक बेरोजगारी के बारे में श्री नवल एच० टाटा का भाषण

8847. श्री दण्डपाणि : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन : **श्री ओंकारलाल बोहरा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री वाल्मीकी चौधरी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियोजक महासंघ के अध्यक्ष श्री नवल एच० टाटा ने वर्ष 1970 में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने की आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस विचार के समर्थन में उन्होंने क्या कारण बताये है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए एक समाचार के अनुसार श्री नवल एच० टाटा ने कहा है कि जनसंख्या पर कोई नियन्त्रण न होने के कारण 1970—1979 के दशक में बेरोज़गारी बहुत अधिक फैल जायेगी ।

(ग) सरकार समस्या पर विचार कर रही है और पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों हाल ही में विनियोजन, ऋण और लाइसेंस आदि क्षेत्रों के बारे में नीतियों के अन्तर्गत रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं । चौथी योजना में श्रम प्रधान योजनाओं जैसे सड़कें, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग, आवास, नगरीय विकास, पर विशेष बल दिया गया है । इसके अतिरिक्त छोटी जोतों वाले किसानों के लिये, बारानी खेती के लिये और देहाती कार्यों के लिये विशेष कार्यक्रमों को चौथी योजना में हाथ में लेने का प्रस्ताव है । जन संख्या में वृद्धि को रोकने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ाया जा रहा है ।

दिल्ली में जिन पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगाया गया हैं, दुकानों पर उनके फरों (मुलायम बालों वाली खालों) का प्रदर्शन

8848. श्री प्र० के० देव :
श्री ए० दीपा :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री रा० वे० नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1970 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिन पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगाया गया है उनकी मुलायम बालों वाली खालें बाज़ार में बिक रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है कि ऐसी खालें दिल्ली में दुकानों में कैसे प्रदर्शित की जा रही हैं और उन्हें वे कैसे प्राप्त होती हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी हां । बम्बई और गुजरात को छोड़कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान वन्य प्राणी रक्षा कानून तथा नियम आरक्षित या अनारक्षित पशुओं की खालों, बालों और ट्रांफियों की बिक्री को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे वन्य प्राणियों से सम्बन्धित अपने कानूनों तथा नियमों में संशोधन करें ताकि आरक्षित वनों के बाहर भी जगंली

पशुओं की जिनमें दुर्लभ पशु भी सम्मिलित हैं, अधिक रक्षा की जा सके और जंगली पशुओं तथा उनसे निर्मित पदार्थों की, जिनमें आरक्षित तथा दुर्लभ जाति के पशुओं की खालें और बाल भी शामिल हैं, आन्तरिक बिक्री के प्रतिबन्ध पर कड़ा नियन्त्रण किया जा सके। तदनुसार अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने वन्य प्राणि कानूनों/विनियमों में उपयुक्त संशोधन कर रहे हैं।

दिल्ली स्थित सरकारी विभागों में सीधे तथा अन्तर्कार्यालय टेलीफोनों का सर्वेक्षण

8849. श्री स० चं० सामन्त :
डा० प० मण्डल :
सरदार अमजद अली :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के केन्द्रीय सचिवालय, नार्थ ब्लाक, उद्योग भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, ट्रांसपोर्ट भवन, सरदार पटेल भवन में मन्त्रालयवार तथा विभाग वार सीधे पी० बी० आदि टेलीफोन कनक्शनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली टेलीफोन्स अथवा वित्त मन्त्रालय ने एक ही इमारत में स्थित एक ही मन्त्रालय विभाग को दी गयी विभिन्न सीधी लाइनों से किये गये काल के बारे में कोई अध्ययन सर्वेक्षण किया है; और

(ग) क्या सीधी लाइन कम करके और पी० बी० एक्स की लोकप्रिया से टेलीफोन ऐक्सचेंज और एक्सचेंज उपकरणों पर पड़ने वाला दवाव कम हो जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और शीघ्र ही लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं। इस तरह का कोई अध्ययन/सर्वेक्षण सम्भव नहीं है क्योंकि एक्सचेंजों में लगे मीटरों में ऐसा कोई उपकरण नहीं है, जिससे वास्तव में डायल किए गए नम्बर का रिकार्ड रखा जा सके।

(ग) जी हां, कुछ हद तक।

दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त रेस्तरां समिति का प्रतिवेदन

8850. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री वालमीकि चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त रेस्तरां समिति ने अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम है; और

(घ) इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब को गांवों के लिये उनके सर्वेक्षण हेतु सहायता

8851. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के विकास के लिये एक व्यापक योजना तैयार करने के लिये केन्द्रीय सरकार से पंजाब में प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण करने में सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम के एक इंजीनियर के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत

8852. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन के एक जहाज के कप्तान ने भारतीय खाद्य निगम के एक इंजीनियर द्वारा जहाज से सामान के शीघ्र निकलवाने के लिये कथित रिश्वत लिये जाने के विरुद्ध शिकायत की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब सामान उठवा लिया गया तो पता चला कि उसमें आयातित शराब थीं जो भारतीय खाद्य निगम के चीफ इंजीनियर के पास पहुंचा दी गयी; और

(ग) क्या उपरोक्त कप्तान ने भी इस मामले में गवाही दी है और यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस मामले में कैप्टन की गवाही देने की स्थिति अभी नहीं आयी है क्योंकि यह मामला हाल ही में केन्द्रीय जांच विभाग को, जैसाकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सलाह दी थी, प्रारम्भिक जांच करने के लिए सौंपा गया है।

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में केन्द्रीव सलाहकार समिति की बैठक

8853. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री वाल्मीकी चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सलाहकार समिति की हाल ही में दूसरी बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में सरकार को कोई सुझाव दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ङ). कृषि उत्पादन की केन्द्रीय सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक नई दिल्ली में 8 अप्रैल, 1970 को हुई थी। सलाहकार समिति द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। जिन सिफारिशों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है उन पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। भारत सरकार अन्य बातों के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की जांच कर रही है।

विवरण

कृषि उत्पादन की सलाहकार समिति की 8-4-70 को हुई द्वितीय बैठक में विभिन्न जिंसों के उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में मुख्य सुझाव।

1. मृदा परीक्षण की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिये।

2. (1) ट्रैक्टरों का देशीय उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये।

   (2) ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिये समस्त राज्यों में चलती फिरती कर्मशालाओं की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

   (3) कृषि मशीनों की छोटी मोटी मरम्मत के कार्य में कृषकों को प्रशिक्षण देना।

(4) यद्यपि देश में ट्रैक्टरों की संख्या को सीमित करने की आवश्यकता है, किन्तु विभिन्न प्रकार की भूमियों के लिये उपयुक्त विभिन्न किस्म के ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। ट्रैक्टरों का आयात करते समय, देश की स्थानीय विभिन्न मृदा परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता की समुचित जांच की जानी चाहिये।

3. अधिकतम भूमि नियमों को लागू करने, भूदान आन्दोलन, आदि के फलस्वरूप प्राप्त अधिशेष भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में बांटा जाये और सामूहिक ग्राम भूमि को अच्छी तरह से प्रयोग में लाया जाये।

4. निरन्तर सूखे से ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में बारानी कृषि, लघु कृषक, उप-सीमान्त कृषक और ग्रामीण जन शक्ति की नयी योजनायें चलाना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया।

5. विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से प्रारम्भ की जाने वाली दुग्ध विपणन और डेरी विकास परियोजना का स्वागत किया गया।

6. कृषि ऋण स्वीकृत करने की पद्धति को सरल बनाया जाये और गांवों में किसानों को ऋण सुविधापूर्वक उपलब्ध किये जायें।

7. ऋण संस्थाओं तथा कृषकों के मध्य बिचौलियों के रूप में उत्पन्न होने वाले एक नये वर्ग की समाप्ति पर विचार किया जाये।

8. भूमि-गत जल समन्वेषण और उठाऊ सिंचाई की वृद्धि पर बल दिया जाये।

9. नलकूपों के लिये एक निगम की स्थापना पर विचार किया जाये।

10. गंगा नदी के आस पास "दायरा" भूमि की समस्या पर ध्यान दिया जाये और वेध कूपों द्वारा भूमिगत जल के उपयोग के साथ-साथ समुचित फसलों और फसल चक्रों को विकसित किया जाये और कृषकों को ऋण की व्यवस्था की जाये।

11. चारा फसलों और शिम्ब (फली) के उत्पादन की वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया।

12. पशु खाद्य उद्योग को विकसित किया जाये।

13. संकर मक्का की नई अल्पावधि किस्मों का विकास किया जाये।

14. संकर बाजरा और ज्वार की फसलों पर उर्वरकों का हवाई छिड़काव किया जाये।

15. खोह खड्डयुक्त भूमि के सुधार तथा रेलवे लाइन के किनारे की बहुमूल्य भूमि के सुधार का कार्य विशाल स्तर पर प्रारम्भ किया जाये।

16. परियोजना क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों की बस्तियां स्थापित करने की एक योजना प्रारम्भ की जानी चाहिये।

17. अधिक उत्पादनशील किस्मों और उर्वरकों के मूल्य में परस्पर सम्बन्ध रखा जाये।

18. फसल बीमा प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

आकाशवाणी के महानिदेशक के कार्यालय की फाइल के भेदों आदि का बाहर के लोगों को पता चलना

8854. श्री बाबूराव पटेल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सभा के एक सदस्य ने 4 अप्रैल, 1970 को प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखा था और उसकी प्रतिलिपि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री इ० कु० गुजराल को भेजी थी; जिसमें "आकाशवाणी के महानिदेशक के कार्यालय की फाइल संख्या 6/5/56–पी 11 के पृष्ठ 77क पर टिप्पण" का उल्लेख किया गया था और उपर्युक्त फाइल में 9 जनवरी, 1964 की श्री एन० एन० शुक्ल की राय को शब्दशः उद्धृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा मासिक वेतन क्या है जिनके नियन्त्रण में यह फाइल थी या जो इस फाइल को आसानी से प्राप्त कर सकते थे;

(ग) आकाशवाणी के उस कर्मचारी का नाम क्या है जिसने संसद सदस्य (राज्य सभा) को 6 वर्ष पुरानी फाइल का नम्बर बताया तथा श्री शुक्ल की राय की शब्दशः प्रतिलिपि भी दी थी; और

(घ) क्या विभागीय फाइलों से अन्य लोगों को जानकारी मिल जाने सम्बन्धी गम्भीर मामले की कोई जांच की जा रही हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, एक संसद सदस्य ने आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए श्रीमती सुशीला रानी पटेल की योग्यता पर प्रश्न उठाया था और जबकि एक विशेषज्ञ की राय में उसके कार्यक्रम पेश करने की योग्यता कि "वह 'ए' ग्रेड के योग्य नहीं बल्कि इससे बहुत नीचे थी.....।'

(ख) से (घ) उल्लिखित फाइल अनेक व्यक्तियों के हाथों से गुजरती है और इस बात की जांच की जा रही है कि श्रीमती सुशीला रानी पटेल के कार्यक्रम स्तर के बारे उद्धरण कैसे प्रकट हुए और संसद सदस्य द्वारा प्रधान मन्त्री को लिखे पत्र का कैसे पता चला (जिसकी एक प्रति राज्य मन्त्री को भेजी गई)।

दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्रों पर नियुक्त विद्यार्थी तथा गैर-विद्यार्थी लड़कियां

8855. श्री चंद्र शेखर सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में उनके केन्द्रों पर दुग्ध वितरण के लिये नियुक्त किये गये कालेजों के विद्यार्थियों की कुल संख्या इस समय कितनी है;

(ख) क्या कालेज विद्यार्थियों के अतिरिक्त कुछ अन्य लड़कियों को भी नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है, इसके क्या कारण हैं और इस अनियमितता के लिये कौन जिम्मेदार हैं; और

(घ) उपर्युक्त अनियमितता के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदाविक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध डिपुओं पर दूध वितरण करने के लिए वरिष्ठ डिपो एजेन्टों तथा डिपो एजेन्टों के रूप में 10-वीं तथा उससे बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले 2110 विद्यार्थी नियुक्त किये गये हैं।

(ख) केवल 10 वीं और उससे बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को वरिष्ठ डिपो एजेन्टों तथा डिपो एजेन्टों के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं होते।

चौथी पंचवर्षीय योजना में हरयाणा में कृषि के विकास पर व्यय

8856. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हरयाणा के लिये नियत की गई कुल प्रस्तावित राशि में से कृषि के विकास पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : हरियाणा की चौथी पचवर्षीय योजना के लिये 225 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से, कृषि और सम्बन्धित कार्यक्रमों पर 39.1 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

हिसार (हरियाणा) में बरानी खेती केंद्रों की स्थापना

8857. श्री राम किशन गुप्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिसार (हरियाणा) में बरानी खेती केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यह केन्द्र कब तक स्थापित हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) और (ख). एकीकृत शुष्क-भूमि कृषि विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना अभी तैयार हो रही है। योजना मंजूर हो जाने पर राज्य सरकार के परामर्श से क्षेत्र का चुनाव किया जाएगा।

तिलहन का रक्षित भंडार बनाना

8858. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बनस्पति निर्माताओं से विचार विमर्श करके तिलहन का रक्षित भंडार बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और रक्षित भण्डार कितना बनाया जायेगा और रखा जायेगा; और

(ग) वर्तमान परिस्थितियों में रक्षित भण्डार में कितना तिलहन देशी उत्पादन से और कितना आयात द्वारा जमा किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) बनस्पति तेलों का बफर स्टाक तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ख). इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है ।

Programme of Animal Husbandry for Cows in Madhya Pradesh

8859. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme for taking up the programme of animal husbandry particularly in case of cows has been formulated for Madhya Pradesh; and

(b) if so, the name of agency by which the said programme is likely to be formulated and the datails of the said scheme and the funds likely to be provided by the Central Government and State Government therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture and Community Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Veterinary Department is the agency by which all programmes of livestock development are formulated and executed. Details of the various programmes being executed or proposed to be undertaken may be seen-in the enclosed statement. **[Placed in Library. See No. L T. 3428/70]**

Conversion of Branch Post Offices in Hosangabad and East Nimar of Madhya Pradesh into Sub·Post Offices

***8860. Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the status of some of the Branch Post Offices in the districts of Hoshangabad and East Nimar of Madhya Pradesh is being raised to sub-Post Offices; and

(b) if so, the number of the said post offices ?

The Minister of State in the Ministry of Information, Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) **Hoshangabad District-3.**

Umardha
Charwa
Sobhapur

East Nimar District-4.

Asapur
Kalumukti
Khanknar
Jawar

All the above seven are extra.departmental branch post offices and they are being upgraded to the status of departmental sub-Post Offices.

Rehabilitation of Refugees from Pakistan after Indo-Pak. Conflict in Madhya Pradesh

8861. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees, who migrated from Pakistan and settled in Madhya Pradesh after September, 1965 Indo-Pak. conflict;

(b) the total amount spent so far on their rehabilitation and the total amount asked for by Government of Madhya Pradesh from Centre to rehabilitate the said refugees;

(c) whether the amount asked for by Government of Madhya Pradesh was sanctioned; and

(d) if not, the reasons therefor and, in case Government do not recognise them as refugees, the scheme formulated by Government to solve their problems ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) : Separate figures regarding the number of persons who migrated from Pakistan and were settled in Madhya Pradesh after September 1965 and the expenditure incurred on their rehabilitation are not available. The State Government also did not specifically ask for any separate amount for the resettlement of such families. These families were resettled under the pattern scheme already sanctioned by the Government of India for settlement in agriculture and small trade.

(c) and (d) : Do not arise.

Seed Multiplication Farms

8862. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of seed multication farms set up in various States;

(b) the expenditure incurred on each of them during the last five years; and

(c) the types of seeds produced in these farms together with the quantity of each type of seeds produced during the last five years, year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Copperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of Sabha.

Adoption of Scientific Research and Technique for Increasing Production of Coarse Grain, Pulses and Commercial Crops

8863. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the team engaged in the survey for economic development of the country has advised Government that scientific research and technique may be adopted for increasing the production of coarse grains, pulses and commercial crops also;

(b) if so, whether Government propose to implement the said suggestions;

(c) if so, the scheme formulated in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) This Ministry is not aware of any Team engaged in the survey for economic development of the country and its recommendations. However scientific research techniques are being adopted for increasing the production of coarse grains and pulses under the State Package and multiple cropping programmes. These techniques are being adopted in increasing the production of commercial crops also under the intensive cultivation programmes which are being implemented under the normal State as well as Central Sectors of the Plan.

(b) to (d) Do not arise.

Increase in Supply of Foodgrains to U. P.

8864. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the extent to which the supply of wheat to Uttar Pradesh in the year 1970-71 is likely to be increased ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : The demands received from Uttar Pradesh Government for supplies of wheat are being met in full at present. With regard to future supplies for 1970-71, the quantum of supplies will depend upon the general food position in U. P. on which the demand of the U. P. Government for supply would be based and also on the availability of wheat in the Central Pool. It is, therefore, not possible to say at present whether the supply of wheat from the Central pool to U. P. during 1970-71 would be more or less than that in 1969-70 and if so to what extent.

Installation of Teleprinters in Devnagari Script and their Production

8865. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the places at which teleprinters in Devanagari script have been installed in the country;

(b) whether it is a fact that at some places teleprinters are lying idle; if so, the reasons therefor; and

(c) whether the number of said teleprinters is likely to be increased during the year 1970-71; if so, the proposed locations thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information, Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) The Teleprinters in Devanagari Script have been installed in the following places:-

Madras, Bombay, Allahabad, Patna, Coimbatore Bhusaval, Kanpur, Chapra, Madura, Nagpur, Ajmer, Katihar, New Delhi, Poona, Jaipur, Muzzafarpur, Delhi, Poona,

City, Jodhpur, Jullundur, Calcutta, Sholapur, Lucknow, Amritsar, Siliguri, Agra, Varanasi, Simla, Bhopal, Trivandrum, Belgaum, Jabalpur, Calicut, Indore, Raipur, Ahemdabad, and Gwalior.

(b) This is not the case. These Teleprinters are used depending upon the number of Devanagari Telegrams to be handled. For only a few messages, clearance is by morse system.

(c) Yes by 60. These machines will be allotted where there is sufficient Hindi traffic.

Special Scheme on Development of Agriculture in U. P. under Fourth Plan

8866. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a special scheme for the development of agriculture in Uttar Pradesh with a view to achieve self-suficiency; and

(b) the amount likely to be spent on the said scheme during the Fourth Five Year Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) For securing a rapid increase in agricultural production a new Strategy of Agricultural Development has been adopted since 1966-67 in all the States, including Uttar Pradesh. The main programmes are : cultivation of high yielding varieties of seeds of foodgrains, multiple cropping, irrigation for intensive cultivation, soil conservation, organised provision of inputs like fertilizers and pesticides, timely and liberal credit facilities including institutional finance, farmers' education and training and intensification of research. It is proposed by the State Government to intensify various programmes under the Fourth Five Year Plan so as to achieve self-sufficiency by the end of the Plan period.

(b) The amounts proposed to be spent during the Fourth Five Year Plan on programmes which have a direct bearing on increasing production of foodgrains are as under:—

Programme	Outlay envisaged under Fourth Plan
	(Rs. in crores)
1. Agricultural Production.	58.10
2. Minor Irrigation.	96.00
3. Soil Conservation.	21.40
4. Warehousing and Marketing.	0.30
5. Cooperation.	11.00
6. Community Dev. (including Panchayats)	11.15
7. Major Irrigation.	90.00
Total :	287.95

Gur Production

8867. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of Gur produced so far during the current year and the extent to which the production has increased this year as compared to previous and the quantity of Gur likely to be produced during the entire season; and

(b) the steps Government propose to take for the consumption, storage and export of the additional quantity of Gur ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The production of gur and khandsari during the current year 1969-70 (1st October, 1969 to 30th September, 1970) can be estimated only after the final estimates of production of sugarcane become available. However, according to the All India Second Estimate the area under sugarcane in the country in 1969-70 is 11.5 percent higher than that in 1968-69. As such production of gur during 1969-70 is also expected to be substantially higher than that during the last year. The production of gur and Khandsari during 1968-69 was 66.43 lakh tonnes (provisional).

(b) There is no restriction on the distribution, price or movement of gur. The ban on forward trading in gur has also been removed. Further, Government have amended the Gur (Regulation of Use) Order. 1968 to permit the use of gur for industrial purposes. It has also been decided to permit the sugar factories to produce sugar from gur. Enquiries made through our Missions abroad indicate that there is little scope for increasing exports of gur from India. The Ministry of Foreign Trade have, however, been requested to make fresh enquiries and efforts in this direction.

Supply of Sub-Standard Foodgrains to Lucknow Defence Depot

8868. Shri Shashi Bhushan :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foodgrains and pulses, which were supplied by the All India Foodgrains Dealers' Association to the Lucknow Defence Depot recently were below the standard of the samples given earlier;

(b) whether it is also a fact that the price of the said foodgrains was higher than the market price prevailing at present;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) the names of the persons found guilty in this respect and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No supplies of foodgrains and pulses have been made to the Reserve Grain Depot, Lucknow, by the All India Food-grains Dealers' Association.

(b), (c) and (d) ; Do not arise.

अस्पतालों को उद्योग के रूप में मानने के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

8869. श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री लखन लाल कपूर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का ध्यान हाल के उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें अस्पतालों और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में दी गई 'उद्योग' की परिभाषा से पृथक कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में उचित संशोधन करेगी अथवा नया कानून बनायेगी जिससे इन संस्थाओं के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने के लिये सांविधिक व्यवस्था हो सके ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभावों पर विचार किया जा रहा है ।

कमी की स्थिति के कारण दरभंगा के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को राहत

8870. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फसलों आदि के खराब हो जाने के कारण बिहार सरकार ने दरभंगा जिले को कमी का क्षेत्र घोषित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दरभंगा जिले के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

दरभंगा डाकघर के कब्जे में इमारत तथा भूमि का अर्जन

8871. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा डाकघर की इमारत तथा उससे सम्बन्धित भूमि दरभंगा राज की सम्पत्ति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक तथा तार विभाग द्वारा भूमि तथा उस पर बनी इमारत को अर्जित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उक्त (क) वाली इमारत को खरीदने की पहले कोशिश की गई थी परन्तु दरभंगा राज ने अधिक राशि की मांग की। अतः सौदा नहीं हो सका। 1.38 एकड़ भूमि के एक अन्य प्लाट को, जिसका प्रस्ताव दरभंगा राज ने ही किया है, अर्जित करने में प्रगति हो रही है। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 14 मई, 1969 को बिहार राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। प्रस्तावित स्थान पर न केवल डाकघर के लिये ही परन्तु टेलीफोन एक्सचेंज तथा डी० टी० ओ० के लिये भी स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

बोकारो स्टील सिटी टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को परियोजना/निर्माण भत्ता देने में विषमता

8872. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील सिटी में काम कर रहे कर्मचारियों को डी० जी० पी० एण्ड टी० के दिनांक 29 जून, 1963 के पत्र संख्या 12-6-62 पी० ए० टी० द्वारा परियोजना निर्माण भत्ता मंजूर किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक व तार महा-निदेशक के उपरोक्त पत्र के अनुसार बोकारो स्टील सिटी डाकघर के कर्मचारियों को परियोजना निर्माण भत्ता मिल रहा है ;

(ग) क्या सीनियर सुपरिन्टैण्डेंट, पोस्ट आफिसेज, रांची ने दिनांक 16 फरवरी, 1970 के अपने पत्र संख्या 10/सी-एच-II इस्टेब्लिशमेंट द्वारा पोस्टमास्टर, गिरदिह को बोकारो प्रशासनिक भवन डाकघर तथा बोकारो सिटी डाकघर के कर्मचारियों को भी परियोजना निर्माण भत्ता देने का आदेश जारी किया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बोकारो स्टील सिटी टेलीफोन केन्द्र के कर्मचारियों को उसी सिटी के काम कर रहे डाक कर्मचारियों के बराबर परियोजना/निर्माण भत्ता नहीं मिल रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं और उसे तुरन्त समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) हजारी बाग के प्रवर अधीक्षक, डाकघर ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) ऊपर (क) में बताए गए तारीख 29–6–63 के आदेश जारी करते समय टेलीफोन एक्सचेंज बोकारो स्टील सिटी में मौजूद नहीं था। अतः टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता अदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बोकारो स्टील सिटी के सभी डाक तार कर्मचारियों को, जो पात्र हैं, बोकारो स्टील परियोजना द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हीं की दरों पर मुआवजा (निर्माण) भत्ता मंजूर करने के मामले की जांच की जा रही है।

बोकारो स्टील सिटी अस्पताल से बोकारो स्थित डाक व तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

8873. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात सिटी (शहर) में ऐसा कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जहां रोगियों को भर्ती करके चिकित्सा की सुविधा हो ;

(ख) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा चलाये जा रहे बोकारो स्टील सिटी अस्पताल में डाक व तार कर्मचारियों की चिकित्सा नहीं की जाती ;

(ग) क्या डाक व तार कर्मचारी सरकार के मेडिकल एटेन्डेंस नियमों के अन्तर्गत डाक्टरी चिकित्सा, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डाक व तार कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को मानवता, समानता तथा न्याय के नाम पर बोकारो स्टील लिमिटेड के बोकारो स्टील सिटी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें बोकारो स्टील लि० अस्पताल में डाक–तार कर्मचारियों की चिकित्सा करने से इन्कार किया गया हो। फिर भी, बोकारो स्टील लि० अस्पताल को अभी तक सी० एस० (एम० ए०) नियमावली के अधीन मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की वांछित सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं।

(ग) जी हां।

कमला मार्केट रोजगार कार्यालय के माध्यम से रेलवे डाक सेवा, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधीक्षक के विभाग द्वारा की गई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के विरुद्ध जांच

8874. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 18 मार्च, 1968 के ज्ञापन ई० 5/रिक्टमेंट/क्लास IV के अनुसार नई दिल्ली की रेलवे डाक सेवा के विभाग के तत्कालीन अधीक्षक द्वारा चतुर्थ श्रेणी के बहुत से कर्मचारियों की भर्ती की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनकी भर्ती नई दिल्ली के कमला मार्केट रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कमला मार्केट रोजगार कार्यालय से की गई भर्ती गैर-कानूनी है क्योंकि इस कार्यालय को नियमित सेवाओं के लिये व्यक्ति देने का अधिकार नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस गैर-कानूनी भर्ती के बारे में कोई जांच की गई है तथा उसके क्या परिणाम हुये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) तक . जी हां। इस संबंध में कृपया 17 अप्रैल, 1969 को दिये गए अतारांकित प्रश्न-संख्या 6637 का उत्तर भी देखें।

(घ) जी हां। जांच-रिपोर्ट की छानबीन की जा रही है।

लोगों में बहादुरी की भावना पैदा करने के आकाशवाणी के कार्यक्रम

8875. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 के चीन-भारत युद्ध तथा 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान लोगों में बहादुरी, देश भक्ति तथा त्याग की भावना जागृत करने के लिये आकाशवाणी से कुछ कार्यक्रम आरम्भ किये गये थे ; और

(ख) क्या ये कार्यक्रम अब बन्द कर दिये गये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी आक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति से विशिष्ट रूप से सम्बंधित कार्यक्रम बन्द कर दिये गये हैं, परन्तु वीरता, देश भक्ति तथा बलिदान की भावना जागृत करने वाले कार्यक्रम आकाशवाणी के नियमित कार्यक्रमों में अब भी शामिल हैं।

वाणिज्य संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की योजना

8876. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाणिज्य संस्थाओं और दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कर्मचारियों की ओर से कोई मांग की गई है; और

(ग) क्या सरकार उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के बारे में विचार कर रही है, और यदि हां, तो किस तिथि तक कोई निश्चित और ठोस कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं। आसाम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दुकानों तथा वाणिज्यिक संस्थाओं में रोजगार को न्यूनतम मंजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गतलाया गया है। अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दुकानों तथा वाणिज्यिक संस्थाओं के कर्मचारियों की कार्य की शर्तों के बारे में अनेक राज्यों में पहले ही कानून बने हुए हैं और इस में वे सुधार कर सकते हैं।

खेती के आधुनिकीकरण सम्बन्धी समिति की सिफारिश

8877. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 27 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1682 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खेती के आधुनिकीकरण के बारे में विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने से संबंध रखने वाली सिफारिशों की जांच करें तथा उन पर उचित कार्यवाही आरम्भ कर दें। भारत सरकार तथा अन्य संगठनों से संबंध रखने वाली सिफारिशों पर कई उच्च स्तरीय बैठकों में विचार किया गया तथा उनके विषय में निर्णय लिए गये हैं। विभिन्न निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आगे कार्यवाही की जा रही है।

Staff Promotions

8878. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Lower Division Clerks, Upper Division Clerks working in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation at present, in each Department separately :

(b) the number of cach category of clerks promoted during the financial year, 1968-69 ;

(c) the number of each category of clerks, who have been working on the same post for more than 4 to 5 years, but have not so far been promoted ; and

(d) the action Government propose to take to promote them ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) . A statement is placed on the Table of the Lok Sabha.)

(d) The U. D. Cs/L. D. Cs. who fulfil the required conditions as prescribed in the CSS/ CSCS rules and are eligible for promotion are being considered for promotion to the next higher grades from time to time, subject to availability of vacancies.

Promotions To Staff in Ministry

8879. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will **the Minister of Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Lower Division Clerks, Upper Division Clerks and Assistants working in his Ministery at present ;

(b) the number of each category of clerks promoted during the financial year 1968-69;

(c) the number of each category of clerks, who have been working on the same post for more than 4 to 5 years but have not so far been promoted; and

(d) the action Government propose to take to promote them ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) :

	L. D. Cs.	U. D. Cs.	Assistants
(a)	231	110	208
(b)	19	6	
(c)	184	57	

(d) Promotions are made as and when vacancies are available.

LDC, UDC And Assistants working in Department of Communications

8880. **Shri Hukam Chand Kachwai** will **the Minister of Information and Broadcasting and Communications** be bleased to state :

(a) the number of Lower Division Clerks, Upper Division Clerks and Assistants working in the Department of Communications of his Ministry at present;

(b) the number of each category of clerks promoted during the financial year 1968-69 ;

(c) the number of each category of clerks, who have been working on the same post for more than 4 to 5 years but have not so far been promoted ; and

(d) the action Government propose to take to promote them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh);(a) The number of Lower Division Clerks, Upper Division Clerks and Assistants of the Central Secretariat Services (Cadre of the Department of Communications) as 15.4.1970 is as under :

	Lower Division Clerks	:	309
	Upper Division Clerks	:	144
	Assistants . . .	:	191
(b)	Lower Division Clerks	:	4.
	Upper Division Clerks	:	1.
(c)	Lower Division Clerks	:	121.
	Upper Division Clerks	:	106.

(d) Promotions from the grades of Lower Division Clerk and Upper Division Clerk to the next higher grades are made from time to time subject to availability of vacancies.

वर्ष 1968–69 में सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के लिपिको की पदोन्नति

8881. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में कार्य कर रहे अवर श्रेणी लिपिक उच्च श्रेणी लिपिक तथा सहायकों की संख्या कितनी है;

(ख) वित्तीय वर्ष 1968–69 में प्रत्येक श्रेणी के कितने लिपिकों की पदोन्नतियां की गई थी ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कितने लिपिक है जो चार अथवा पांच वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे है किन्तु अभी तक उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया है; और

(घ) उन्हें पदोन्नत करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ. कु. गुजराल) : (क) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग से सम्बन्धित लिपिकों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा से सम्बन्धित सहायकों की संख्या इस प्रकार है:-

	अवर श्रेणी लिपिक	–	513
	उच्च श्रेणी लिपिक	–	142
	सहायक	–	208
(ख)	अवर श्रेणी लिपिक		9
	उच्च श्रेणी लिपिक	–	3
(ग)	अवर श्रेणी लिपिक	–	418
	उच्च श्रेणी लिपिक	–	84

(घ) पदोन्नतियां जब भी स्थान खाली होते हैं; की जाती है ।

Telephone Facilities in Unhal Town in Madhya Pradesh.

8882. **Shri Hukam Chand Kachwai** : will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that people of Unhal town in District Ujjain of Madhya Pradesh have requested Government to provide telephone facilities in their town;

(b) whether it is also a fact that the officers had inspected the town with a view to providing such facilities in that town ;

(c) whether it is also a fact that no action has so far been taken by Government in this regard even after the said inspection; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this regard to provide telephone facilities to the public ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Development (Shri Sher Singh : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No,Sir.

(d) The proposal to open a Public Call office at Unhal has been sanctioned and the work will be taken up on receipt of stores.

Shortage of Engineers in Telephone Exchange in Rajasthan

8883. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on account of shortage of Engineers in the Telephone Exchanges in Rajasthan, the work is not being done expeditiously there; and

(b) if so the reasons for not increasing the number of Engineers and developing telephone exchanges expeditiously ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) (a) It is not a fact that the work in Telephone Exchanges in Rajasthan is not being done expeditiously on account of shortage of Engineers.

(b) The question does not arise.

Telephone Facilities For Panchayat Centres in Kota (Rajasthan)

8884. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are many Panchayat Centres in Kota, Rajasthan where telephone facilities have not so far been provided ;

(b) if so, the number of such centres; and

(c) the reasons for not providing the said facilities so far ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcastiug and Department of Communications (Shri Sher Singh) (a) No. Out of eleven Panchayat Centres in Kota, where Block Development Officers have their Headquarters, telephones have already been provided at eight centres.

(b) Three.

(c) The facility has been sanctioned for one more centre and the cases of the remaining two are under examination.

Direct Trunk Line Between Jaipur-Kota

8885. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide direct trunk line between Jaipur and Kota; and

(b) if so, the time by which it is expected to be done ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications. (Shri Sher Singh) : (a) Alaready 3-direct trunk lines are working between Jaipur and Kota.

(b) Question does not arise.

चौथी योजना अवधि के अन्तर्गत स्थानिक मारी क्षेत्रों में नाशीकीट और फसल रोगों का उन्मूलन करने के लिये योजना

8886. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुरासोली मारन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि के अन्तर्गत सरकार ने छोटे किसानों की स्थानिक मारी क्षेत्रों में बार-बार पैदा होने वाले नाशीकीटों की समाप्ति और फसल बीमारियों के उन्मूलन करने में सहायता के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब-शिन्दे) : (क) स्थानिक मारी क्षेत्रों में नाशीकीटों के नियंत्रण की एक योजना सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) इस योजना को नाशीकीटों रोगों से प्रभावित होने वाले संभाव्य क्षेत्रों में 3-4 वर्ष की अवधि तक कीटनाशक औषधियों के हवाई छिड़काव द्वारा सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया जायेगा जिससे कि कीटों को पर्याप्त सीमा तक समाप्त कर दिया जाये और वे कोई विशेष हानि न पहुँचा सकें । यह स्कीम चतुर्थ योजना की अवधि के शेष चार वर्षों में चालू रहेगी ।

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानिक मारी क्षेत्रों में 4.3 करोड़ रुपये की लागत से फसलों के निम्न दस नाशीकीटों के उन्मूलन करने का प्रस्ताव है:-

1. धान पर गुन्धी वग
2. धान पर हिस्पा
3. लाल बालों वाली सूंडी
4. टिड्डा (दक्षिण)
5. पिस्सू भृंग (गेहूं)
6. कटवौर्म (गेहूँ)
7. बिहार की बालों वाली सूंडी ।
8. चने की सूंडी
9. टिक्का रोग (मूंगफली)
10. अंगमारी रोग (आलू)

विश्वव्यापी खाद्य सहायता कार्यों के सम्बन्ध में विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्तः सरकारी समिति में भारत का सुझाव

8887. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्तः सरकारी समिति में भारत ने सुझाव दिया है कि विश्वव्यापी खाद्य सहायता कार्यों को द्वितीय विकास दशक में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए तथा उनका और आगे विस्तार किया जाना चाहिए और खाद्य सहायता की किस्म में सुधार करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जाने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मत्री(श्री अन्नासाहेब-शिन्दे) (क) तथा (ख) : "द्वितीय विकास दशक के दौरान खाद्य सहायता तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं" पर विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्तः सरकारी समिति की प्रारूप रिपोर्ट, जो कि बहुदेशीय खाद्य सहायता पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के अनुसार तैयार की गई है, के विषय में वक्तव्य देते हुए विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्तः सरकारी समिति के 17 वे अधिवेशन के भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रारुप रिपोर्ट का निर्णय स्वीकार कर लिया है कि खाद्य सहायता के क्रिया-कलाप द्वितीय विकास दशक की नीति का एक मुख्य तत्व होगा और इन क्रियाकलापों को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिये तथा खाद्य सहायता में सुधार करने के लिये भरपूर प्रयत्न किये जाने चाहियें । यह परिणाम इस अनुमान पर आधारित था कि खाद्य उत्पादन के मामले में काफी विकासशील देशों द्वारा आत्म-निर्भरता प्राप्त करने पर भी उन्हें पोषकता के अन्तर की समस्या, उत्पादन में आकस्मिक कमी तथा अन्य आयात स्थितियों का सामना करना होता है ।

इस मामले को अन्तः सरकारी समिति के सदस्यों का सामान्य समर्थन प्राप्त है ।

Deaths and Injuries to Workers Due to Accidents in Industries.

8888. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of workers killed during 1969-70 as a result of accident in various industries ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Demand of Milk in the Country.

8889. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State.

(a) the present demand of milk in the country.

(b) the sources through which it is met and the extent to which it is met, and

(c) the effect on the supply position of milk in Delhi following the introduction of the Delhi Milk Scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The present demand of milk in the country is not static and is frequently at variance which is influenced by the demand and supply phenomenon. According to the recommendation of the Nutrition Advisory Committee of the Indian Council of Medical Research, the optimum milk requirement is 283 grams per capita per

day. According to the last Cattle Census of 1966, the daily per capita availability of milk in the country is 105 grams.

(b) The demand milk is generally met through the following sources :-

(i) Organized dairy plants established in the public, cooperative and a few private sectors. The number of such plants in the former two sectors is 95, comprising of 51 liquid milk plants, 8 milk products factories and 34 pilot milk schemes. The approximate average daily throughout of all these units is about 20 lakh litres of milk, and

(ii) Cattle stables, Sweet meat shops, itinerant vendors in cities and towns.

(c) Following the introduction of the Delhi Milk Scheme, the project has supplied on an average about 40 to 45% of the total requirements of the Delhi City.

Annual demand and production of Vanaspati

8890. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the present annual demand of Vanaspati in the country as also its installed capacity ; and

(b) the difference between its actual demand and the production ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Demand : About five lakh tonnes Installed capacity : About eight lakh tonnes.

(b) The production is generally limited to the demand and hence there is no significant difference between the two.

Denial of Advance Increments to Hindi Stenographers

8891. Shri Shambhu Nath : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the reasons for which four advance increments were given to the English Stenographers since the 28 th February, 1967 for having the speed of 120 words per minute and not giving the same number of increments to the Hindi Stenographers with the same speed ;

(b) the date form which the matter has been under consideration ; and

(c) the time by which final decision will be taken in this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c) . Advance increments are now allowed by way of incentive, to English, Hindi, Tamil and Telegu language junior scale stenographers in the subordinate offices of the All India Radio on their passing dictation tests at prescribed speeds. The scheme for Hindi, Tamil and Telegu stenographers has been sanctioned recently. The scheme for English language stenographers was sanctioned earlier on the analogy of a scheme already in force in Ministry of Railways. The formulation and consideration of the scheme for other language stenographers took some time in the absence of any precedents.

उत्तर बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा तथा मधुबन के नगरों के लिये ट्रंक काल प्राप्त करने में विलम्ब

8892. श्री शिव चंद्र झा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा तथा मधुबन आदि नगरों के लिये ट्रंक काल मिलने में चार अथवा पांच घंटे लग जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर बिहार में उन स्थानों के लिये ट्रंक काल मिलने में कम से कम औसतन कितना समय लगता है ; और

(घ) क्या उत्तर बिहार के नगरों के साथ डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है ; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) यह सच नहीं है कि पटना से उत्तर बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी आदि जैसे स्थानों के लिए ट्रंक काल मिलने में चार-पांच घंटे से अधिक समय लग जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पटना से उत्तर बिहार में स्थित स्थान के लिए ट्रंक काल मिलने में लगने वाला औसत समय इस प्रकार है—

स्थान	तुरत	साधारण
समस्तीपुर	0·13 मिटर	0·17 मिटर
दरभंगा	0·17 ,,	0·20 ,,
मधुबनी	0·22 ,,	0·30 ,,
छपरा	0·15 ,,	0·18 ,,
मजफरपुर	0·13 ,,	0·18 ,,
कैथर	0·11 ,,	0·16 ,,

(घ) पटना और मजफरपुर के मध्य डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की योजना है जिसके 1971-72 में पूरी होने की सम्भावना है।

भारत में प्रदर्शित रूसी चलचित्रों की संख्या

8893. श्री शिव चंद्र झा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में कितने रूसी चलचित्रों का प्रदर्शन किया गया है ;

(ख) उन चलचित्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) उन चलचित्रों से कुल कितना लाभ हुआ है ; और

(घ) क्या उस आय को रूस भेज दिया गया था अथवा उसका उपयोग भारत में किया गया था, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). भारत में वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में दिखाई गई रूसी फिल्मों के नामों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3430/70]**

(ग) सोवएक्सपोर्ट के अनुसार इन फिल्मों के प्रदर्शन से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली और मद्रास के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

8894. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 में दिल्ली और मद्रास के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था के शुरू हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). दिल्ली और मद्रास के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था 1970 में शुरू होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि अभी ट्रंक स्वचलन एक्सचेंजों में कुछ सशोधन किये जाने हैं। ये किए जा रहे हैं और सीधी डायल व्यवस्था एक या दो वर्ष में सुलभ हो जाएगी। दिल्ली और मद्रास के बीच आपरेटर के जरिये डायल करने की सुविधा पहले ही उपलब्ध है और 1970-71 के दौरान इसका आगे और विस्तार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के सरकारी उपक्रमों पर केन्द्रीय श्रम कानूनों का लागू होना

8895. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों पर केन्द्रीय श्रम कानून लागू नहीं होते ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन उपक्रमों को केन्द्रीय सरकार के श्रम कानूनों के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क और (ख). श्रम कानून, चाहे वे संसद द्वारा बनाए जाएं अथवा राज्य विधानों द्वारा, संविधान के उपबन्धों के अनुसार ही बनाए जाते

हैं और अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी ये कानून अपनी क्षेत्र-सीमा स्वयं ही निर्धारित करते हैं। परन्तु ऐसे अपवादों को छोड़कर जहां किसी विशिष्ट विधान अथवा विधानों की योजना में कोई विशेष विपरीत प्रतिबन्ध हों, श्रम कानून सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों में लागू होने में कोई भेद नहीं करते।

कपास तथा तिलहनों का उत्पादन

8896 श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहनों तथा कपास की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कपास तथा तिलहनों का उत्पादन आवश्यकता के अनुसार नहीं है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि हरित क्रान्ति में अनाजों के उत्पादन पर ही जोर दिया गया है और तिलहनों की उपेक्षा की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग). इस समय तिलहनों और कपास की कमी का मुख्य कारण भांग का सप्लाई से बढ़ जाना है। जनसंख्या तथा आय बढ़ जाने से मांग में वृद्धि हो गई है। जबकि दूसरी ओर तिलहन और कपास प्रमुख रूप से वर्षा पर आश्रित परिस्थितियों में पैदा होते हैं। अतः वर्षा में उलट-फेर होने के कारण उत्पादन में घटा-बढ़ी हुई है।

(घ) अनाज के उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है फिर भी दूसरी तथा तीसरी योजना के दौरान तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये भी मुख्य रूप से निम्न उपायों द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं :—

1. उन्नत बीजों का उत्पादन तथा वितरण
2. उर्वरकों का उपयोग
3. पौध रक्षा

ये उपाय या तो एकात्मक या समिश्रण रूप से और मुख्यतया मूंगफली के सम्बन्ध में अपनाए गए थे।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न उपायों द्वारा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है :—

(1) मूंगफली के अधिकतम उत्पादन के लिए पैकेज कार्यक्रम के आधार पर सुनिश्चित वर्षा वाले और सिंचाईगत अंचलों के और अधिक बड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना को जारी रखना।

(2) सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत यथासम्भव अधिक से अधिक बड़े क्षेत्र में मूंगफली, तिल और अलसी की दोहरी फसल को प्रोत्साहित करना।

(3) वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती की तकनीकों के माध्यम से तिलहनों की उपज का स्थिरीकरण करना।

(4) उपयुक्त क्षेत्रों में मूंगफली, अण्डी और तिल की उन्नत किस्मों की खेती का विस्तार करना।

(5) बहुविध सस्य प्रतिमान में अण्डी और सरसों की अल्पावधि किस्मों की खेती शुरू करना।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा रोटियां बनाने की मशीन उपहार में देना

8897. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निबंध ने भारत को रोटियां (चपातियां) बनाने की मैक्सिकन मशीन, जो एक घंटे में 4,000 रोटियां बना सकती है, उपहार स्वरूप दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मशीन का प्रयोग किस तरह किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस मशीन का मक्का, गेहूं और अन्य आटों से चपातियां तैयार करने की विधि का प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

डाक तथा तार विभाग की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

8898. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार डाक तथा तार विभाग की शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) निर्णय को कब लागू किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार ने डाक तार विभाग में क्षेत्र-संगठनों को पहले से ही प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रात्यायोजन कर दिया है। आगे ऐसी ही शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में लगातार पुनर्विचार किया जाता है और समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं।

(ख) हाल ही में, डाक तार बोर्ड ने सर्कल अध्यक्षों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने का निर्णय किया है। वे अब आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों का सहयोग प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर ऐसा प्रस्ताव है कि महानिदेशक डाक तार द्वारा इस समय उपयोग में लाई जाने वाली सभी शक्तियां, सर्कल अध्यक्षों को प्रत्यायोजित कर दी जाएं।

(ग) आवश्यक आदेशों के शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

पूर्वी जर्मनी और बल्गेरिया से ट्रैक्टरों का आयात

8899. श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969-70 में पूर्वी जर्मनी और बल्गेरिया से कई कृषि ट्रैक्टरों का आयात किया गया था और 1970-71 में इन ट्रैक्टरों का आयात करने का कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयात किये गये ट्रैक्टर किन-किन निर्माताओं द्वारा बनाये गये हैं, वे कितनी कितनी अश्वशक्ति के हैं और वे किस देश में बने हुये है ;

(ग) क्या आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों की किस्म का निर्णय करने से पूर्व किसानों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(घ) किसानों और सरकारी संगठनों द्वारा इन ट्रैक्टरों की कुल खरीद का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). 1968-69 की आवश्यकताओं के मुकाबले पूर्वी जर्मनी से 3,000 आर एस औ 9 एग्रीकल्चुरल व्हील्ड ट्रेक्टर (20 अश्व शक्ति) और बुल्गेरिया से 200 टी एल-30 वोल्गर (30 अश्व शक्ति) क्रालर ट्रैक्टरों को आयात करने का निर्णय किया गया था। इनमें से 2,000 आर एस ओ 9 और 200 वोल्गर ट्रैक्टर देश में पहुंच चुके हैं। 1969-70 की आवश्यकताओं के मुकाबले 7,000 आर एस ओ 9 ट्रैक्टर और 600 से 1,000 तक वोल्गर टी एल 30 ए क्रालर ट्रैक्टरों का आयात करने का भी निर्णय किया गया था। 1970-71 के लिए आयात कार्यक्रम अभी तैयार किया जाना है।

(ग) सरकार की नीति देश में ट्रैक्टरों के आयात के लिए अनुमति देना है, बशर्ते विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो, जिनमें ये सम्मिलित है ; (1) ऐसे मेक मेक्स जिनका ऐसा निर्माण कार्यक्रम है जो उद्योग विकास, अन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य द्वारा अनुमोदित है और या जिनका निर्माण कार्य आगामी भविष्य में देश में स्थापित होने वाला है (2) और इन ट्रैक्टरों का या तो ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुदनी में परीक्षण हो चुका हो और संतोषजनक पाए गए हों या बैकल्पिक रूप से पहले आयात किये गये हो और भारतीय परिस्थितियों में उनके संतोषजनक कार्य का हमें पर्याप्त अनुभव हो।

देश में कृषि उत्पादन को तीव्र और विस्तृत करने के वर्तमान संदर्भ में तेजी से फार्मों के यंत्रीकरण पर बहुत बल दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप ट्रैक्टरों की मांग में भारी वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों की ट्रैक्टरों की कुल आवश्यकता का पता लगा लिया गया है। यह बढ़ी हुई मांग न तो देशीय उत्पादन से और न डी टी-14 बी, जैटर 2011 आदि लोक प्रिय मेक वाले ड्रैक्टरों के आयात से पूरी की जा सकी। भिन्न भू-मानचित्रों और देश के विभिन्न भागों में बोई गई फसलों के अनुसार ट्रैक्टरों की किस्म और अश्वशक्ति सीमा अलग अलग है। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए और लोकप्रिय मेकों के जितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता है उतने उपलब्ध न होने के कारण सरकार को अन्य मेकों के ऐसे ट्रैक्टरों को आयात करना पड़ा जो पूर्व पैरा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार है। इन शर्तों के अनुसार दोनों आर एस ओ 9 और वोल्गर टी एल-30 ए क्रालर ट्रैक्टर आयात के लिए उपयुक्त है।

तदनुसार सरकार ने इन ट्रैक्टरों के आयात का निर्णय किया।

(घ) विभिन्न राज्यों। संघ राज्यों क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार ये ट्रैक्टर किसानों को बेचे गए है जो निम्न प्रकार है :—

राज्य। संघ राज्य क्षेत्र ना नाम	किसानों में वितरित किए गए ट्रैक्टरों की संख्या	
	आर एस ओ 9	टी एल-30 ए
आन्ध्र प्रदेश	161	1
पंजाब	450	10
हरियाणा	प्राप्त नहीं हुआ	25
तमिल नाडु	—	इस राज्य को वोल्गर ट्रैक्टरों का कोई नियतन नहीं किया गया।
गुजरात	293	,, ,,
मैसूर	6	,, ,,
केरल	–	1
राजस्थान	130	60

आर एस ओ 9 तथा टी एल-30 ए वोल्गर क्रालर ट्रैक्टरों के वितरण के सम्बन्ध में अन्य राज्यों से जिनको ये ट्रैक्टर नियत किए गए थे, पूरी प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में भूमि वितरण के लिए भूमि सुधार आयोग की स्थापना

8900. श्री समर गुह : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या अवैध रूप से कब्जे में ली गई भूमि को वापिस लेने के लिये तथा उसको भूमिहीन किसानों में वितरण करने के लिये पश्चिमी बंगाल में तुरन्त एक भूमि सुधार आयोग स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : सरकार पश्चिमी बंगाल में भूमि पर जबरन कब्जा करने की समस्या पर विचार कर रही है। अवैध रूप से कब्जे में ली गई भूमि की वापसी और उसे भूमिहीन कृषकों में वितरित करने के लिये इस समय भूमि सुधार आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में आत्म-निर्भरता के लिए धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत भूमि

8901. श्री समर गुह : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) धान की अधिक उपज देने वाली दोहरी फसलों के सम्बन्ध में 1967-69 तक कितने एकड़ अधिक भूमि में धान की खेती की गई है ;

(ग) वर्ष 1969-70 में धान की दोहरी फसल देने वाली किस्मों की और अधिक भूमि पर बुवाई करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) पश्चिम बंगाल में धान की गहन खेती करने के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) किये गये उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) अधिक उत्पादनशील किस्मों तथा बहु फसली कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाना

(2) अपेक्षित आदानों की संगठित व्यवस्था ; तथा

(3) उथले नलकूप खोदकर तथा अन्य लघु सिंचाई कार्यों के द्वारा अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(ख) से (घ). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

संयुक्त मोर्चा शासनकाल में पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्रों का लूटा जाना तथा उनका भूमिहीन किसानों में बांटा जाना

8902. श्री समर गुह क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में पिछले संयुक्त मोर्चा शासन के दौरान राज्य में अधिकांश मत्स्य क्षेत्रों को लूट लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मत्स्य क्षेत्रों को लूटा गया ।

(ग) क्या धान की भूमि के मालिकों ने इनमें से कुछ मत्स्य क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेकर जितनी अधिकतम भूमि रखने के वे अधिकारी हैं उससे अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे अवैध मत्स्य क्षेत्रों को वापस लेने तथा खेती के लिये उनको भूमिहीन किसानों में बांटने अथवा उनको सहकारी अथवा सरकारी मत्स्य क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में मत्स्य की कमी को दूर करने के नये सिरे से प्रयास करेगी ; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) और (च). पश्चिमी बंगाल में मछली विकास के लिये किये जाने वाले प्रयासों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । इन प्रयासों को जारी रखा जायेगा ।

विवरण

केंद्रीय प्लेन स्कीम :

(1) केन्द्रीय योजना के अधीन मुख्य पतनों पर मत्स्य बदरगाहों का प्रबंध करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने हालदिया में जांच पड़ताल के लिये 1965 में 1.5 लाख रुपये की राशि मंजूर की थी। इन पड़तालों से पता चला है कि अन्तिम रूप से चुना हुआ स्थान अनुपयुक्त था और केन्द्रीय सरकार रायचौक नामक दूसरे स्थान पर खोज के लिये सहमत हो गई थी कलकत्ता पतन न्यास द्वारा रायचौक पर पूरी खोज हो चुकी है और मत्स्य बन्दरगाह के लिये नक्शों और अनुमानों को अन्तिम रूप दे दिया है।

(2) मत्स्य पालन के लिये रीक्लेम्ड खारी जल स्वैम्पों में मार्गदर्शी योजना के बारे में 1968 में समन्वेषी कार्य शुरू हो गया और उसके लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यदि रिक्लेम्ड स्वैम्पों के खारी जल में मत्स्य पालन के समन्वेषी अध्ययन सफल हुए तो सुन्दरवन के उत्यक्त नये स्वैम्पों के महान क्षेत्रों से जो अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा उसका आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्व होगा। इस क्षेत्र में उचित मत्स्य फार्म बनाने के लिए डिज़ाइन तैयार किये जा रहे हैं और अध्ययन भी किये जा रहे हैं।

(3) केन्द्रीय समन्वेषी बेड़े को सुदृढ़ करने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं ताकि तट के आसपास संसाधनों का गहन सर्वेक्षण किया जा सके। एक 105 फुट लम्बा जहाज 30.50 लाख की लागत से प्राप्त किया जा चुका है और 17.50 लाख रुपये की लागत के 57 फुट लम्बाई के दो जहाजों के लिये 1968–69 में आदेश दे दिये गये हैं ये जहाज बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में सर्वेक्षण करेंगे। पश्चिमी जर्मनी को 105 फुट लम्बे जहाज के लिये 1969 में आदेश दिया गया था। वह हाल ही में प्राप्त हो गया है और जल्दी ही काम शुरू कर देगा।

(4) तटीय राज्यों की सहायता के लिये अन्य सामान्य उपाय भी किये गये हैं। इन उपायों में गहरे समुद्र में मत्स्य हरण जहाजों के निर्माण की देश में व्यवस्था करना और ऐसे जहाजों के चालकों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्धों का विस्तार करना शामिल है।

राज्य प्लान स्कीमें :

केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य प्लान स्कीमों के अधीन पश्चिम बंगाल सरकार ने कई योजनायें शुरू की हैं जो व्यक्त मच्छली पालन, सामुदायिक विकास खण्डों में तालाब मछली पालन, मत्स्य अंड उत्पादन, मछली पालन आदानों की सप्लाई, मछली पालकों के लिये ऋण व्यवस्था का प्रबन्ध, परिवहन, प्रदर्शन, और मछुयारों के प्रशिक्षण और कल्याण के कार्यों के विकास से सम्बन्धित हैं। इस योजना के अधीन 32 मत्स्य फार्में चल रही हैं और मछली अंड उत्पादन और उनके कृत्रिम प्रजनन के लिये 12 मछली अंड फार्मों की स्थापना की गई है। मत्स्य अंड के परिवहन और विपणन का कार्य दो सेवा एकर्क कर रही हैं। राज्य मत्स्य विकास निगम ने लगभग 1000 एकड़ के क्षेत्र में गहन मत्स्य विकास शुरू किया है। हावड़ा में शीत भंडारगार के निर्माण का कार्य नवम्बर 1968 में पूरा किया गया। मछहरों के लिए नौकाओं, जालों, तालाबों के पुनर्निर्माण आदि के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। मत्स्य अंड सहायता प्राप्त दरों पर बांटे गये हैं।

पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ऋणों की अदायगी से छूट और उनको अन्य सुविधाएं देना

8903. श्री समर गुह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल संयुक्त मोर्चा सरकार ने राज्य में प्रशासन चलाने का दायित्व स्वीकार करने के बाद इस बात का आश्वासन दिया था कि राज्य के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को खेती और उर्वरकों के लिये दिये गये ऋण की अदायगी में छूट देने तथा उनको अन्य सुविधायें देने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा;

(ख) क्या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से उक्त ऋणों की वसूली के लिये नोटिस या बहुत से मामलों में प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि मिदनापुर जिले के कोन्टाई सब-डिविजन में इस बारे में बहुत सी सभायें और प्रदर्शन हुए थे और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को ज्ञापन भेजा गया था जिसमें उन गरीब किसानों को ऋण की अदायगी में छूट देने का अनुरोध किया गया था जो उस क्षेत्र में इस वर्ष खराब फसल के कारण ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि में प्रयोग होने वाले ईंधन के लिए राज सहायता

8904. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री जुगल मण्डल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि के प्रयोग में आने वाले ईंधन के लिये राज सहायता देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) मूल शुल्क दर में रियायत करने से मूल्य में कमी आ जाने पर खपत में बढ़ोतरी हो जाएगी जिसके कारण आयात करने की आवश्यकता पड़ जाएगी और विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ जाएगा ।

लाइट डीजल आइल की घटी कीमत से हाई स्पीड डीजल आइल जैसे मोटर के ईंधन में मिलावट के रूप में इसका प्रयोग बढ़ जाएगा ।

Pulses purchased for Army use from Delhi

8905. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the types of pulses purchased from Delhi for Army use during the last two years and the quality of pulses purchased;

(b) the rates at which such pulses were purchased;

(c) whether Government are satisfied that the pulses supplied by the traders were of the superior quality and were according to the samples supplied earlier;

(d) the reasons for purchasing such pulses from the traders and not from the Food Corporation of India; and

(e) the names of the traders against whom allegations have been made in the newspapers supplying pulses and foodgrains of inferior quality and the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) . A statement showing the types of pulses purchased from Delhi against Army's indents during the last two years, viz., 1968-69 and 1969-70, along with the rates, is attached (Annexure). **[Placed in Library. See No. L. T. 3431/70].**

(c) Only such supplies were accepted as conformed to Army specifications and standards, in accordance with the terms of the contract. Supplies of foodgrains and pulses are not, however, made on the basis of advance samples.

(d) This does not arise, as purchases have, in fact, been made from Food Corporation of India to the extent the Corporation had offered to do so, against Army's requirements. The balance of the demands had to be met, however, from the trade.

(e) The Hon'ble Members perhaps have in mind the newspaper report that appeared in 'The Patriort Delhi, dated 13th April, 1970, to which a reference was made in Short Notice Question No. 22, which was answered in the Lok Sabha on 23rd April, 1970 The position in this regard has already been explained during the course of answers to that Question.

पंजाब में गन्ने का कम मूल्य मिलने के कारण सरकार द्वारा उसकी खरीद

8906. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पंजाब के गन्ना उत्पादकों ने गन्ने का मूल्य कम मिलने के कारण उसको जला डालने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों से उनकी फसल खरीद कर उन्हें सहायता देने की कोई विस्तृत योजना बनाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं । समाचार पत्रों में हरियाणा के किसानों द्वारा अपना गन्ना जलाने

के निश्चय के बारे में सूचना छपी थी लेकिन राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इसी प्रकार पंजाब सरकार ने भी सूचित किया है कि उनके पास भी ऐसी कोई खबर नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Production of Machines and Equipments used in Communication Services

8907. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that production of all types of machines and equipment used in communication services in the country like telegraph, telephone, overseas communications, wireless etc. has since been started in the country; and

(b) if not, the efforts being made by Development authorities in this regard ?

The Minister of State for Communications (Professor Sher Singh) : (a) and (b) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Separate Offices in States for Marketing Development Programme

8908. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Central Government have advised the State Governments that separate Departments should be set up for Marketing Development Programme in each State; and

(b) if so, the reaction of State Governments in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperations (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Taking over ownership and Maintenance of Under-Sea Cables used by Overseas Communications

8909. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ownership of and the responsibility for the maintenance of the under-sea cables being used for overseas communications are that of M/s. Cable and Wireless Ltd., London;

(b) the amount paid by India annually to the said firm for use of the said communications service; and

(c) whether Government are considering the question of taking over the said service; if not the reason therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) No direct payment is made for the use of these cables to the Cable and Wireless Ltd. as these facilities are part of the Commonwealth Communications System in which India is a partner. The total expenditure of the system is pooled and apportioned among the partners according to their revenues.

(c) In view of the position indicated in part (b) of the reply, the question of taking over the service does not arise.

Rules regarding Advertisement for Broadcast

8910. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be plealed to state the rules regarding accepting the advertisements for broadcast ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : Rules regarding acceptance of advertisements are contained in the Code for Commercial Broadcasting a few copies of which have been placed in the Library of Parliament.

भारत के लिए निर्धारित रेडियो 'फ्रीक्वेन्सी'

8911. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को कितनी रेडियो 'फ्रीक्वेन्सी' अलाट की गई है और उनमें से कितनी अप्रयुक्त हैं;

(ख) इनके प्रयोग के लिए कितना समय दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार उनका समय पर प्रयोग कर सकेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क), (ख) और (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (इण्टरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशस यूनियन-आई० टी० यू०), जिनेवा के तत्वाधान में समय-समय पर आयोजित प्रशासनिक रेडियो सम्मेलनों द्वारा प्रसारण, दूरदर्शन, बिन्दु से बिन्दु रेडियो-संचार, रेडियो-नौचालन, उपग्रह संचार आदि जैसी सेवाओं के लिये रेडियो आवृत्तियों (फ्रीक्वेंसियों) का नियतन किया जाता है। यह नियतन देश-वार नहीं किया जाता बल्कि सेवा-वार किया जाता है। सामान्य रूप से भारत समेत आई० टी० यू० के विभिन्न सदस्य-देशों द्वारा अपेक्षित-आवृत्तियां आई० टी० यू० के अन्तर्राष्ट्रीय आवृत्ति पंजीयन मंडल (इण्टरनेशनल फ्रीक्वेंसी रजिस्ट्रेशन बोर्ड-आई० एफ० आर० बी०) के पास पंजियत करा दी जाती हैं और उसके बाद विभिन्न सेवाओं के लिये उनका उपयोग किया जाता है। आई० एफ० आर० बी० के पास पंजीयन के बाद रेडियो आवृत्तियों के उपयोग में लगने वाला समय अलग-अलग सेवाओं के लिये अलग-अलग होता है। प्राय: रेडियो विनियमों के अधीन, आई० एफ० आर० बी० द्वारा विहित समय सीमा के भीतर ही आवृत्ति पंजीयनों का उपयोग कर लिया जाता है।

जम्मू में उच्च शक्ति वाला मीडियम वेव ट्रांसमीटर

8912. श्री अदिचन : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि जम्मू में लगाया जाने वाला उच्च शक्ति प्राप्त मीडियम वेव ट्रांसमीटर कितने क्षेत्र में तथा कितनी जनसंख्या द्वारा सुना जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) : लगभग 15000 वर्ग किलोमीटर में 7 लाख 80 हजार जनसंख्या द्वारा ।

नहरों का निर्माण करने, कुएं खोदने तथा नलकूप लगाने के कार्य में प्रगति

8913. श्री जुगल मंडल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1967–68, 1968–69, 1969–70 में नहरों का निर्माण करवाने, कुएं खुदवाने तथा नलकूप लगवाने में कितनी प्रगति हुई है और विभिन्न राज्यों में प्रति वर्ष कितनी अतिरिक्त एकड़ भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई गई है;

(ख) सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 1970 में कितनी नहरों का निर्माण होगा, कितने कुएं खोदें जायेंगे तथा कितने नलकूप लगाये जायेंगे और कितनी एकड़ अतिरिक्त भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाया जायेगा; और

(ग) सरकार का सिंचाई के मामले में पिछड़े राज्यों को क्या विशेष सुविधाएं देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) वर्ष 1967–68, 1968–69 तथा 1969–70 के दौरान विभिन्न राज्यों में नहरों, कुओं तथा नलकूपों के निर्माण के साथ-साथ बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा लाभान्वित अतिरिक्त क्षेत्र की प्रगति अनुबन्ध I तथा II में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3432/70]**

(ख) वर्ष 1970–71 के कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान, अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों, बाढ़ तथा आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिये राज्यों को वितरित किया जाना है । चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं का भी प्रस्ताव रखा है । इन योजनाओं के क्रियान्वित किये जाने पर पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें बढ़ जायेंगी ।

(I) छोटे किसानों की विकास एजेंसियां ।

(II) सीमांत कृषक तथा कृषि मजदूर ।

(III) समाकलित बारानी भूमि कृषि विकास योजनायें ।

(VI) अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में समाकलित ग्रामीण कार्यों के लिये गैर-योजना की परियोजनायें ।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों को निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व देना

8914. श्री लोबो प्रभु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवक मंडल और बागिनी समाज में निर्वाचन के आधार पर 18 से 30 वर्ष तक के युवकों को निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का तथा आवश्यक होने पर उनके निर्वाचन पंचायतों के साथ ही करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निर्वाचित निकायों को उनकी पंचायतों की आय के 10 प्रतिशत के बराबर अनुदान मंजूर किया जायेगा;

(ग) क्या इन निकायों को गांवों में सुधार लाने के लिए पंचायतों को प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया जायेगा;

(घ) क्या सभी पंचायतों में 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लिए दो स्थान आरक्षित किये जायेंगे; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय का विचार इन प्रस्तावों पर समुचित विचार करने के लिए राज्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने का है ताकि युवक और अधिक भाग ले सकें ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व (घ) युवक मंडल तथा बागिनी समाज ग्रामीण क्षेत्रों में सह-संगठन हैं, इसलिए ये सुझाव मूलतः विभिन्न राज्यों में लागू पंचायती राज विधान के संदर्भ में राज्य सरकारों के विचार के लिए हैं।

(ङ) जी नहीं; इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार द्वारा कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति

8915. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह राय दी गई है कि कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति उसके द्वारा की जानी चाहिये ताकि वे निष्पक्षता से अपना कार्य कर सकें तथा उनका वेतन भी सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) श्रम कल्याण समिति (मालवीय समिति) ने एक ऐसे सुझाव पर विचार किया था परन्तु उसकी सिफारिश नहीं की थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गाय, भैंस और दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि के लिये उपाय

8916. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के अनुपात में मुख्य दुधारू गाय और भैंसों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) गत तीन वर्षों में जनसंख्या के आंकड़ों के साथ-साथ इन पशुओं की वर्षवार अलग-अलग अनुमानित संख्या क्या है; और

(ग) यदि हमारे पशुधन में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है तो उसके क्या कारण हैं तथा अनुपातिक वृद्धि लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) पशुधन गणना पांचवें वर्ष होती है। पिछली गणना 1966 में हुई थी। अधोलिखित सारिणी 1966 और 1961 के लिये दुधारु पशु (तीन वर्ष से ऊपर गाय और भैंसें) और मानव आबादी के आंकड़े प्रदर्शित करती है:—

	1966	1961	प्रतिशत वृद्धि
	हजार	हजार	
1. तीन साल से ऊपर की प्रजनन योग्य गायें	51,771	51,002	1.5
2. तीन साल से ऊपर की प्रजनन योग्य भैंसें	25,515	24,238	5.3
3. मानव आबादी	494,781	439,235	12.6

(ग) विश्व की गायों की आबादी का 16.6 प्रतिशत और भैंसों की आबादी का 44.5 प्रतिशत इस देश सकेन्द्रित है। हां, यह हमारे पशुधन की वास्तविक स्थिति उपस्थित नहीं करती, क्योंकि हमारे पशुधन की उत्पादता बहुत कम है। भारत में औसतन प्रति वर्ष प्रति गाय दूध उत्पादन केवल 1/5 किलोग्राम है जबकि इसकी तुलना में न्यूजीलैंड में 3000 किलोग्राम है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यहां के पशुओं की केवल 25 प्रतिशत ही सुपरिभाषित नस्ल जो दुग्धोत्पादन एवं परिवहन क्षमता या दोनों के लिए योग्य समझी जाती है, की श्रेणी में आती है।

वैज्ञानिक प्रजनन के द्वारा पशुओं के गुण का सुधार दाना और चारा के संसाधनों का विकास और ठीक समय पर रोग नियन्त्रण उपायों पर बल देकर उत्पादता को बढ़ाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं। साथ ही साथ नियंत्रित प्रजनन और निकम्मे नर-पशुओं के बधियाकरण के द्वारा अनार्थिक पशुओं के वर्धन को रोकने के लिये भी उपाय किये जा रहे हैं।

यद्यपि प्रजनन योग्य गायें और भैंसों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, मानव आबादी में वृद्धि की तुलना में कम है, तो भी पशु धन में सुधार लाने के लिये अपनाये गये विभिन्न उपायों के कारण दूध के कुल उत्पादन में एक नियमित वृद्धि हुई है। नीचे दिये हुये कुल दूध उत्पादन के

अनुमानित आंकड़े यह प्रदर्शित करेंगे कि अनावृष्टि और समय समय पर आने वाली अन्य बाधाओं के होते हुये भी प्रगति की जा रही है—

1961	203.8 लाख मीटरी टन
1966–67	204.0 ,, ,, ,,
1967–68	208.0 ,, ,, ,,
1968–69	212.0 ,, ,, ,,
1973–74 के लिये लक्ष्य	260.0 ,, ,, ,,

मनीला में 'वन एशिया एसेम्बली'

8917. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप्रैल, 1970 से मनीला में हुई 'वन एशिया एसेम्बली' में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन समस्याओं पर चर्चा हुई थी; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) भारत लगभग उन 20 देशों में से था, जहां से मनीला में 'वन एशिया एसेम्बली' में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि तथा विचार-विमर्श करने वाले नेता आये थे। इसमें भारत से 30 के लगभग सम्पादकों, विद्वानों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रकाशकों तथा सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

(ख) एसेम्बली में जिन विषयों पर चर्चा की गई, वे केन्द्रीय उद्देश्य 'न्यू डाइरेक्शन्स फार एशिया' पर केंद्रित थे। एसेम्बली में जिन विषयों पर चर्चा की गई, वे ये थे (1) एशिया में संचार साधन, उनकी समस्याएं तथा भविष्य (2) एशिया के भविष्य में विज्ञान का स्थान, (3) जीवन का स्तर; तथा (4) एशिया में प्रेस की बुनियाद तथा एशिया में प्रचलित माध्यम।

(ग) एसेम्बली इन विषयों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का अवसर प्रदान करती है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों में अराजकता

8918. श्री रा० बरुआ : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये कुछ शरणार्थि वसिरहाट में भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिये किसी राजनीतिक दल से मिल गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें अराजकता रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री दामोदरम् संजीवय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of New Sugar Mills in U. P. in Public Sector

8919 **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up some new sugar mills in the public sector in Uttar Pradesh;

(b) if so, the names of the Districts in which the proposed mills would be set up; and

(c) whether it is also a fact that Government propose to set up a sugar mill in Ghazipur district ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड गोपालगंज, सारन, बिहार, द्वारा चीनी का गलत श्रेणीकरण

8920. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी मिल मजदूर संघ से अक्तूबर, 1969 में विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड गोपालगंज, सारन, बिहार के विरुद्ध चीनी के गलत श्रेणीकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या चीनी तथा वनस्पति निदेशालय ने शिकायत के बारे में मौके पर कोई जांच की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) फैक्ट्री के पास चीनी के स्टाक की जांच की गयी थी और कुछ खेप दाने के आकार के बारे में अधिक ग्रेड किए पाये गये थे। यह मामला विचाराधीन है।

Complaint against Sub-Divisional Officer, Telephones, Udaipur

8921. Shri Naval Kishore Sharma : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communicat.ons** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints against Sub-Divisional Officer, Telephones Udaipur to the effect that there is corruption in sanctioning new telephone connections there and that the receipts are obtained from the labourers without making any payment to them;

(b) if so, the action taken by Government in this regard;

(c) whether Government propose to take soon some measures to ensure that the telephone connections are sanctioned expeditiously; and

(d) if so, the time by which these steps are likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) The S. P. E. are making enquiries.

(c) and (d) . The exchange is equipped with a capacity of 1,320 connections but 996 connections are at present working of which 86 were provided during the year 1969-70. Additional connections will be provided as soon as underground cable becomes available for procurement of which serious efforts are being made.

अतिरिक्त विभागीय डाक सेवा में सेवानिवृत्त अधिकारियों को रखने पर रोक

8922. **श्री प० गोपालन :** **श्री के० एन० अब्राहम :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 65 वर्ष की आयु के पश्चात् अतिरिक्त विभागीय डाक सेवा में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को रखने पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश हाल में जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश से कुल कितने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या वे सेवा की निर्धारित अवधि के पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों की तरह आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह सेवा निवृत्त सम्बन्धी लाभों के अधिकारी हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, आयु की पाबन्दी सम्बन्धी आदेश सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए जारी किये गये हैं, जिनमें अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के तौर पर काम करने वाले सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी नहीं । अतिरिक्त विभागीय एजेंट नियमित कर्मचारी नहीं हैं और वे इस तरह के किसी लाभ के हकदार नहीं है । तथापि कम से कम 15 वर्ष की लगातार सेवा संतोषजनक ढंग से पूरी करने पर सेवा निवृत्त होने वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अनुग्रहपूर्वक अधिकतम 500 रुपये के उपदान की अदायगी की जाती है ।

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पोफाली गांव और उसके आसपास डाक, तार तथा टेलीफोन की सुविधाओं की कमी

8923. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पोफाली गांव में और उसके आस-पास इस तथ्य के होते हुए भी कि वहां चीनी का एक बड़ा कारखाना तथा अन्य उद्योगों की स्थापना की जा रही है; डाक, तार तथा टेलीफोन की सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) **डाक सुविधा**

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पोफाली गांव में एक शाखा डाकघर है।

तार और टेलीफोन सुविधायें

इस समय पोफाली गांव में कोई तार या टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सबसे नजदीक स्टेशन, उमरखेद में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह स्टेशन 14 कि० मी० की दूरी पर है।

(ख) **डाक सुविधा**

ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तार और टेलीफोन सुविधाएं

सिवाय एक नयी चीनी की फैक्टरी के जो कि लग रही है, गांव पोफाली का कोई व्यापारिक या प्रसाशनिक महत्व नहीं हैं। ऐसा पता लगा है कि इस गांव की जनसंख्या लगभग 1000 है।

इस योजना का औचित्य उससे होने वाली आय को ध्यान में रखकर आंका जाता है।

(ग) **डाक सुविधा**

ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तार और टेलीफोन सुविधाएं

गांव पोफाली में तार और टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में प्लाटों का आवंटन

8924. श्री देवेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी, नई दिल्ली, के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के नक्शे में दिखाये गये सभी रिहायशी प्लाटों को आवंटित कर दिया गया है;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के ऐसे विस्थापित व्यक्ति हैं जिनको उक्त कालोनी में अब तक कोई रिहायशी प्लाट आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने किसी रिहायशी प्लाट के आवंटन के लिए निर्धारित प्रपत्र अथवा किसी अन्य तरीके से, निर्धारित तिथि अथवा किसी अन्य तिथि तक, आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में अब तक कितने आवेदन–कर्ताओं नाम हैं; और

(ङ) सरकार का विचार किस प्रकार उन सबको उक्त कालोनी में स्थान देने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कालकाजी, नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में आवंटन के लिये अपेक्षित सभी विकसित प्लाट पात्र आवेदकों को लाटरी निकालकर या तो आवंटित कर दिये गये हैं अथवा आवंटन के लिये नियत कर दिये गये हैं। बड़े आकार के 55 प्लाट सामूहिक आवास के लिये रखे गये है। विस्थापित व्यक्तियों की पंजीकृत सहकारी गृह निर्माण समितियां फ्लैट आदि बनाने हेतु इनके आवंटन के लिये आवेदन कर सकती हैं।

(ख) से (ङ) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में प्लाटों के आवंटन के लिये आवेदन पत्र देने वालों के अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के बारे में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जनवरी, 1966 तथा अगस्त 1967 में जारी की गई दो प्रेस विज्ञप्तियों के परिणामस्वरूप 2510 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 1832 आवेदकों को प्लाटों के आवंटन के लिये पात्र पाया गया था।

कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को अग्रिम धन देना

8925. श्री देवेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी, नई दिल्ली, के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के अलाटियों ने, केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उनके मकानों का निर्माण करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक आवास योजना के लिए धन दिया जाने और इसके लिए सरकार भूमि तथा मकानों को बन्धक के तौर पर रखे जो कि धन के प्राप्तकर्ताओं से मकानों की लागत को वसूल करने के लिए गारन्टी होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सरकार ने अग्रिम धन देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री दामोदरम् संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा ऋण दिया जाना सम्भव नहीं समझा गया, किन्तु यह प्रश्न, कि क्या इस प्रकार का ऋण दिल्ली विकास प्राधिकरण को जीवन बीमा निगम से प्राप्त हो सकता है, विचाराधीन है।

भूमि अर्जन के बारे में समान विधान बनाना

8926. श्री लोबो प्रभु : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन के बारे में संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या सरकार का विचार अपेक्षित विधान लाने का है; और

(ख) चूंकि समूचे देश में भूमि अर्जन सम्बन्धी समान विधान बनाना न्यायोचित है, तो क्या राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करने के लिए, जिनके अपने-अपने अर्जन सम्बन्धी कानून हैं; कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . सरकार भूमि अर्जन विषयक संसदीय समिति की सिफारिशों की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों एवं सिफारिशों से मुख्यतया सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों के परामर्श से जांच-पड़ताल कर रही है। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकारों आदि के परामर्श से अपेक्षित कानून लाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर यथासमय विचार किया जाएगा।

मंगलोर में नये डाकघर के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन

8927. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री मंगलोर में नये डाकघर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में 16 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6482 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो स्थान उपलब्ध है वह कम है और यदि हां, तो डाक घर के लिए कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है और इमारत के मालिक को इमारत में से और अधिक स्थान देने के लिये न कहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंगलोर नगरपालिका का अध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख सदस्य इमारत के स्थान के लाभों के बारे में किये गये दावों को स्वीकार करते हैं; यदि हां, तो करार का रिकार्ड क्या है;

(ग) क्या यह विभाग की मितव्ययता की नीति के अनुकुल है कि भारी पूंजी व्यय के अतिरिक्त जो कि न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन की लागत के बारे में निर्णय दिये जाने के पश्चात और भी अधिक व्यय हो सकता है, वार्षिक व्यय में 3430 रुपये की वृद्धि करनी होगी;

(घ) यदि सब-पोस्टमास्टर के लिए आवास की आवश्यकता है, तो उसको पहले अर्जित की गई 'ली वैल' स्थान पर न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सब पोस्टमास्टरों के लिए आवास की व्यवस्था करना विभाग की नीति के अनुसार है जबकि 'ली वैल' क्षेत्र में 5 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए निधियों में व्यवस्था अभी की जानी शेष है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। केवल 210 वर्गफुट जगह उपलब्ध है जबकि विभागीय मानकों के आधार पर डाकघर के लिए 340 वर्गफुट जगह उचित ठहरती है (इसमें आगे के विस्तार के लिए भी व्यवस्था है) और नायब पोस्टमास्टर के क्वार्टर के लिए 400 वर्गफुट की जरूरत है। मौजूदा किराये की इमारत में यह अतिरिक्त 530 वर्गफुट जगह उपलब्ध नहीं है और किराये के भवन का और विस्तार भी सम्भव नहीं है।

(ख) विभाग द्वारा चुनी गई जगह के औचित्य के बारे में स्थानीय विभागीय अधिकारियों ने 18-11-69 को अध्यक्ष और दूसरे प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों को मौखिक रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी थी, परन्तु उन्होंने अभी तक डाक घर के लिए कोई उचित वैकल्पिक जगह नहीं बताई है।

(ग) यदि किराये की इमारत में जगह की कमी हो और बदले में कोई जगह उपलब्ध न हो या उचित किराये पर न मिल सके तो विभागीय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करके उन पर आगे कार्रवाई करनी होती है।

(घ) विभागीय नियमों के अनुसार, नायब पोस्टमास्टर को डाक घर के अहाते में ही रिहायशी स्थान देना पड़ता है।

(ङ) ऊपर (घ) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि स्नातक

8928. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री कृषिस्नातकों के बारे में 3 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकत्रित की गई सूचना में पाई गई असंगतियों को इस बीच ठीक कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो एकत्रित की गई सामग्री का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सूचना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) ब्योरा सहित एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3433/70]**

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मद्रास से अन्य शहरों को सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था को लागू करना

8929. श्री मुरासोली मारन : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से अन्य विभिन्न शहरों को सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के क्या नाम हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क), (ख) और (ग) (1) जी हां। निम्नलिखित मार्गों पर उनके सामने लिखी तारीख से उपभोक्ता ट्रंक डायल सेवा चालू की गई है :—

(क)	मद्रास	– बंगलोर	–	19–3–66
(ख)	मद्रास	– कोयम्बटूर	–	28–3–69
(ग)	मद्रास	– तिरुचि	–	15–8–69

(2) निम्नलिखित नए मार्गों पर उपभोक्ता ट्रंक डायल सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई। इन मार्गों के सामने दी गई तारीख को यह सेवा चालू होने की सम्भावना है :—

मार्ग		चालू होने की संभावित तारीख
(क)	मद्रास–चिंगलेपुट	अक्तूबर, 70
(ख)	मद्रास–मदुरै	मार्च, 71
(ग)	मद्रास–नई दिल्ली	मार्च 71
(घ)	मद्रास–बम्बई	मार्च, 71
(ङ)	मद्रास–एर्नाकुलम	मार्च, 74
(च)	मद्रास–कलकत्ता	मार्च, 74

1969–70 में चीनी का उत्पादन

8930. श्री जुगल मंडल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70 में, राज्यवार, कुल कितनी चीनी का उत्पादन हुआ है और विभिन्न चीनी के कारखानों से, राज्यवार कितनी चीनी अब तक प्राप्त की गई है; और

(ख) सरकार को आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1969–70 में (1 अक्तूबर, 1969 से 30 सितम्बर, 1970) 22 अप्रैल, 1970 तक चीनी का 35.46 लाख टन उत्पादन हुआ है। 22 अप्रैल, 1970 तक चीनी के राज्यवार उत्पादन और 1969 के सीजन में 7 अप्रैल 1970 तक प्रतिशत गन्ने से चीनी की प्राप्ति एक विवरण संलग्न है।

(ख) चीनी की वर्ष 1969–70 में आन्तरिक खपत का अनुमान लगभग 33 लाख टन है। चीनी का निर्यात प्रति वर्ष के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1969 में 94,000 टन चीनी का निर्यात किया गया था। 1970 में लगभग 2.25 लाख टन चीनी का निर्यात करने की पहले ही व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा और चीनी का निर्यात करने का प्रश्न विचाराधीन है।

विवरण

चीनी के राज्यवार उत्पादन तथा प्रतिशत गन्ने से चीनी की प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1969–70 के सीजन में 22 अप्रेल, 1970 तक का चीनी का उत्पादन (हजार टनों में)	1969–70 के सीजन में प्रतिशत गन्ने से चीनी की प्राप्ति (प्रतिशत)
उत्तर प्रदेश	– 1295	9.49
बिहार	– 321	9.31
हरियाणा	– 80	9.07
पंजाब	– 64	8.80
आसाम	– 8	8.93
उड़ीसा	– 14	9.25
पश्चिमी बंगाल	– 14	9.47
मध्य प्रदेश	– 34	9.22
राजस्थान	– 18	8.70
महाराष्ट्र	– 900	10.90
गुजरात	– 83	9.83
आन्ध्र प्रदेश	– 304	9.36
तमिल नाडु	– 185	8.30
मैसूर	– 200	9.86
केरल	– 16	8.84
पांडिचेरी	– 10	8.63

नोट :—उक्त आंकड़े अस्थायी हैं और इसमें अदल बदल हो सकती है क्योंकि इनमें कुछ कारखाने में उत्पादन की केवल अनुमानित मात्रा ही शामिल की गई है।

अस्थायी सिनेमा घरों को चलाने के बारे में दिल्ली प्रशासन की नीति

8931. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन उप–नगरीय क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें अस्थायी सिनेमा घर चलाने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) उन क्षेत्रों और व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके अस्थायी सिनेमाघर चलाने के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु दिये गये आवेदन विचाराधीन हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके अस्थायी सिनेमाघर चलाने के लिए लाइसेंस की मंजूरी हेतु दिये गये आवेदन पत्र वर्ष 1967–68, 1968–69, 1969–70 (मार्च, 1970 तक) में रद्द कर दिये गये थे; और उनको किस अधार पर रद्द किया गया था

तथा अस्थायी सिनेमाघर चलाने के लिए लाइसेंसों को मंजूरी के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की नीति क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) निम्नलिखित स्थानों पर सामान्य रूप से अस्थायी सिनेमा घर चलाने के लिए लाइसेंस दिए गये हैं :—

(1) राजौरी गार्डन, नई दिल्ली ।

(2) महीपालपुर गांव, नई दिल्ली ।

(3) चौकरी मुबारकाबाद गांव, ज़खीरा, दिल्ली ।

(4) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।

(5) हरी नगर, तिहाड़, दिल्ली ।

(6) शकूर बस्ती, दिल्ली ।

(7) विश्वास नगर, शाहदरा ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–एक) ।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–दो) ।

दिल्ली प्रशासन की नीति परिशिष्ट–तीन में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3434/70]**

Telephone Directory for Bihar Circle

8932. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Information and Bradcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the date on which the Telephone Directory for Bihar Circle was published last, when its copies were distributed, the date upto which it contained the information, the date on which the addendum to the said directory was issued and the date upto which it contained the information and the date by which the next edition of the directory is likely be published and distributed and the date upto which information will be included in it; and

(b) the steps being taken to minimise the delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The last issue of the Bihar Circle Telephone Directory was published in May, 69 It contained information corrected upto 31.1.69. It was distributed in June, 69. A supplementary directory in respect of Patna Exchange was issued in January, 70 at the time of cut over of Rajendra Nagar crossbar exchange. This was corrected upto October, 69. The next issue of the Circle Directory is expected to be published by August, 70. It is likely to include corrections upto 31.5.70. The distribution will be done within one month of publication.

(b) The last three issues of Bihar Circle Directory were published at the prescribed intervals. The issue subsequent to the Jan. 69 issue has not yet been published due to some procedural delay in the appointment of printers for the next four issues. The printers have now been appointed and all steps are being taken to publish the issue as early as possible.

पशुओं पर परीक्षण

8933. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण सम्बन्धी समिति ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि पशुओं पर परीक्षण न किये जायें;

(ख) क्या अनुसन्धान के वैकल्पिक तरीकों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) बरेली स्थित भारतीय पशु-चिकित्सा संस्थान में अनुसंधान के वैकल्पिक तरीकों, अर्थात तन्तु संवर्धन तकनीकी पर किये जा रहे अनुसंधान कार्य का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या समिति ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पशुओं सम्बन्धी कार्य करने वाले सभी चिकित्सा तथा शैक्षणिक संस्थानों का पंजीकरण करने की व्यवस्था करें; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत समिति इस बात से सहमत थी कि मानव तथा पशु दोनों के ही दुखों को दूर करने के लिए तथा विज्ञान के विकास के लिए पशुओं पर परीक्षण करना आवश्यक है। परन्तु भारत में पशुओं पर की जाने वाली अनावश्यक निर्दयता को दूर करने के लिए तथा भारत में पशु परीक्षण को नियमित करने के लिए एक परिवर्तनशील कानून बनाने की सिफारिश की है।

(ख) जी हां। जहां सम्भव हो संस्थानों तथा वैज्ञानिकों द्वारा पशुओं पर परीक्षण करने के स्थान पर तन्तु संवर्धन तकनीकों तथा एम्ब्रियोनेटिड अन्डों पर प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ग) पशु प्लेग तथा मुंह और पैर पकने के रोगों के लिए टीके तैयार करने के लिये बरेली तथा मुक्तेश्वर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्था में यथासम्भव तन्तु संवर्धन तकनीकों की वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाया जा रहा है।

(घ) पशु निर्दयता निवारण समिति ने 1957 में जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें सभी चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी संस्थानों के पंजीकरण के विषय में कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई है। पशु निर्दयता निवारण अधिनियम में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अन्तर्गत ऐसे संस्थानों का पंजीकरण आवश्यक हो।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

मासाब टैंक हैदराबाद में निष्क्रांत सम्पत्ति संख्या 12 तथा 15

8934. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मासाब टेंक, हैदराबाद में सम्पत्ति संख्या 12 तथा 15 को 24 सितम्बर, 1963 को नीलामी द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान से एक शरणार्थी श्री बलदेवराज को 16,000 रुपये में बेचा गया था;

(ख) क्या यही सम्पत्ति श्री मुहम्मद यूनस सलीम, केन्द्रीय सरकार के एक मन्त्री की पत्नि श्रीमती सजीदा खातून के कब्जे में थी;

(ग) यदि हां, तो पुनर्वास विभाग कैसे सम्पत्ति को नीलाम कर सकता था;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि सम्पत्ति अभी भी श्रीमती सजीदा खातून के तथा उनसे अधिकार के दावे करने वाले अन्य व्यक्तियों के कब्जे में है; और

(ङ) सरकार, सम्पत्ति को खरीदार को दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री दामोदरम् संजीवैय्या) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . श्रीमती के० रामासुभम्मा द्वारा स्थापित की गई कही जाने वाली एक झोंपडी और खम्बों को हटाने के बाद, नीलाम–खरीदार, श्री बलदेव राज, को प्लाटों का वास्तविक कब्जा 7–6–1967 को मौके पर दे दिया गया था। श्रीमती सजीदा खातून के इस दावे को, कि प्लाट उसके हैं और निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं है, अभिरक्षक द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकार तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954, और उसके अधीन नियमों में की गई व्यवस्था के अधीन, प्लाटों को बेचा जा सकता था इसलिये 24–9–1963 को उनका नीलाम किया गया था।

(घ) वास्तविक कब्ज़ा देने और श्री बलदेव राज के नाम में बिक्री प्रमाण–पत्र जारी करने के उपरान्त इस मामले में पुनर्वास विभाग भारमुक्त हो गया और इन प्लाटों के सम्बन्ध में विभाग को और कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जैसा कि पहले बताया गया है कि इन दो प्लाटों का वास्तविक कब्जा श्री बलदेव राज को 7–6–1967 को सौंप दिया गया था। इस सम्बन्ध में पुनर्वास विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करनी शेष नहीं है।

संसद सदस्यों के लिए टेलीवीज़न सैट

8935. श्री रा० बरुआ : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने संसद् सदस्यों को सरकारी कोटे से अब तक टेलीवीज़न सैट दिये गये हैं;

(ख) कितने टेलीवीजन सैट वास्तव में सदस्यों के निवास–स्थानों पर लगाये गये हैं;

(ग) शेष सदस्यों को टेलीवीजन सैट उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं जबकि उन्हें यह बहुत पहले आवंटित किये गये थे; और

(घ) उन सभी सदस्यों को टेलीविजन सैट देने में अभी कितना समय लगेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख) . संसद सदस्यों को बिक्री के लिए टेलीवीजन सैटों का कोई सरकारी कोटा नहीं । एक स्थानीय विक्रेता, जिसने 1965 में कुछ सैट आयात किये थे, को रजामंद किया गया था कि वह संसद सदस्यों को 100 सैट बेचे । इसके अतिरिक्त, सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी ने संसद सदस्यों को प्राथमिकता आधार पर 30 सैट बेचना स्वीकार किया था । इन सैटों के आवंटन तथा इनकी बिक्री के बारे में स्थिति इस प्रकार है :–

सैट की श्रेणी	संसद सदस्यों को बिक्री के लिए उपलब्ध सैटों की कुल संख्या	संसद सदस्यों से प्राप्त प्रार्थनाओं पर अलाट किए गए सैटों की संख्या	वास्तव में लगाये गए सैटों की संख्या
गैर–सरकारी विक्रेता के पास आयातित सैट	100	100	40
सी० ई० ई० आर० आई०	30	29	12

(ग) तथा (घ) . विक्रेता ने इस मन्त्रालय को सूचित किया है कि सैटों को सम्बन्धित सदस्यों को वितरित करने से पहले उसने कुछ पुर्जे आयात करने हैं और सैटों की मरम्मत करनी है । उसको उम्मीद है कि वह यह काम कुछ महीनों में पूरा कर सकेगा । जहां तक सी० ई० ई० आर० आई० द्वारा बनाए गए सैटों का सम्बन्ध है, शेष आवण्टितियों ने अभी तक सैट नही खरीदे हैं ।

आकाशवाणी पर पेय मद्य पदार्थों (एल-कोहल) के बारे में विज्ञापन

8936. श्री रा० बरुआ : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा में पेय पदार्थों (एल-कोहल) के बारे में विज्ञापन प्रसारित नहीं किये जाते;

(ख) क्या आकाशवाणी द्वारा पेय मद्य पदार्थों के विज्ञापनों के प्रसारण पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो आकाशवाणी पेय मद्य पदार्थों के बारे में विज्ञापन प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ताकि अधिक राजस्व प्राप्त हो सके

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी द्वारा पेय मद्य पदार्थों के विज्ञापन प्रसारण के लिए स्वीकार नहीं किए जाते ।

(ख) व्यापारिक प्रसारण संहिता के अन्तर्गत इस प्रकार के विज्ञापनों को अनुमति नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीव विज्ञान उत्पाद संस्थान, महऊ में पांव तथा मुंह के रोगों के टीके बनाना

8937. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने महऊ के जीव-विज्ञान उत्पाद संस्थान में पांव तथा मुंह के रोगों के टीके बनाने की योजना का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय का इसे कब स्वीकृति देने का विचार है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख) . मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा के निदेशक ने जीव-विज्ञान उत्पाद संस्थान, महऊ में पांव तथा मुंह के रोग के टीके तैयार करने के केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में 21 मार्च, 1970 को पशु-पालन आयुक्त को लिखा था। चौथी योजना में पांव तथा मुंह की बीमारी के टीके तैयार करने की योजनाओं का सम्बन्ध राज्य क्षेत्र से है। मध्य प्रदेश के पशु चिकित्सा सेवा के निदेशक को उन बातों के बारे में सलाह दी गई है जिन पर कि वे टीकों के निर्माण के लिए योजना तैयार करने से पहले विचार करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में इमारतों, उपकरणों, शीशे के सामान आदि के ब्योरे के विषय में एक आदर्श योजना राज्य सरकारों को परिचालित की गई है।

दुग्ध चूर्ण के लिए मध्य प्रदेश द्वारा किया गया अनुरोध तथा उस राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

8938. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उनके मन्त्रालल से दुग्ध चूर्ण की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है और यदि हां, तो उन्होंने कितने दुग्ध चूर्ण की मांग की है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को पता है कि मध्य प्रदेश में प्रति दिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता उस मात्रा की आधी से भी कम है, जितनी मात्रा की सिफारिश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने की थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या दूध की सप्लाई की जायेगी और यदि हां, तो कितने दूध की और यदि उनकी दूध सम्बन्धी पूरी मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 5 दुग्ध सप्लाई योज-

नाओं के लिए 1970–71 के लिये 145 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की सप्लाई का प्रबन्ध करने के लिये प्रार्थना की है;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मध्य प्रदेश के लिये प्रति व्यक्ति प्रतिवेदन के हिसाब से दूध उपलब्धि के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। फिर भी भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद की पोषण सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 283 ग्राम दूध की आवश्यकता है। इस सिफारिश की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति के लिये दैनिक दूध की उपलब्धि 84 ग्राम है।

(ग) दूध की सप्लाई उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सहित सारे देश में सब आवश्यक उपाय किये गये हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. अखिल भारतीय आदर्श ग्राम योजना।
2. सघन पशु विकास योजना।
3. संकर प्रजनन योजना।
4. दाना–चारा विकास योजना।
5. बछड़ा पालन योजना।
6. पशु प्रदर्शन और दुग्ध उत्पादन प्रतियोगितायें।
7. रोग नियन्त्रण कार्यक्रम :—
   (1) पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की संख्या बढ़ाना।
   (2) रिंडरपेस्ट उन्मूलन योजनायें।
   (3) सीरा और बेक्सीन उत्पादन के लिये बायोलोजीकल उत्पाद प्रयोगशालाओं का विस्तार।

उत्पादन की वृद्धि विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है। अतः होने वाली वृद्धि के बारे में भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है।

मध्य प्रदेश में समन्वित पशुपालन कार्यक्रम की योजना

8939. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र की समन्वित पशु पालन कार्यक्रम की योजना को 1968–69 में कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव किया था और इसे 1969–70 के लिए राज्य वार्षिक योजना में शामिल किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों ने योजना की स्थापना के लिये दुर्ग में पशुपालन फार्म के स्थल का निरीक्षण किया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय योजना की स्वीकृति देगा और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के परामर्श से योजना पर विचार किया गया है और उनसे इसका परिशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

मध्य प्रदेश को विदेशी नस्ल के साडों तथा गायों के लिए मांग

8940: श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उसे विदेशी नस्ल के सांडों और गौवों की सप्लाई किये जाने की मांग की है और उनकी कितनी संख्या में मांग की गई है; और

(ख) इस मांग को कब तक और कितनी संख्या में पूरी की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने समस्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि के लिये 38 जर्सी सांड 60 जर्सी गायें, 2 लाल डेने साड और 30 लाल डेने गाय की मांग की है।

(ख) अब तक मध्य प्रदेश सरकार को 13 जर्सी सांड और 5 जर्सी बछड़े सप्लाई किये गये हैं। विदेशी पशुओं के नियतन के साथ-साथ अब तक अमरीका की बछड़ा परियोजना या आस्ट्रेलिया की "सोसायटी फार दोज हू हैव लैस" आदि से दान प्राप्त हुआ है। इन नस्लों के पशु उपलब्ध होने पर अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के साथ-साथ इस राज्य की आवश्यकता पर भी विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश की रूसी मेरीनों तथा रेमबोलेट नस्ल की भेड़ों की मांग

8941. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने रूस की मैरीनो तथा रेमबोलेट नस्ल की भेड़ों के लिये मांग की है और यदि हां, तो कितनी भेड़ों की मांग की गई है;

(ख) कब तक और कितनी संख्या में भेड़े सप्लाई की जायेंगी; और

(ग) यदि समूची मांग पूरी नहीं की जा सकती तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) . संकर प्रजनन द्वारा स्थानीय भेड़ों की ऊन के गुणों के सुधार के लिए 1969-70 तथा 1970-71 में विदेशी भेड़ों के आयात कार्यक्रम को अन्तिम रूप देते हुये अन्य राज्य सरकारों के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार से भी रूसी मैरीनों तथा रेमबोलेट नस्ल की विदेशी भेडों के सम्बन्ध में उनकी आवश्यकताओं को पूछा गया था। इसके प्रत्युत्तर

में पशु पालन निदेशक ने अपने नवीनतम पत्र में राज्य की आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि 1970-71 में उन्हें 40 रूसी मेरीनों भेड़ें (10 मेढ़े और 30 भेड़ें) और आगामी वित्तीय वर्ष की अवधि में 25 रेमवोलेट भेड़ों की आवश्यकता होगी। भेड़ों की इस आवश्वकता की 1970-71 और 1971-72 के प्रस्तावित आयात कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों में उठाऊ सिंचाई योजना में वृद्धि के लिए कार्यक्रम

8942. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में उठाऊ सिंचाई में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार इसका ब्योरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) मैदानी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिये लघु सिंचाई योजनाओं की क्रमशः क्या अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ?

खाद्य; कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) (क), (ख) तथा)घ) . राज्यों की चौथी पंच वर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) दिनांक 1-4-1970 में किसी लघु सिंचाई योजना के लिये अधिकतम वित्तीय सीमा को मैदानी क्षेत्रों के लिये 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिये 30 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के लिए अलग पोस्टल सर्किल बनाना

8943. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के लिये अलग पोस्टल सर्किल बनाने की बहुत मांग है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार को एक अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और मामला विचाराधीन है।

जनरल जोरावर सिंह की स्मृति में डाक-टिकट

8944. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत के विजेता जनरल जोरावर सिंह के सम्मान में एक स्मृति डाक-टिकट जारी करने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है और कब तक ऐसे टिकट जारी किये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव डाक–टिकट सलाहकार समिति की 14 अप्रेल, 1970 को हुई पिछली बैठक में उसके समक्ष रखा गया था। समिति ने यह इच्छा प्रकट की है कि जून या जुलाई में होने वाली इसकी अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बीड़ी उद्योग का सर्वेक्षण

8945. श्री राजदेव सिंह : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बीड़ी उद्योग का सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार संगठन का सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने को कहेगी ताकि बीड़ी उद्योग के बड़ी संख्या में मजदूरों को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाकर लाभान्वित किया जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) . कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बीड़ी उद्योग का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस मामले में सम्बन्धित पक्षों का परामर्श लेकर आगे कार्यवाही की जा रही है।

आकाशवाणी के आर्टिस्टों को कार्मिक संघ के अधिकार न देना

8946. श्री यशपाल सिंह : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आकाशवाणी के आर्टिस्टों की इस शिकायत की ओर दिलाया गया है कि उन्हें अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए कार्मिक संघ बनाने के सामान्य बुनियादी अधिकारों की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस मामले को एक स्वतन्त्र अधिकारी को सौंपने का प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ. कु. गुजराल) : (क) इस आशय की समाचार पत्र में छपी खबर सरकार ने देखी है।

(ख) आकाशवाणी के कर्मचारियों जिनमें स्टाफ आर्टिस्ट भी शामिल है के ट्रेड यूनियन के आधारभूत सामान्य अधिकारों को दबाने या उन्हें न देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार डाक तथा तार सर्किल के मुअत्तिल कर्मचारी

8947. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सर्किल में डाक तथा तार विभाग के कुछ कर्मचारी अभी भी, नियुक्त करने में समक्ष अधिकारी से छोटे एक अधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत 19 सितम्बर 1968 की सांकेतिक हड़ताल तथा उसके बाद के 'नियम के अनुसार कार्य करो' 'आन्दोलन के सिलसिले में मुअत्तिल हैं;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारी कटिहार तथा अन्य स्थानों में विशेष रूप से अभी तक मुअत्तिल हैं हालांकि उनका किसी प्रकार की हिंसा में हाथ नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की तुरन्त पुनः नियुक्त करने और अब तक चल रही मुअत्तिली के औचित्य की जांच के आदेश दिये जा रहे हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) . बिहार सर्कल में हड़ताल के कारण जितने भी कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। गया विभागीय तारघर में काम करने वाले दो कर्मचारियों को बाद में अदालत ने अनिवार्य सेवा अध्यादेश की धारा 4 के अधीन दण्ड दिया था इसलिए उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 (2) (ख) के अधीन दण्डित करने की तारीख से निलम्बित माना गया है।

(ग) इन दो कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हाल ही में अल्पसंख्यकों के भारत आने का समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"हाल ही में लगभग 50,000 अल्पसंख्यकों के पूर्व पाकिस्तान से भारत आने का समाचार"

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्दपाल सिंह) : जैसा कि सदन को मालूम है, पूर्व पाकिस्तान में अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों को निरंतर ही अभावों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से विगत वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में वे लोग भारत में आ गए हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की दशा की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित किया है और उनसे यह अनुरोध किया है कि वह 1950 के नेहरू लियाकत करार के अनुसार उनकी सुरक्षा, पूर्ण स्वतंत्रता और समान अधिकारों का सुनिश्चय करे।

पिछले कुछ महीनों में पूर्व पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की संख्या और बढ़ गई है। सदन में बहस के जरिए और प्रश्नों के उत्तरों के जरिए सदन को इस स्थिति से अवगत रखा गया है और इस सिलसिले में अद्यतम प्रश्न संख्या 1466 है जिसका उत्तर कल दिया गया। इस संख्या में वृद्धि का कारण आमतौर से सुरक्षाहीन परिस्थितियां, आर्थिक निराशाएं तथा अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के साथ अभावपूर्ण बर्ताव है। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यकों के प्रति जो रुख अख्तियार किया है और जिसकी चर्चा चुनाव आन्दोलन में हुई है उसकी वजह से भी अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर बुरा असर पड़ रहा है।

पूर्व पाकिस्तान से आने वालों की संख्या में इतनी वृद्धि हो जाने की वजह से सदन की ही तरह सरकार भी चिन्तित है और बताया जाता है कि इस वर्ष 29-4-1970 तक अन्दाजन 34,500 व्यक्ति भारत पहुंचे हैं।

भारत सरकार ने इस बात के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है कि पाकिस्तान के निरंतर दुखी अल्पसंख्यक समुदाय की दशा सुधारने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है और पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के जीवन, सम्पत्ति और आत्मसम्मान की रक्षा का निश्चय करने के लिए कारगर कदम उठाए जिससे कि वे शांतिपूर्वक और सम्मान के साथ पाकिस्तान के अन्य नागरिकों के समान नागरिक बनकर रह सकें। पाकिस्तान सरकार से यह भी कहा गया है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों में फिर से विश्वास पैदा करे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य इस तरह भारत में न आते जाएं।

सदन यह स्वीकार करेगा कि यह एक नाजुक मामला है और इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया के मामले में और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम जो कार्रवाई करें उसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यह जरूरी है कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे प्रतिक्रियावादी तत्वों को तनाव पैदा करने और अवांछनीय घटनाएं करने का मौका मिले।

श्री समर गुह : इस वक्तव्य से पता चलता है कि सरकार पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी उपेक्षा की नीति अपनाये हुए है। इन अल्प संख्यकों को विभाजन के समय आश्वासन दिये गये थे। पूर्वी पाकिस्तान से आने वालों की संख्या कई लाख है। देश की स्वतन्त्रता के संघर्ष में इन लोगों ने बहुत बलिदान दिये थे। सरकार की यह जानकारी कि केवल 34,000 व्यक्ति आये हैं गलत है। ये लोग केवल पश्चिम बंगाल में न आकर आसाम, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी आये हैं। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने स्वयं मुझे यह बताया था कि वहां पर प्रति दिन 100 से 200 व्यक्ति आ रहे हैं।

मेरे पास इस समय पूर्वी पाकिस्तान का एक नक्शा है। इससे देखा जा सकता है कि किन किन स्थानों से लोग आ रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान के खुलना, सिलहट तथा चटगांव जिलों में हिन्दुओं की लगभग आधी जनसंख्या थी। अब पाकिस्तान सरकार उन पर अत्याचार कर रही है और उन्हें निकाला जा रहा है। पाकिस्तान सरकार चाहती है कि पूर्वी पाकिस्तान की जन संख्या कम की जाये ताकि पश्चिम पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान पर प्रभुत्व और कड़ा किया जा सके। इसमें बेचारे हिन्दुओं को अत्याचार का निशाना बनाया जा रहा है। पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू जीवन के सभी पहलुओं में प्रमुख स्थान रखते थे। अब उन्हें वहां से चले जाने पर मजबूर किया जा रहा है।

पाकिस्तान में आगामी अक्तूबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं। कुछ हिन्दु विरोधी दल हिन्दुओं के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। इससे वहां आतंक फैला हुआ है। और हिन्दुओं को निकाला जा रहा है ताकि वे चुनाव में भाग न ले सकें।

यहां पर हमारी सरकार बिल्कुल लापरवाह हो गई है। यह पाकिस्तान सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती। सरकार को चाहिये कि पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं की मान, मर्यादा को सुरक्षित कराये। वहां पर हिन्दुओं की सभी प्रकार की सम्पत्ति पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। उनके साथ सभी मामलों में भेदभाव किया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार की हिन्दुओं को तंग करके वहां से निकालने की नीति के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने जनमत तैयार किया है अथवा करेगी ? हाल में बड़ी संख्या में हिन्दुओं के निकाले जाने के विरुद्ध सरकार ने पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजने में इतनी देरी क्यों की ? क्या सरकार पाकिस्तान सरकार से कहेगी कि ढाका स्थित हमारे उप उच्चायुक्त को उन क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति दे जहां से हिन्दू निकाले जा रहे हैं ? क्या आकाशवाणी द्वारा प्रचार किया जायेगा ? क्या सरकार नेहरू–लियाकत समझौते को पुनः लागू करेगी ताकि अल्प संख्यकों के हितों को सुरक्षित किया जा सके ? यदि पाकिस्तान पर कोई प्रभाव नहीं होता तो क्या सरकार पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच विमान सेवा को बन्द करने के लिये कहेगी और इस प्रकार पाकिस्तान पर दबाव डालेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों की दुर्दशा पर हमें बहुत चिन्ता है। सरकार इस बारे में लापरवाह नहीं है। हमने अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश की है। हमारे समक्ष कुछ कठिनाइयां है। हमने इस बारे में अनेक बार पाकिस्तान से बातचीत की है। मैं यही कह सकता हूं कि पाकिस्तान सरकार की अल्प संख्यकों के प्रति नीति दक्षिणी अफ्रीका की जाति भेद तथा रंग भेद की नीति से भी खराब है। आने वाले व्यक्तियों के बारे में मैंने जो आंकड़े दिये हैं उनमें कुछ अन्तर हो सकता है।

हम मित्र देशों को इन घटनाओं की सूचना देते रहते हैं इस बारे में मैं रूस का उल्लेख करना चाहताहूं क्योंकि ताशकन्द समझौते के पीछे रूस ने भागलिया था। हम अन्य देशों से भी विचार विमर्श करते रहते हैं। हमें अब भी आशा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत द्वारा इस समस्या को हल कर लिया जायेगा। विरोध पत्र भेजने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। हम स्थिति के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक रहते हैं। जनवरी के बाद आने वाले अल्प संख्यकों की संख्या बहुत बढ़

गई है। हमने स्थिति का अध्ययन करके अप्रैल में विरोध पत्र भेजा था। जब भी स्थिति खराब होती है हम पाकिस्तान से कहते हैं कि हमारे उच्चायुक्त को दौरा करने की अनुमति दी जाये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) ; Sir even after the creation of Pakistan the problems of this subcontinent have increased and inspite of the fact that there was an agreement. Pakistan has violated that agreement time and again I want to know the number of times of Pakistan has violated the Nehru-Liyaqat pact of 1950 and the number of times protests have been lodged with the country.

Secondly, I want to know the value of property left behind by 34,000 refugees who came in India up to 29. 4. 70. I want Government to adopt liberal attitude towards those who are being forced to leave their houses in Pakistan. What to know whether Government has taken any action to raise the issue of Pakisatan's policy in U. N. O. It should be condemned as has been done in the case of Rhodesia.

The U. N. O. gives grants for Tibetan refugees. I want know whether any action has been taken to secure grants from U. N. for relief work for refugees coming from Pakistan, if so, the reaction of U. N. O. in this regard ?

Shri Surendra Pal Singh. : I am sorry to say that Pakistan has not implemented the pact of 1950. It is only on paper. It is no use counting the number of violations. In regard to the value of propery left by refugees from Pakisatan. I want to say that no assessment has been made so far. This information is being collected.

So far the question of being liberal towards the refugees coming from Pakisatan is concerned I want to say that we do not want that the people should leave there places.

I have already stated that Pakistan, attitude and policy is like the apartheid policy of South Africa. It is correct that this issue has not been raised and resolutions have not been passed but we should at the same time know that such resolution have no effect on those countries. We should see as to how for they have been effective ? We are looking after the refugees ? We are looking after the regugees and doing every thing to resettle them.

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 को उपधारा(6)के अन्तर्गत, अधिसूचना जी. एस. आर. 644(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 13 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 19 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 1000 में कतिपय संशोधन किये गये थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3426/70]**

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: JOINT COMMITTEE ON COMMISSION OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL.

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा, राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है, कि जांच आयोग अधिनियम, 1952, का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को वर्षाकालीन सत्र, 1970 के प्रथम सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि यह सभा, राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है, कि जांच आयोग अधिनियम 1952, का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को वर्षाकालीन सत्र, 1970 के प्रथम सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक (जारी)

PETROLEUM (AMENDMENT) BILL-CONTD.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैंने पहले ही इस बारे में 4 दिसम्बर, 1969 को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने उस समय चर्चा में भाग लिया था।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री दा० रा० चव्हाण द्वारा 4 दिसम्बर, 1969 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :—

"कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Yogendra Sharma (Begusrai) : The aim of this bill is to facilitate the switch over from present gallon system of measures to metric system of measures. We welcome this change. The greatest need of the hour is to change the management in Petroleum Department. We should have modern management. If you go through the report of Ganga water pollution commission. You will find that it was the inefficiency and negligence of management that the oil refineries had to suffer on loss of Rs. 3 lakhs. The Commission has held responsible three high officials for being ignorant of the facts. It has named those officials and has said they failed to ensure the efficient treatment of the effluent and to discharge it in the proper manner in to the river.

I want to know as to what action has been taken against them, if no action has been taken, the reasons therefor. We will have to change managements to avoid such things. The high officials think that they are the owners of the plants. They pay no heed to the request and suggestions of workers.

In this public money is being squandered. The managements of all public under taking should be changed.

I am against the posting of millitary officers on high posts in public undertakings. The technical personnel should be appointed in those posts. They know as to how things can be improved. The pensioner officers should be removed from public undertakings like Barauni Refineries.

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : इस कानून के बन जाने के बावजूद विदेशी तेल कम्पनियां अपने अनुचित लाभ प्राप्त करती ही रहेगी। इनके शोषण को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इन कम्पनियों ने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर रखी है। भारत में विदेशी तेल कम्पनियां बहुत अधिक मुनाफा ले रही हैं। उन्होंने अपने माल की दरें कम नहीं की हैं। इसका एकमात्र समाधान उनका राष्ट्रीयकरण ही है। हमें हैरानी होती है कि यह सरकार उनके साथ सहयोग करके उनको प्रश्रय दे रही है। भारतीय तेल निगम में भी सुधार करने की आवश्यकता है। इस निगम के उच्च पदों पर सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों को क्यों नियुक्त किया जा रहा है ? क्या उन्हें इस कार्य का आवश्यक ज्ञान प्राप्त है ? कलकत्ता तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में श्रमिक नेताओं के विरुद्ध तेल निगम गैर कानूनी कार्यवाही कर रहा है। इसकी जांच होनी चाहिये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I support the demands made by Shri Yogendra Sharma in respect of undertakings under Ministry of petroleum and chemicals. I want to refer to Fertilizer Corporation of India. The Managing Director of this corporation is harassing the officers of corporation. He has removed the personnel Manager in a very arbitrary manner. There are many such cases. I want a thorough enquiry to be held into all of them.

The Managing Director is flouting the instructions issued by the Minister himself. A very deplorable state of affairs is obtaining in this corporation at present.

I want to know whether Shri Satish Chandra would be removed from the Managing Directorship ? There are a large number of charges against him.

We know that the water of Ganga was polluted and there was fire in Ganga. Now again things are moving in similar direction. The faulty water is collecting and water supplied to Monghyr will again be polluted. I warn that precautionary measures should be taken in time otherwise there is again likelihood of pollention of Ganga water.

It is a pity that this Government takes no action even after enquiries have been made.

The foreign oil companies making huge profits and sending it to foreign countries. It is not good They are disobeying the Government's orders. All oil companies should be nationalised. The working of public undertakings should be improved otherwise they will prove a burden on our economy.

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्यों ने पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक 1969 पर वक्तव्य देते समय बरौनी में निर्माणाधीन उर्वरक कारखाना और बरौनी तेल शोधक कारखाना के बारे में कुछ बातें कहीं हैं।

यह सच है कि गंगा जल में आग लगाने के समाचार से एक जांच समिति की नियुक्ति की गई थी और इसमें अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है तथा अधिकतर सिफारिशों पर कार्यवाही की की गई है ;

इन सिफारिशों के संदर्भ में कुछ मामलों में कार्यवाही राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और बरौनी तेल शोधक कारखाना ने अलग-अलग करनी है, इनमें से अधिकांश सिफारिशो पर कार्यवाही की गई है।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : इसमें कहा गया है कि सरकार को अधिकारियों के आचरण के बारे में विस्तृत ब्योरा दिया गया है आपने इस पर क्या कार्यवाही की है।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने यह बताया है कि तीन विभिन्न श्रेणियों में सिफारिशें की गई हैं, पहला, जो कार्यवाही बरौनी तेल शोधक कारखाने ने करनी है, दूसरा जो कार्यवाही राज्य सरकार ने करनी है, तीसरा, जो कार्यवाही भारत सरकार ने करनी है, आयोग का निष्कर्ष इस आशय का है कि कुछ अधिकारी अपने कर्तव्य के उपेक्षा के दोषी पाये गये है और यह सिफारिश की गई है कि अधिकारियों के आचरण के बारे में जांच की जानी चाहिये।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आपने यह नहीं किया गया है।

श्री दा० रा चव्हाण : प्रतिवेदन हाल ही में प्रस्तुत किया गया है, अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया गया है इंडियन आयल कंपनी अधिकारियों की जांच करवायेगी तथा उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया जायेगा।

मै बरौनी तेल शोधक कारखाने में गया था और वहां अधिकारियों तथा कर्मचारियों से मिला था। मैंने वहां यह पाया कि वर्तमान महाप्रबन्धक से कर्मचारी काफी सीमा तक संतुष्ट हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : यह गलत है, वे संतुष्ट नहीं हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : आप यहां राजनीति को ला रहे हैं, मैंने उस स्थान का दौरा किया है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आपको जनता से कुछ नहीं करना है, **(व्यवधान)** * *

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय सदस्य ने कहा है कि मेरा उसमें व्यक्तिगत हित है, मैं उनको चुनौती देती हूं, वे या तो इस बात को सिद्ध करें अथवा पदत्याग करें।

मैं उनको चुनौती देती हूं **(व्यवधान)** × × वे इसको सिद्ध करें। मैं श्री योगेन्द्र शर्मा को चुनौती देती हूं कि वे यह सिद्ध करें कि मेरा बरौनी तेल शोधक में व्यक्तिगत हित है मैं इस मामले

* * अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया। देखिये पृष्ठ संख्या 417

में अपका विनिर्णय चाहती हूँ नहीं तो मैं यह सभा का कार्य चलने नहीं दूंगी × × उन्होंने मेरे पर आरोप लगाया है यदि वे उसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो वे पदत्याग करें।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं अभियोग लगाता हूं कि उनके पति बरौनी तेल शोधक कारखाने में नियुक्त हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे पति कई वर्षों से वहां नियुक्त हैं और मैं यह जांच करवाने के लिए भी तैयार हूं कि मेरे कारण उनकी वहां नियुक्ति हुई है अथवा मेरे द्वारा उनको कोई लाभ पहुंचा है। मैं श्री योगेन्द्र शर्मा को इसे सिद्ध करने के लिए चुनौती देती हूं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम दोनों को पद त्याग करके फिर से चुनाव लड़ने चाहिए ताकि जनता का निर्णय मालूम किया जा सके।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मै अपने निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 20 वर्ष से करती आ रही हूं जबकि उन्होंने एक ही बार चुनाव जीता है। वे इस प्रकार सबको डरा-धमका नहीं सकते हैं, मैं जांच करवाने के लिये तैयार हूं।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मैं नही जानता कि आपने श्री शर्मा को माननीय सदस्य पर दोषारोपण करते हुए सुना है * * मेरे विचार में आपको इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिये यदि सदस्य सभा के अन्य सदस्यों पर इस प्रकार दोषारोपण करते रहें तो यहां काम करना कठिन हो जायेगा अतएव आपको इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा यह कहना है कि जब भी कभी इस तरह की बात उठती है तो सभा की कार्यवाही को समाप्त कर देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश मैं उनके पति का नाम तथा पदनाम नहीं जानता हूं। मैं इस मामले की जांच करूंगा तथा यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई अपमानजनक बात वहां न रहे और उन सबको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये, यदि उनका सदस्य के प्रति कोई आरोप है तो वे लिखकर मुझे दें तथा मैं सम्बन्धित सदस्य को स्पष्टीकरण करने के लिए दूंगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे पति का नाम श्री निधि देव है। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी जांच करवाइये, यह एक गम्भीर मामला है, यदि यह सिद्ध हो गया तो माननीय सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करिए जो सभा में इस प्रकार की बात कर रहे हैं * *

श्री दा० रा० चव्हाण : पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग के अन्तर्गत उर्वरक कारखाना, जो निर्माणाधीन है, तथा बरौनी तेल शोधक कारखाना है.....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कृपया इसको बाद में स्पष्ट करें। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ चूंकि यहां कई खंड हैं अतएव वे उन पर बोल सकते है।

× × अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया। देखिये पृष्ठ संख्या 417।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आपने कहा था कि इस बात की जांच करवाई जायेगी तो क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा कब किया जायेगा। यह एक गम्भीर मामला हैं। मैं चाहती हूं कि इस मामले की जांच करवाई जाये तथा उसका प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जांच करवाने के बारे में कुछ नहीं कहा है, मैं पहले रिकार्डों को देखूंगा और वहां किसी अपमान जनक वाक्य को नहीं रहने दूंगा। अब मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

प्रश्न यह है :

"कि पैट्रोलियम अधिनियम 1934 को और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंडों पर विचार करेंगे, खण्ड 2 से 4 तक कोई संशोधन नहीं है अतएव मैं इन्हें सभा में मतदान के लिए रखूंगा, प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 2 to 4 were added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 5, 6 और 7 पर मध्यान्ह भोजन के पश्चात् विचार करेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then Adjourned For Lunch Till a Quarter Past Fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर बीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re- assembled after Lunch at Twenty Minutes past fourteen of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (विद्यार्थियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेना) विधेयक

CENTRAL UNIVERSITIES (STUDENTS PARTICIPATION (BILL)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I am sorry I was not present in the morning when my name was called. Now with your permission I want to place the opinions of the Bill regarding constitution of students Unions and their representatives in the Central Universities Bodies.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम सवेरे एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहते थे, दिल्ली में कम्बोडिया पर अमरीकी आक्रमण के फलस्वरूप प्रदर्शन हुआ था जिनमें कुमारी सुनीता चक्रवती भी थी। उसके विरुद्ध धारा 332 के अन्तर्गत यह आरोप लगाया गया है कि वह एक कांस्टेबल के साथ हाथापाई करना चाहती थी। आप गृह कार्य मंत्री को इस पर वक्तव्य देने को कहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : आप जानते ही होंगे कि सरकार और हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों में बातचीत टूट गई है। आज जनसंघी विधायक प्रधान मंत्री के निवास स्थान के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, कृपया गृह कार्य मंत्री को वक्तव्य देने को कहें।

पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक—जारी

PETROLEUM AMENDMENT BILL-CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड वार विचार करेंगे।

खंड 5

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2

खंड 5 के स्थान पर रखिए

'धारा 4 का संशोधन'

5. In section 4 of the principal act :—

(a) for the words 'dangerous petroleum "whenever they occur the words and letter 'Petroleum class A" shall be substituted.

(b) in clause (1), the words including the charging of fees for any service rendered in connection with the import, transport and storage of petroleum' shall be inserted at the end.

5. मुख्य अधिनियम की धारा 4 में—

(क) 'खतरनाक पेट्रोलियम" के स्थान पर, जहां कहीं यह आता है, "पेट्रोलियम श्रेणी ए" शब्द रखा जाये;

(ख) खंड (एक) में "पेट्रोलियम के आयात, ढुलाई तथा भंडार के सम्बन्ध में दी गई कोई सेवाओं के लिए शुल्क लगाने सहित" को अन्त में जोड़ा जायेगा ।] (ii)

इस संशोधन का यह कारण है कि वर्तमान अधिनियम में विभिन्न सेवाओं आदि के लिए शुल्क लेने की कोई व्यवस्था नहीं है अतएव इसको अन्त में जोड़ा गया हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"खंड 5 के स्थान पर रखिए

'धारा 4 का संशोधन'

5. In section 4 of the principal act—

(a) for the words 'dangerous petroleum' whenever they occer, the words and letter' Petroleum class A' shall be substituted.

(b) in clause (i) the words "including the charging of fees for any services rendered in connection with the import, transport and storage of petroleum" shall be inserted at the end.

[5. मुख्य अधिनियम की धारा 4 में :—

(क) "खतरनाक पेट्रोलियम" के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आता है, पेट्रोलियम श्रेणी एक शब्द रखा जाये ;

(ख) खंड (1) में "पेट्रोलियम के आयात, ढुलाई तथा भंडार के सम्बन्ध में दी गई कोई सेवाओं के लिए शुल्क लगाने सहित" को अन्त में जोड़ा जायेगा"] (ii)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

'कि खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक का बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauses 5 as amended was added to the Bill

खंड 6 तथा 7 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 6 and 7 were added to the Bill,

खण्ड 8

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I move my amendment 1, 2, and 3. In this connection I want to say that one to introduction of metric system of weight and measures it has been necessary to revise the Foot-Pound second system. It also become necessary to rationalize and simplify the nomenc-lature. I have amendment no. 1 on clause 8 i. e. substitute 1000 in place of 2500. If permission is given to keep 2500 litres the corruption and black marketing will prevail. By minoring amendement No. 2, I have to say that it should be 1000 litres instead of 4500 liters, For A class petroleum in 8(1) I have moved my amendement no. 3 that 10 litres may be subtituted in place of 30 litres because it will remove the fear of corruption.

श्री दा० रा० चव्हाण : मूल पैट्रोलियम अधिनियम 1934 में गैलनों का उल्लेख किया और अब उसे लिटर में बदलने का प्रस्ताव किया गया है। माननीय सदस्य 2500 लिटर को 1000 आदि में बदलना चाहते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है क्योंकि सभी गैलनों को लिटरों में परिवर्तित पूर्णांकन किया गया है, मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई तर्क नहीं देखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री शिवचन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1,2 और 3 मतदान के लिए रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय–द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment were put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खंड 9 से 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauses 9 to 13 were added to the Bill

खंड 14

उपाध्यक्ष महोदय : अभी और कुछ संशोधन हैं।

Shri Shiv Chandra Jha : I beg to move my amendement No. 4 and 7 and 12 to 15. I want to say that the section 23 of the Principal Act is being amended by clause No. 14. for 14(a) I have suggested by amendement No. 4 that the period of imprisonment may be extended to 3 months and my amenedment No. 5 says that Rs. 1000 may be increased to Rs. 2000- My amendement No 6, I want imprisonment of three months may be replaced by 6 months.

I have three amendments on clauses 14 Petroleum has an important place in our economy so the Government should be more careful in this respect.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा श्री शिव चन्द्र झा के विचारों से विरोध है। यदि आप दण्ड में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कारण देना चाहिए । आप साधारण अर्थ दण्ड के स्थान पर कारावास दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को 1 गैलन पैट्रोल अधिक या कम रखने के कारण उसे जेल भेजा जाता है तो आप अधिकारी को ऐसा अधिकार दे रहे हैं जिससे वह जनता को परेशान कर सकता है तथा उनसे धनले सकता है। जितना कठोर दण्ड होगा उतना ही कम न्यायालय सजा देने का इच्छुक होगा। आप इसके स्थान पर अर्थदंड रख सकते हैं। मैंने यह अपने विचार प्रकट करके स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। मैं अपने अनुभव से ऐसा कह रहा हूँ ,

श्री दा० रा० चव्हाण : वर्तमान अधिनियम की धारा 23 में प्रथम अपराध के लिए 500 रुपए और इसके बाद होने वाले अपराध के लिए 2,000 रुपये अर्थदंड की व्यवस्था है। इसको अब बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है जैसा कि खंड 14 में उल्लिखित है, ऐसा करने का भी एक कारण है। 1960 में दिल्ली प्रशासन ने पांच ऐसे मामले पकड़े थे जो अनधिकृत रूप में पेट्रोल जमा करने से सम्बन्धित थे और इसमें 150 रुपये से 300 रुपये तक का अर्थ दंड दिया गया था। उस समय लोक सभा में भी इसकी चर्चा हुई थी और यह सोचा गया था कि यह दंड बहुत नरम है। अतएव ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत दंड न कठोर और न नरम हो। इसके अतिरिक्त कई दुर्घटनाएं भी हुई जो कि अधिकतर पुराने अधिनियम में निहित शर्तों को न मानने और अनधिकृत रूप से पेट्रोल को जमा रखने के कारण हुई। अतएव यहां जो दंड देने की व्यवस्था की गई है, वह पर्याप्त हैं।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा ब्यौरा को दृष्टि में रखते हुए मैं अपने संशोधनों को वापिस लेता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को सभा से अपने संशोधनों को वापिस लेने की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 12 से 15 सभा की अनुमति से वापिस लिए गए।

amendment No. 12 to 15 were by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री शिवचन्द्र झा के संशोधनों को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 4 से 7 उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendment Nos. 4 to 7 were put and Negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill

खंड 15– धारा 27 के स्थान पर नई धारा रखना

Shri Shiv Chandra Jha : Regarding making report, it has been mentioned that intimation of the accident caused by the petroleum should be given within such time and in such manner as may be prescribed. The sentence within 'such time' can cause much delay. So my amendment No. 8 is that it may be substituted to "with in on week."

श्री दा० रा० चव्हाण : इस खंड में यह कहा गया है कि यह सूचना नियमानुसार अमुक निश्चित अवधि तथा ढंग से दी जानी चाहिए। अब माननीय सदस्य कहते हैं कि यह अवधि एक सप्ताह की होनी चाहिए। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पेट्रोलियम विस्फोट की दुर्घटना में सभी जांच आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं। यह सर्वविदित है कि तुरन्त दी हुई सूचना विश्वसनीय होती है। यदि "एक सप्ताह" की अवधि दी जाती है तो इससे बेईमान लोगों को तथ्य बदलने तथा निरपराध व्यक्तियों को फंसाने का अवसर मिल सकता है। क्यों नहीं इस मामले को निर्धारित होने वाले नियमों के अन्तर्गत छोड़ा जाता है ? कुछ तरह की दुर्घटनाओं में यह आवश्यक हो जाता है कि सूचना यथाशीघ्र दिया जाये।

मूल अधिनियम में यह व्यवस्था है कि इस तरह की दुर्घटना की सूचना तुरन्त दी जानी चाहिए। 8 दिन का समय देने से निरपराध व्यक्तियों को फंसाया जाया सकता है। अतएव समय निर्धारित करने के स्थान पर इसको नियमों के अन्तर्गत निर्णित होने के छोड़ दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :– मैं श्री शिव चन्द्रझा के नाम संशोधन संख्या 8 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was Put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 15 विधेयक में जोड़ा दिया गया ।
Clauses 15 was added to the Bill.

"खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया"
Clauses 16 was Added To The Bill

खंड 17

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं प्रस्तुत करता हूं

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में

(1969) के स्थान पर (1970) रखिये । (10)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में

(1969) के स्थान पर (1970) रखिए । (10)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clauses I as Amendment was Added To The Bill.

अधिनियमन सूत्र

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में

"Twentieth (20 वां) के स्थान पर "Twenty first." (21 वां) रखिए । (9)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में

"Twentieth (20 वां) के स्थान पर "Twenty first" (21 वां) रखिए । (9)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The Eracting Formula As Amended was Added To The Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया

The Title was Added To The Bill

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : शान्तिलाल शहर समिति ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य के बारे में 1 वर्ष पूर्व प्रतिवेदन दे दिया था। इस समिति को गठित हुए 2 वर्ष हो गये है। भारत में अभी भी कच्चे तेल का मूल्य फारस की खाड़ी-समता मूल्य पर आधारित है जिसके कारण हम विशेषकर आसाम में पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमत दे रहे हैं।

जब प्रतिवेदन को मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने उसे दुबारा उप-समिति को राज्य सरकार का मन्तव्य जानने के लिए सौंप दिया जब कि ऐसा पहले ही निर्देश खंड में उपलब्ध था। ऐसा करने से इसमें अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देगें। दूसरी बात यह है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग शिवसागर जिले में तेल की खोज कर रहा है। अभी हाल में आयोग को शिवसागर जिले में, जहां कि तेल निकालने का काम चल रहा है, तेल निकालने के 6 रिगों को हटा दिया है, मैं नहीं जानता कि आयोग किसके साथ षड़यन्त्र करके किया जब कि वहां तेल निकालने की संभावनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मामले की छानबीन की जाये।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : पेट्रोलियम उत्पादों से कर लगभग 600 करोड़ उगाहया जाता है जो कुल उत्पादन शुल्क से अधिक है इन करों से जन सामान्य प्रभावित होता है। देश की परिवहन व्यवस्था तथा उद्योग आदि भी इससे प्रभावित होते हैं निसंस्देह वित्त मंत्री का उद्देश्य अधिक कर उगाहना हैं पर उन्हें जन सामान्य के हितों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

1968 में प्राक्कलन समिति ने पेट्रोल के मूल्यों की जांच की और यह पाया कि 85 पैसे प्रति लिटर में से 54 पैसे शुल्क और 4 पैसे अतिरिक्त शुल्क के होते हैं, इसके अतिरिक्त 10 से 15 प्रतिशत बिक्री करके भी होते है जिसके परिणाम स्वरूप आज दिल्ली में हमें 1रु-20 पैसे प्रति लिटर के देने होते हैं। इस प्रकार जनता से 600 करोड़ रुपये शुल्क के तौर पर ले लिए गए है परन्तु उसमें से चतुर्थांश भी सड़क पर व्यय नहीं किया जाता है। मूल्य का दूसरा भाग, यथा 12%विपणन से आता है, 58 पैसे शुल्क की तुलना के पेट्रोल की शोधन लागत 15 पैसे

है और विपणन लागत 12 पैसे है। विदेशी कंपनियां तो इसे स्वयं चुका देती है परन्तु इंडियन आयल कंपनी के मामले में ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्होंने शहरों में अधिकतर पेट्रोल पम्प स्थापित किये हैं परन्तु दूरस्थ दोनों में ऐसा नहीं किया गया है लाभ के दृष्टि से प्रतिस्पर्धा ठीक हो सकती है परन्तु इससे उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री महोदय एक कंपनी के उस प्रस्ताव पर विचार करें जिसमें उन्होंने हमारे सहयोग से उर्वरक वितरण करने तथा पेट्रोल पम्प के साथ गैराज बनाने, ताकि ट्रैक्टरों तथा मोटर गाड़ियों की मरम्मत व देख भाल की जा सके, के बारे में कहा है, फाल्तू पुर्जे तथा समय पर मरम्मत करने के अभाव में हमारे ट्रैक्टर बैकार पड़े रहते है, यदि आप यह शर्तें लगायेंगे कि पेट्रोल पम्प ग्रामीण जनता की सुविधाओं को देखते हुए लगाने चाहिए तो आप लिए गये करों के बदले करदाता की भलाई कर सकेंगे।

अब प्रश्न उस लाभ का उठता है जो कि मंत्रालय और इंडियन आयल कंपनी पेट्रोल से कमाती है। यह आश्चर्य की बात है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने ने 21% का लाभांश घोषित किया है इसी तरह इंडियन आयल कंपनी भी ऊँचा लाभांश घोषित कर रही है, यदि आय कर कम नहीं करते है तो कम से कम पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल की कीमतों को कम कीजिए।

मैं अब अपनी अन्तिम बात पर आऊँगा, आपने आसाम के लिए 1 मिलियन अतिरिक्त क्षमता की अनुमति दी हैं, यह हाल्दिया के $2\frac{1}{2}$ मिलियन टन के अतिरिक्त है, इससे यह परिणाम निकला कि आपके पास मोटे तौर पर 3 मिलियन गैलन की निष्क्रिय क्षमता हो गई है जबकि आपकी क्षमता 19.5 मिलियन गैलन की है और गत वर्ष आपका उत्पादन 16.3 मिलियन गैलन था, अब आप इस प्रकार क्षमता को व्यर्थ क्यों बढ़ाना चाहते हो, मैं आसाम में पैट्रो–केमिकल काम्प्रैक्स के विरुद्ध नहीं हूं पर मेरा निष्क्रिय क्षमता से विरोध है क्योंकि इसे ऊपरी खर्चे और पेट्रोलियम की लागत बढ़ेगी, देश के लिए ऐसा करना घातक होगा, जो धन आप इनमें लगा रहे हैं वह अन्य कार्यों में लगा सकते हैं जहां अधिक श्रमिकों की खपत हो तथा लोगों को रोजगार मिले।

Shri Madhu Limaye (Monger) : The Hon. Minister wants to hide the Bumgling, Corruption, inefficiency of Petroleum Ministery under the cover of amendments. When you are geing to make improvement in it ?.

You may recall I had written a detailed letter regarding Haldia, Barani Pipe line to Dr. Trigun Sen. At that time he told that slowing actions will be taken on the receipt of Public undertakings Cammittee's report. Now the report has substantiated my charges. It has proved that no account of final expenditure regarding the pipe lines was given and the chief Inspector of Mines was in leagme with the coal mines owner. Nettor Shri Niwas Rao had examined the matter regarding bringing out pipe lines from the coal bungling in it and the Government was The former finance Minister Shri Morarji Desai had said that there was belt going to suffer crores of rupees. It should be examined. What is the reason of not assigning the investigation work to another Vigilance Commissioner when Nettor Shri Niwas retired ? I want explanation of all these matters. The I. C. S. offieers Shri Kasyap, Shri P. R. Naik and Shri Gopal Menon are all involved in this oungling. Copliments are given to I. C. S. officers that they arc very effecient and intelligents but if you have a look at the report then you feel ashamed of these officers. If you want to bring charges then you first turn

out Shrt Kasyap, Shri P. R. Naik and Shri Gopal Menon. If you simply go as writing notes then nothing will happen.

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) The prices of petrolium has become very high but even then the motorists have to face many difficulties on petrol pumps. They do not get petrol of good quality and the measurement is usually not correct. Price list with samples should be exhibited on patrol pumps. In addition to it a complaint book should be placed, where we can write our complaints.

Arrangemens should be made to instal patrol pumps of Indian oils so that we may be able to encourage public undertakings.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने एक के बाद दूसरे मामले के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये पर हम उन पर यहां चर्चा नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उन उपक्रमों के कार्य चालन में कोई सुधार नहीं हुआ।

शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी की समस्या देश की आजकल सबसे बड़ी समस्या है। बरौनी क्षेत्र में तो यह कानून और व्यवस्था की समस्या बन गई है। माननीय मंत्री जब वहां गये थे तो उनसे भी इस सम्बन्ध में शिकायत की गई थी। पर सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है तथा वह क्षेत्र षड़यंत्रों, राजनीतिक तथा तोड़ फोड़ का घर बन गया है।

सरकारी उपक्रमों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की बात बार बार कही गई है, पर वहां नए भरती हुए लोगों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसका चालू करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि नए लोगों को विभिन्न विभागों में उत्तरदायित्व पूर्ण पद संभालने का प्रशिक्षण दिया जा सके।

देश का सारा का सारा आर्थिक ढांचा बहुत बिगड़ गया है। मंत्री महोदय तथा इस सभा को पता लगाना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि क्या उस क्षेत्र तथा कुछ गांवों के प्रभाव-शाली व्यक्तियों को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि सरकार ने उनकी भूमि को खरीदने के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये की जितनी ऊंची दर दी है। वे गांव कौन से हैं तथा वे कौन से नेता हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की तथा यह पक्षपात क्यों बरता गया।

इसके अतिरिक्त जहां तक उस क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के एकको और सरकारी सेवाओं में कोई समन्वय नहीं है। तेलशोंधक कारखाने, उर्वरक कारखाने तथा अन्य बहुत से कारखाने वहां स्थापित किए जा रहे हैं। और प्रत्येक के अपने अलग अस्पताल, स्कूल आदि हैं। नतीजा यह होता है कि इन अस्पतालों में पर्याप्त मरीज नहीं जाते और खर्च दोहरा हो जाता है जबकि उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अतः ऐसे नियम और विनियम बनाए जाने चाहिए जिससे कि इनमें आपस में समन्वय रहे।

हम बचत करने की बात करते है पर एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत इन एककों में हम समन्वय स्थापित नहीं कर सकते। जहां तक सार्वजनिक सेवाओं का सम्बन्ध हैं उनमें समन्वय होना चाहिए।

मजदूरों के प्रबन्ध में भाग लेने की बहुत बात की जाती है पर किसी भी सरकारी क्षेत्र के एकक में यह नहीं किया गया है। समाजवाद मात्र एक नारा ही है लोगों को बेवकूफ बनाने का। सरकार को चाहिए कि वह यह परिपाटी पहले अपने उपक्रमों में ही चालू करें, दूसरों को उपदेश न दे।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपाल गंज) : बिहार में सरकारी उपक्रमों की स्थापना की गई पर उनसे वहां की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी उपेक्षा की जाती है। स्वायत्त साशी निकाय होने के कारण मंत्रिगण उसमें कुछ कह नहीं सकते। इन उपक्रमों के लिए एक बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए जिससे कि कर्मचारियों की तकलीफों पर गौर किया जा सके।

श्री दा० रा० चव्हाण : एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत की गई तेल मूल्य समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय लिये जा चुके हैं और अगले सप्ताह तक इसकी घोषणा कर दी जायगी।

शिवसागर क्षेत्र में रिगों को हटाने का जिक्र किया गया है। यह मामला तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के साथ इस मामले को उठाया गया है और ज्यों ही उनसे सूचना मिल जायेगी त्यों ही बता दी जायेगी।

पैट्रोलियम उत्पादों की माँग बढ़ती जा रही है तथा 1973–74 में उसके बढ़कर 320 से 340 लाख टन हो जायेगी। हम इन उत्पादों में मिट्टी का तेल, स्नेहक तेल और मिश्रण को हम लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वाले हैं। पैट्रोलियम उत्पादों की मांग की पूर्ति करने के लिए हमें देश में अतिरिक्त शोधक क्षमता को स्थापित करना है। कुल मांग 200 लाख टन की है। मांग तथा पूर्ति में जो अन्तर है वह लगभग 100 करोड़ रुपयें का आयात करके पूरा किया जाता है। इसलिए देश में कच्चे तेल का उत्पादन करने की आवश्यकता है।

फुटकर विक्रय केन्द्र खोलने का जिक्र किया गया है, 500 विक्रय केन्द्र प्रतिवर्ष हम खोल रहे है यह बात भी कही गई। पर हम ट्रैक्टर आदि कि मरम्मत के लिए केन्द्र क्यों नहीं खोल रहे है यह पूछा गया है। वास्तविकता यह है कि लगभग 17 फुटकर एल० डी० ओ० विक्रय केन्द्र खोले गये हैं और यह विचार करना भारतीय तेल निगम का कार्य है कि कुछ सामूदायिक केन्द्र खोले जाये जहां किसान आकर एल० डी० ओ० और एच० एस० डी० सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें। विशेषज्ञों द्वारा उनके ट्रैक्टरों की मरम्मत की जा सके। ऐसा किया जा रहा है।

संग्रह करने की दृष्टि से पैट्रोलियम उत्पादों को अलग-अलग किस्मों में बांटा गया है।

पाइप लाइन का भी उल्लेख किया गया है। हमने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशें देखी हैं और कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में हम बड़े चिन्तित हैं। जहां तक राव समिति का सम्बन्ध है वह चार पाँच दिन पहले ही विभाग के सम्मुख प्रस्तुत की गई है। यदि हमने कुछ व्यक्तियों को दोषी पाया तो उनके विरुद्ध अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी।

भरती सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में हम बड़े चिन्तित थे। उसके बारे में सलाहकार समिति में भी कुछ जिक्र किया गया है। यह नीति अब सभी सरकारी उपक्रमों पर लागू है।

500 रुपये या उससे कम वेतन वाले पदों के सम्बन्ध में इन उपक्रमों में यह आदेश दिए गये है कि अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा स्थानीय निर्वाचित लोगों और आये अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। इन पदों के लिए काम-दिलाऊ दफ्तरों के माध्यममें भरती की जानी चाहिए केवल उसी दशा में बाहर की भरती की जाए जबकि काम दिलाऊ दफ्तर उम्मीदवार भेजने में अपनी असमर्थता प्रकट करे। इन पदों का चयन करने वाली समिति में एक राज्य सरकार का सदस्य होना चाहिए जो समिति का सभापति हो। ये अनुदेश समय-समय पर दिए जाते रहे हैं।

अतः अब मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक

CONTINGENCY FUND OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना 15 करोड़ रुपये की राशि से इस उद्देश्य से की गई थी कि जब तक संसद अप्रत्याशित व्यय की स्वीकृति नहीं दे देती तब तक केन्द्रीय सरकार (रेलवे समेत) के इस प्रकार के व्यय की पूर्ति की जा सके।

इस निधि की राशि 15 करोड़ रुपये उस समय निर्धारित की गई थी जब केन्द्रीय बजट (रेलवे समेत) की राशि 500 करोड़ रुपये थी। अब उसकी राशि दस गुना बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये हो गई है इसलिए निधि की राशि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ गई है। इसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति ने जैसी सिफारिश की है, सरकारी उपक्रमों और गैर सरकारी क्षेत्र की स्थापनाओं में निवेदन करने या उन्हें ऋण देने, गैर सरकारी संस्थानों को अनुदान देने और कतिपय राज सहायता देने और सीमा से अधिक व्यय होने पर, इस व्यय को ऐसा व्यय मानना चाहिए जिसके लिए संसद की विशिष्ट स्वीकृति आवश्यक है चाहे उनकी पूर्ति बचतों के विनियम से ही की जा सकती है। इस प्रकार सभी मामलों में यदि सभा से अनुपूरक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय हो तो हमें उस प्रारम्भिक व्यय की आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर पूरा करना पड़ता है। प्रशासनिक सुधार आयोग का भी यही विचार है कि आवश्यक योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए धन—राशि जुटाने के लिए इस निधि में समुचित वृद्धि की जाये। अतः अधिनियम में संशोधन करके इस निधि की राशि को 15 करोड़ से बढ़ा कर 30 करोड़ करने

का प्रस्ताव है। आकस्मिकता निधि से जब आवश्यक होगा केवल तभी अग्रिम धन दिया जायेगा तथा उसकी पूर्ति संसद के व्यय को मान्यता देने के बाद कर दी जायेगी। अतः इस समय इस राशि में बढ़ोतरी करने के लिए इस समय नकद धन की आवश्यकता नहीं होगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : इस राशि को अचानक ही दुगना करने की आवश्यकता समझ में नहीं आई। पहले ही संसद अनेक मांगों को उन्हें देखने का अवसर पाये बिना ही पारित करती रही है। निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन जैसे कुछ मन्त्रालयों पर तो गत चार वर्षों में एक बार भी चर्चा नहीं की गई। इन्हें बारी बारी से भी नहीं लाया गया। अब सरकार 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग कर रही है जिससे कि संसद् की वैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता ही न रहे। ऐसी स्थिति वर्तमान सरकार द्वारा अपना अधिकार जमाने के लिए उत्पन्न की गई है। सरकार को इस विधेयक द्वारा 15 करोड़ रुपये और मिल जायेंगे और सरकार इस बहाने से कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अपनी इच्छा से उस धन का उपयोग करेगी। सम्पूर्ण विधेयक ही संदेहास्पद है। मैं इस सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाती हूं कि वह जानबूझकर इस देश की संसद् को इन मांगों पर चर्चा करने के अवसर से वंचित कर रही है।

अनुच्छेद 283 (i) द्वारा यह स्पष्ट है कि आकस्मिकता निधि के वितरण और इसमें से धन निकालने आदि सम्बन्धी नियम तथा विनियम संसद द्वारा बनाये गए विधान द्वारा विनियमित किए जाएँ और ऐसा होने तक इन्हें राष्ट्रपति द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा विनियमित किया जाए। फिर संसद को विधान बनाने का अवसर क्यों नहीं दिया गया ?

सरकार को एक प्रकार की नियमावली संसद द्वारा अनुमोदन के लिए लानी चाहिए। इस विधेयक में यह चूक की गई है।

श्री लोबो प्रभु : यदि यह अनुभव किया जाता है कि आकस्मिक धनराशि निधि को बजट से सम्बन्धित किया जाना चाहिए, तो यह केवल 30 करोड़ रुपये ही नहीं होनी चाहिए, अपितु कम से कम 300 करोड़ रुपये के आस पास यह रकम होनी चाहिए थी। आकस्मिक धनराशि लगभग एक काल्पनिक वस्तु के समान है, क्योंकि इसे मुश्किल से ही उपयोग में लाया जाता है। मन्त्री जी बतायेंगे कि इस 15 करोड़ रुपये की राशि ने सरकारी खर्च पर क्या रोक लगायी है। सरकार लगातार प्रति सत्र में एक अनुपूरक बजट तथा एक अतिरिक्त बजट के साथ आगे आती रही है। इसलिए आकस्मिक धनराशि निधि के लिए बिल्कुल औचित्य नहीं है और इसमें धनराशि को बढ़ाने के लिए तो निश्चित रूप से कोई औचित्य नहीं है।

हमारा बजट एक ढीली ढाली जाकेट के समान है, जिसके अन्दर सब कुछ समा जाता है। उदाहरण के तौर पर, केवल वित्त मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय में ही कुल 1000 अधिकारियों की वृद्धि की गई है। दूसरा उदाहरण घाटे की अर्थ–व्यवस्था के बारे में है, जो कि केन्द्र में होती है, लेकिन किसी ने भी राज्यों की घाटे की अर्थ–व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। राज्यों में, घाटे की अर्थ–व्यवस्था 350 करोड़ रुपये तक की है। इसलिए इसे भारत सरकार से कर्जा लेकर पूरा किया जायगा। यह एक बहुत बुरा बजट है।

तीसरा उदाहरण डाक तथा तार विभाग के बजट से स्पष्ट होता है। डाक तथा तार विभाग के गत वर्ष की अनुदान मांगों में पोस्टकार्ड का मूल्य बढ़ाकर 6 पैसे से 10 पैसे कर दिया गया अर्थात् 63 प्रतिशत की वृद्धि की गई ; अन्तर्देशीय पत्र का मूल्य बढ़ाकर 10 पैसे से 15 पैसे कर दिया गया और लिफाफों का मूल्य बढ़ाकर 15 पैसे के स्थान पर 20 पैसे कर दिया गया। इन सब वृद्धियों से बजट को 25 करोड़ अथवा इसके लगभग राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक राजस्व प्राप्ति 10 करोड़ या इसके लगभग ही हो सकी। इसका कारण है प्रयुक्त किये गये लिफाफों की संख्या का 20% और अन्तर्देशीय लिफाफों की सख्या का 15% घट जाना। लोग पत्र-व्यवहार कम करने के लिए बाध्य हो गए हैं, क्योंकि डाक-प्रभारों में वृद्धि की गई। साधारण तौर पर यह बुरा बजट है।

इन सब बातों से यह पता चलता है कि यदि कुछ दरें बढ़ा दी जाती हैं और उनका गलत आकलन करके जनता को परेशान किया जाता है इस बात की आशंका है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामले में भी इसी प्रकार का गलत आकलन होगा और सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। जब सरकार 30 करोड़ रुपये की आकस्मिक धन निधि के रूप में व्यापक प्रावधान करने जा रही है, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आयेगा, जबकि बुरा बजट न केवल प्रशासन को हानि पहुँचायेगा, बल्कि समस्त लोकतांत्रिक प्रणाली को भी भंग कर देगा।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : The Hon'ble Minister has stated in objects and Reasons for bringing about this bill for an increase in the amount of contingency fund of India that consequent on the increase in the size of the annual budget, the need for augmenting the corpus of the fund has been felt. As my friend Mr. Lobo Prabhu has rightly said that if the amount of this had to be based on the size of the annual budget, the amount of the fund should have been near about Rs. 300 Crores. There is no rime or reason for increasing the amount in this fund. There was no need at all to bring forward this bill.

In 1950, the then finance Minister Shri C. D. Deshmukh, while introducing the bill far creation of the contingency fund, had stated that the fund was being set up in accordance with the provision of articles 267 (1) of the constitution and should be administered by the Finance Ministry on behalf of the Government. It should be used only for meeting urgent unforseen expenditure not provided for in the budget. He had also said that there would be danger in keeping too much money in the cotingency fund, from the point of view of parliamentary control, as there might be a temptation for executive to increase the expenditure in anticipation of parliamentary approval. This danger still stands. This bill should also contain rules regarding this fund.

Govt. always goes in for more taxes for increasing its resources. It is the need of the hour to balance the budget by reducing expenditure. To day we are paying 579 crores of rupees only as interest for the huge amount of loans taken from foreign countries. A deptt. or a wing should be created in the Finance ministry to have a check on huge enpenditure.

It is a matter of concern that even with a input of about Rs. 350 crores, Public Undertakings or Nationalised sector has not been able to give return of Rs. 35 crores.

If the amount in contingency fund of India is increased to Rs. 30 crores, Govt. would spend the money lavishly. therefore this bill should be strongy opposed.

श्री एस० कन्डप्पन (मैसूर) : आकस्मिक धन राशि निधि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें से धन का उपयोग यदा कदा ही किया जाना चाहिए। अतः इस निधि से धन मितव्ययता के साथ असामान्य परिस्थितियों में ही खर्च किया जाना चाहिए। इससे निकाले गये धन की संसद द्वारा पूर्ति करनी होती है। हाल ही में सरकार की यह प्रवृत्ति रही है कि जब पर्याप्त आवश्यकता भी नहीं हुई, तो भी अध्यादेशों की घोषणा कर दी गई। जब सरकार सभा में कुछ वित्तीय प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आती है और जब सरकार धन खर्च करने के बाद सभा से अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए आती है, इसमें काफी अन्तर है। इस निधि में राशि को बढ़ाने से धन का अधिक अपव्यय और अन्धाधुन्ध व्यय होगा, क्योंकि इसमें संसदीय रोक नहीं है और वे संसद का अनुमोदन प्राप्त करने की परवाह भी नहीं करते।

मन्त्री जी द्वारा दिया गया यह तर्क कि बजट की राशि 500 करोड़ से बढ़कर लगभग 5000 करोड़ रुपये हो गई है, सही नहीं है। यदि यह तर्क माना जाय, तो इन निधि की राशि को बढ़ाकर 150 करोड़ या 200 करोड़ किया जाना चाहिए था। शर्मा जी का कथन उचित ही है कि संसदीय नियन्त्रण से बच निकलने की इस कुप्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : There seems to be no justification for doubling the current amount of the contingency fund of India. The amendment of Shri Jha to the effect that the amount of this fund to be increased to 25 crores of rupees and not 30 crores as required in the present bill.

Our country is a large one and there may be occasions when help from this fund may be necessary. But it is a matter of regret that needy persons do not get help from this fund at the time of natural calmity or emergency. Fear from the people's mind should be removed that money from this fund would not be misused for party ends and would only be used for helping the poor or the needy people. Thousands of engineers are unemployed to day. Nearly 400 engineers have been imprisoned in Bihar. New industries may be established by taking money from this fund to help the engineers.

Rules should be framed for regulating this fund. Govt. should also clearly explain its policy in this connection.

Shri Shiv Chahdra Jha (Madhubani) : It is the general feeling of the House that the amount of this fund should not be doubled. Under articles 267 of the constitution Government have full right to maintain this fund for meeting unforeseen circumstances.

It may also be explained how the amount of this fund has been spent during the last five or ten years. So that people may be satisfied that the money has been spent judiciously.

A brief outline may be given of the method in which it would be spent in future. So that people may be sati fied that there would not be any manipulation of this fund for meeting party purposes.

According to the provisions of the constitution, the fund has to be maintained for meeting unforeseen circumstances, but there is no need for doubling the amount of the fund. I, therefore, move the amendment that amount in the fund be increased to only Rs. 25 crores.

श्री प्र० चं० सेठी : संविधान के अनुच्छेद 267 (1) के अनुसार आकस्मिक निधि की व्यवस्था करनी होती है और यह व्यवस्था संसद की राय से की जाती है। सन् 1950 में जब इस निधि की स्थापना की गई थी, उस समय केन्द्रीय सरकार की बजट 500 करोड़ रुपये का होता था। अब हमारा बजट दस गुना हो गया है और इस कारण यह आवश्यक हो गया है। इस निधि कीसंचित राशि में भी वृद्धि की जाय।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा इस मन्त्रालय में उप मन्त्री रह चुकी हैं और संभवतः वह स्वयं नियम बनाने के बारे में जानती होंगी। 1950 में विधान बनाया गया और 1952 में नियम बनाये गये थे। इसलिए इस निधि से नियमों के विरुद्ध धन का उपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस निधि को बनाये जाने की आवश्यकता निर्विवाद है। कभी कभी कोई आकस्मिक व्यय की आवश्यकता हो जाती है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं होता। इसलिए, इस निधि में से धन निकाला जा सकता है। जब बजट में इसकी व्यवस्था की गई है तो इसके लिये नया लेखा अवश्य ही खोलना है। साथ ही नई सेवा के लिये लेखा अनुदान की भी आवश्यकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये आकस्मिक निधि की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है।

श्री झा ने पूछा है कि क्या बिहार के लिये सूखा तथा अन्य बातों के लिये धन दिया जायेगा। इन बातों की जांच की जा रही है तथा यह प्रश्न इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं है।

कुछ वर्षों में इस कार्य पर 13 या 14 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे तथा इसका परिणाम यह हुआ था कि अन्य आकस्मिक कार्यों के लिये बहुत कम निधि बचपाई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड–2

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move my amendment No. 3 Sir, I wanted to know as to how the fund was utilised and what was there items on which it-was utilised.

Shri P. C. Sethi : Sir, I have already stated in this regard. Before introduction of such funds the matter is brought to the Parliament and the approval of Parliament is sought. Therefore, there is no such thing which hon. member wants to say.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड—1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में—

"1969" के स्थान पर '1970' रखा जाये। (2)

(श्री प्र० चं० सेठी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1 संशोधन रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ट 1, पंक्ति 1 में—

"Twentieth" [बीसवां] के स्थान पर
"Twenty First" [इक्कीसवां] रखा जाये (1)

(श्री प्र० चं० सेठी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र संशोधन रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में परित किया जावे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में परित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

मद्य-निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

MOTION RE : REPORT OF THE STUDY TEAM ON PROHIBITION

श्री मनुभाई पटेल (डभोई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मद्य-निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर जो 2 जून, 1964 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये ।"

बड़े आश्चर्य की बात है कि मद्य-निषेध के सम्बन्ध में न्यायाधीश टेक चंद की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल 29 अप्रैल 1963 को नियुक्त किया गया था तथा इस दल ने 15 अप्रैल, 1964 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था । उसका प्रतिवेदन 2 जून 1964 को सभा पटल पर रख दिया गया था किन्तु अभी तक उस प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया । मद्य-निषेध सम्बन्धी कार्यक्रम किसी दल से सम्बन्धित है और न केवल सरकार से, अपितु यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है तथापि इतने महत्वपूर्ण कार्य को भी पिछले 6 वर्षों से टाला जा रहा है ।

इतना ही नहीं, वर्ष 1954 में स्वयं सरकार ने श्री श्रीमन नारायण की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी जिसकी सिफारिशों को सदन ने 31 मार्च, 1956 के एक संकल्प के अनुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। इसी के परिणामस्वरूप मद्य-निषेध कार्यक्रम को दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था।

{ श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goyal *in the chair* }

दूसरी पंच वर्षीय योजना के अध्याय 19 में यह दिया गया था कि इन सुझावों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चरणवार कार्यक्रम तैयार करें तथा उचित समय के अन्दर-अन्दर मद्य-निषेध कार्यक्रम को लागू करने का प्रयत्न करें। इतना ही नहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना में बताया गया कि मद्य-निषेध कार्यक्रम को संविधान में निदेशात्मक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जा चुका है तथा इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर लागू करना है। यह भी व्यवस्था की गई थी कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपने चरणवार कार्यक्रम तैयार करें तथा इस सम्बन्ध में स्थिति का लगातार पुनर्विलोकन किया जाये।

मद्य-निषेध के सम्बन्ध में पहला सुझाव यह दिया गया था कि शराब के बारे में विज्ञापन देना बन्द किया जाये तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना भी बन्द किया जाये। इसके अतिरिक्त शराब की दुकानों में उत्तरोत्तर कमी करना, शराब की दुकानों को सप्ताह में अधिक दिन बन्द रखना, इन दुकानों के शराब की सप्लाई में कमी करना, भारत में बनने वाली शराब के उत्पादन में कमी करना आदि आदि और भी अनेक सुझाव दिये गये थे।

इसके पश्चात योजना आयोग ने इस अध्ययन दल को नियुक्त किया था : इस अध्ययन दल ने स्थिति का गम्भीर रूप से अध्ययन किया तथा एक लाभदायक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 265 सिफारिश की गई है। हमने सभा में कई बार इस बात की मांग की है कि कमसे कम इस अध्ययन दल के प्रतिनेदन पर विचार किया जाये।

न्यायाधीश टेक चन्द उस समय पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति थे तथा उन्होंने अध्ययन दल के निर्देश पदों के अनुसार समस्या का अत्यन्त गम्भीर अध्ययन करके प्रतिवेदन तैयार किया है जिसमें किसी प्रकार के भेदभाव को स्थान नही दिया गया।

अध्ययन दल के लिये तीसरा निदेश पद यह निर्धारित किया गया था कि वह इस बात का सुझाव दे। कि सरकारी तथा गैर-सरकारी ढंग से मद्य-निदेश कार्यक्रम को किस प्रकार कारगर रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। एक अन्य निदेश पद यह भी था कि अध्ययन दल उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व में होने वाली कमी तथा मद्य-निषेध लागू करने पर आने वाली लागत दोनों के ही सम्बन्ध में वित्तीय पहलुओं का भी अध्ययन करे। मैं इन बातों का उल्लेख इस लिये कर रहा हूँ कि कुछ राज्य सरकारें इन्हीं बातों का तर्क देकर मद्य-निषेध कार्यक्रम को लागू करने में रूचि नहीं लेती।

मद्य-निषेध कार्यक्रम को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार पर समानरूप से है। अनुच्छेद 47 के अन्तर्गत मद्य-निषेध को राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांतों

में सम्मिलित किया गया है अतः मद्य-निषेध का उत्तरदायित्व जितना राज्य सरकारों पर है उतना ही केन्द्र सरकार पर भी है। जहां तक 'राज्य' शब्द के अर्थ का सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 36 में बताया गया है कि 'राज्य' का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग 3 में बताया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत 'राज्य' की परिभाषा है "....राज्य के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान मंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी हैं।" अतः केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ राज्य सरकार मद्य-निषेध में विश्वास नहीं रखती और इसी कारण इसे टालने का बहाना करती हैं। वास्तविकता यह है कि मद्य-निषेध से हानि के बजाय लाभ होता है। गुजरात और तमिल नाडु में पूर्ण मद्य-निषेध है अतः मैं वहीं के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 1960–61 में गुजरात में विक्रय कर से प्राप्त राजस्व की राशि 916 लाख रुपये थी तथा मनोरंजन से प्राप्त आय 56 लाख रुपये थी किन्तु वर्ष 1966–67 में यह विक्रय कर की राशि 31.28 करोड़ रुपये हो गई तथा मनोरंजन कर की राशि 2.25 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार तमिल नाडु में भी वर्ष 1960-61 में विक्रय कर से प्राप्त 1632 लाख रुपयों की आय बढ़कर 1966–67 में 4410 लाख रुपये हो गई तथा मनोरंजन कर से प्राप्त आय 196 लाख रुपये से बढ़कर 557 लाख रुपये हो गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट विदित होता है कि मद्य-निषेध के कारण मद्यपान करने वालों के पास धन की बचत हुई तथा उस धन का राज्य सरकारों को अन्य विकास कार्यों में प्रयोग करने का अवसर मिला। अतः मद्य-निषेध से राज्यों को हानि की अपेक्षा भारी लाभ हुआ तथा लोगों के मद्यपान से भी छुटकारा पाने में सहायता मिली।

इसके पश्चात मैं टेक चन्द समिति के प्रतिवेदन की चर्चा करना चाहता हूं। समिति ने इस समस्या को 54 अध्यायों में विभक्त किया है तथा उसने प्रत्येक पहलू पर गम्भीरता से विचार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इस प्रतिवेदन का गम्भीरता से अध्ययन करेगा वह यह मानने को विवश हो जायेगा कि प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना ही चाहिये। समिति ने चोरी-छिपे शराब बनाने या उसका व्यापार करने की समस्या को हल करने के लिये भी सुझाव दिये हैं किन्तु खेद है कि सरकार ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये ठोस कदम नहीं उठाये है। केन्द्रीय मद्य-निषेध बोर्ड के अतिरिक्त सरकार ने कोई और व्यवस्था की ही नहीं है तथा यह बोर्ड भी कहीं दो वर्ष में एक बार समस्या पर विचार करता है।

समिति ने "शराब तथा सशस्त्र सेना" के सम्बन्ध में विशिष्टरूप से अध्ययन किया है। उसने मद्यपान की चार श्रेणियां बनाई है जिसमें से रिवाजी तौर पर मद्यपान को सबसे बुरा बताया है। सरकारी अधिकारी तथा आधुनिकतावादी सम्पन्न व्यक्ति दिखावट के लिये मद्यपान करते हैं जिसका कुप्रभाव उनके बच्चों तथा विद्यार्थियों पर पड़ता है जिससे आने वाली पीढ़ी भी भ्रष्ट हो जाती है। इस सम्बन्ध में समिति ने कुछ उपायों का सुझाव दिया है। इन व्यक्तियों के साथ साथ संसद् सदस्यों अथवा मंत्रियों द्वारा मद्यपान करने की चर्चा भी होती रहती है तथा इस बात का प्रभाव भी उतना ही बुरा पड़ता है।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सैनिकों को निषिद्ध शराब का उपयोग नहीं करने दिया जाये। ड्राइवरों के शराब पीने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिये तथा राष्ट्रीय राजपत्रों पर 10 मील की दूरी तक शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिये। यह भी सिफारिश की गई है कि विमान चालकों को इस बात की परीक्षा होनी चाहिये कि उन्होंने शराब पी है अथवा नहीं। यदि वृद्धावस्था में मद्यपान आवश्यक हो तो वृद्ध व्यक्ति को शराब पीने का परमिट मिलना चाहिये किन्तु फिर भी उसे सार्वजनिक क्षेत्र में मद्यपान करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये। सरकारी कर्मचारियों के आचरण निगमों में सुधार किया जाना चाहिये तथा यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि शराब के कोटे का किसी प्रकार दुरुपयोग न किया जा सके।

जहां तक राजस्व का सम्बन्ध है महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकार शराब का राजस्व का साधन न बनाये किन्तु यह सरकार राजस्व के कारण ही मद्य-निषेध में ढील दे रही है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में कहा था कि मैं मद्य-निषेध के सम्बन्ध में वित्तीय पहलू को महत्वपूर्ण नहीं मानता चूंकी अच्छे कार्यों को घाटा सहकर भी करना होता है। नेहरू जी यह भी मानते थ कि यदि लोग केवल शराब ही के लालच से किसी पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्ययन दल का प्रतिवेदन मिलने पर भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रधान मंत्री महोदय को कितने ही ज्ञापन दिये गये हैं किन्तु वह इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में आने वाली कठिनाइयों का ही उल्लेख करती हैं। मेरा निवेदन है कि जब मद्यनिषेध राष्ट्रीय कार्यक्रम माना गया है तो उसे दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित क्यों नहीं किया जाता। मेरा निवेदन है सरकार दल की सिफारिशों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : महोदय ! मद्य-निषेध के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है तथा मैं इससे बहुत प्रभावित भी हुआ हूं किन्तु फिर भी यह देखना है कि क्या हम इन बातों को हृदय से स्वीकार करते हैं।

महोदय ! मानव प्रकृति ऐसी है कि जिस वस्तु के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है उसका भोग उसी के प्रति उतना ही बढ़ जाता है। यह मानव प्रकृति सनातन है तथा इस बात की पुष्टि आदम तथा इव की कहानी से हो सकती है। अतः जो भी इस दुर्बलता का शिकार होता है उसे उसका दण्ड भुगतान पड़ता है।

मैं मद्य-निषेध के पक्ष मैं हूं न इसका समर्थन करता हूँ किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो भी चीज मानवता का अपकार करती है मैं उसका विरोधी हूं।

अमरीका तथा स्वीडन में जिस वस्तु पर प्रतिबन्ध लगाया गया उसी के प्रति वहां की जनता का पेय बढ़ा किन्तु जैसे ही स्वीडन में अश्लील पुस्तकों तथा चित्रों से प्रतिबन्ध उठाया गया उनके मूल्य एक दम कम हो गये।

अब घंटों में काम करने वाले नौकरों ने निषिद्ध शराब पीना आरम्भ कर दिया है तथा चूंकि इस पर प्रतिबन्ध है इसलिये इसके प्रति उनका मोह और भी अधिक है। यदि मुझे अवसर मिलता तो मैं इस बात का प्रचार करता कि अवैध शराब टिंक्चर तथा अन्य गन्दी वस्तुओं से बनाई जाती है जिससे कुछ ही वर्षों में स्वास्थ्य खराब हो जाना अनिवार्य है।

मेरा निवेदन है अंगूर आदि प्राकृतिक फलों के रस को सस्ता करना चाहिये जिससे लोग शराब की ओर आकर्षित न हो सकें। श्री मनुभाई पटेल ने गांधी जी के विचारों का उल्लेख किया है तथा मैं समझता हूं कि गांधीजी का यह विचार अत्यन्त सराहनीय था कि सरकार शराब को राजस्व प्राप्ति का साधन न बनाये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि शराब से सभी प्रकार के कर हटा लेने चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि व्यक्तियों को सुशिक्षित बनाया जाये, उनके सामाजिक जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाया जाये तथा उनके मनोरंजन के साधनों में वृद्धि की जाये तो मद्यपान सम्बन्धी बुराइयां बहुत हद तक समाप्त हो जायेगी।

मद्य निषेध से देश में चोरी छिपे शराब का व्यापार होने लगा है तथा इस व्यापार को रोकने के लिये कोई भी कानून समर्थ नहीं है। इस व्यापार से आय भी बहुत होती है क्या परिश्रम भी कम करना पड़ता है। पुलिस तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों को भी इसके व्यापारियों से हिस्सा मिलता है। अतः यह व्यापार सरल भी तथा लाभदायक भी है। राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्रियों का भी इस अवैध शराब बनाने के काम में हाथ है। इस कार्य के लिये उन्हें बड़ी धनराशि वाले नोट मिलते रहते हैं।

प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति शराब क्यों पीता है ? यह एक सामाजिक आदत है इसलिये वह पीता है। मैं इसलिये पीता हूँ कि जब मेरे आतिथेय मुझसे शराब पीने का आग्रह करते हैं तो 'नहीं' की अपेक्षा 'हां' कहना अधिक सरल है। मैं कह सकता हूं कि मैं शराब पीने का अभ्यस्त नहीं हूं क्योंकि मैं छः महीने तक भी नहीं पीता हूं जब कि बचपन से ही मैं जितनी शराब चाहता पी सकता था अतः यह सामाजिक आदत है जिससे मानव जीवन थोड़ा सा आरामदेह हो जाता है।

अन्त में कहना चाहूंगा कि यदि मद्य निषेध करना है तो कर दिया जाये परन्तु शराब उपलब्ध होनी चाहिये। यदि सरकार मद्य निषेध करेगी तो अवैध शराब बनाने वालों को जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। अवैध शराब बनाने वाले भारत में आधुनिक समाज में भ्रष्टाचार की जड़ के रूप में है अतः ये सहन नहीं किये जा सकते।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Mr. Chairman, Sir, there are so many ways with the Government by which they may increase the revenue but if they are given wrong advice of increasing revenue by way of liquors, if not only affects the health of the people but their consciens and other things too. So far as the revenue from liquor is concerned, hard chesterfiled is of the view that liquor revenue may be considered from ethical as also the economic points of view and at the same time I would like to quote the views of the foreign authors. David Loyed George expressed his views regarding liquor in these words. 'Drink is the most prolific cause of panperim poverty and is not only Contrary to the principles of liberty, but true liberty demands that the Government should take energetic and stern measure to suppress such a destructive trade'.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

I have toured many of the foreign countries. This is a question of our prestige. Drinking brings the prestige down. We have to crush the habit of drinking.

On the other hand liquor is the means of Government revenue but we shall have to keep in mind the views of Mahatma Gandhi regarding liquor. He knew well that tax on liquor brings more revenue but inspite of this he opposed it. He knew that Indian can only know meeting of nationaly when they will updrinking.

In this connection I want to refer to the All India congress committee. Since 1888 it favoured prohibition in almost all the meetings held time to time an even then the Government did not pay their attention towards prohibition. The only question of revenue was involved in it. The Government should seek another sources of revenue. The committee set up under the chairmanship of Shri Shrimannrarain, recommended for prohibition and those recommendations were accepted by the Government and a resolution was also passed. My hon. friends suggested for seeking the opinions of the Military General according to the report of Shri Shri Mannarain all the three chiefs of the staff have agreed to the idea of prohibition on this condition, if the Nation decides in its favour, they have no objection to the prohibition.

The Government should note how the liquor consumption has increased. In 1958-59 the sale of India manufactured Beer was, 14.048,00 gallons while the sale of the same in 1961-62 was 19.173,00 gallons. It means that during the four years 1958-59 to 1961-62, the sale of different kinds of liquor has gone up from 2.76 crores of gallons in 1958-59 to 6 crores of gallons.

I come from such an area where people drink heavily. We have to save them from this social evil.

The Government do not pay their attention towards the views of the economist of our country and so I am quoting a foreign economist: Adam Smith-he said "All the labour expended on prodcing strung drink is utterly improductive, it aids nothing to the wealth of the community. A wise man works and earns wages and spread his wages so that he may work again".

In America the annual liquor consumption has gone up-to 270 million gallons. They are making efforts to check this rapid consumption. But we in our country are doing nothing to check this. Though lives has been evaded for this. Yet they will not suffice. It is a social evil and we have to eradicate it at any rate whether we have to suffer from the revenue which we get from the sale of liquor.

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) : इस पर खर्चा कर लेने के पश्चात् भी मैं समझता हूं कि मद्य निषेध करने के लिये कोई ठोस बात नहीं निकलेगी इस बात की मैं सरकार से आशा नहीं रखता हूँ फिर भी हमारा कर्तव्य है कि सरकार को इस समस्या का गम्भीरता से अवगत करा दिया जाये कि इस समस्या का आज भारत के समाज के निम्न स्तर के व्यक्तियों के आर्थिक जीवन पर भी असर है। स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्र में अथवा राज्यों में मद्य निषेध की इस नीति को लागू करने के लिये सरकार द्वारा ईमानदारी से कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है। वास्तव में, जब इस प्रश्न को कुछ दिन पूर्व उठाया गया था, तब मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि केवल दो राज्य इसको लागू करने के लिये केन्द्र से सहायता लेने के लिये तैयार हुए हैं। लेकिन उनकी वास्तविकता संदेहपूर्ण है। सम्भवत: वे केन्द्रीय सरकार से थोड़ी और धनराशि की संभावना से

आकर्षित हुये थे । शायद, हर जगह विशेष कर समाचार-पत्रों में मनोवैज्ञानिक वातावरण व्याप्त है, जहां लगभग सभी वर्ग मद्य निषेध को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में दिखाई देते हैं, जो मद्य निषेध की इस नीति की सहायता नहीं करता है ।

दो राज्यों में मद्य निषेध को लागू करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । टेक चन्द समिति ने अवैध शराब निकालने के बारे में दूसरी वस्तुओं का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ बस्तियों में अवैध आसवन क्यों प्रचलित है और इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है । विशेषकर तामिलनाडु राज्य में, मैसूर, केरल और आंध्र प्रदेश के पड़ौसी राज्यों के मद्यनिषेध को हटा देने के पश्चात्, कठिनाइयां इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि यह पता नहीं लगता है कि कब तक इस नीति को लागू रखना संभव हो सकेगा क्योंकि तटीय रेखा को छोड़ कर सभी सीमावर्ती क्षेत्र इन राज्यों में से एक या दूसरे को छूते हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इस नीति को लागू करने में बहुत कठिनाई हो रही है । यद्यपि यह बात वहां सब समझते हैं कि पड़ौसी राज्यों में शराब की दुकानें नहीं होंगी । अभी भी यह ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं हो रहा है । सम्भवत: गुजरात के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात है ।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे किस प्रकार और अधिक प्रभावशाली बनाया जाये । जैसा कि कई बार कहा जा चुका है कि जिन राज्यों में मद्य निषेध लागू किया जा रहा है वहीं पर इसे लागू किया जाना चाहिये । जो शराबी हैं, उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा जाने पर पीने की आदत छोड़ने के लिये विवश किया जाना चाहिये । चूंकि अवैध शराब का बहुत बड़ी मात्रा में उपभोग होता है अत: मद्य निषेध लागू नहीं किया जा सकता है । कई समुदायों में शराब पीना एक सामाजिक रिवाज बना हुआ है । जब यह तर्क दिया जाता है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं । हमारे जैसे पिछड़े हुये देश में जो कि अभी अविकसित भी है और जहां बहुसंख्या निरक्षरों की है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी खराब है, हमें इस मदिरापान के कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव से बहुत ही सतर्क रहना चाहिये । यदि संविधान में संशोधन करके भी इसे हटाया जाये तो हटाया जाना चाहिये । जब तक इस प्रकार के उग्र रुख को नहीं अपनाया जाता है । तब तक इस नीति को कार्यान्वित करना सफल नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस ने विगत 20 वर्षों के दौरान कभी भी नहीं कहा है कि वह मद्य निषेध नीति को बदलने जा रही है अथवा इस नीति को ढीला करने जा रही है । लेकिन अब मनोवृत्ति बदल चुकी है और राज्यों द्वारा मद्य निषेध को अंशत: हटाया जा रहा है । केवल दो राज्यों में मद्य निषेध है ।

मुझे कहते हुये दु:ख होता है कि सरकार ने टेक चन्द समिति के प्रतिवेदन को पढ़ने की बिल्कुल चिन्ता नहीं की है । यह एक बहुत ही अच्छा प्रतिवेदन है । इसमें मदिरापान के सब पहलुओं का विश्लेषण किया गया है । मद्य निषेध के पक्ष में दिये गये उनके तर्क सारवान हैं । परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है ।

मद्रास जैसे राज्य में जहां ताड़ी के वृक्ष अधिक मात्रा में पाये जाते हैं तथा जहां से ताड़ी निकालने वाले अपना रोजगार प्राप्त करते हैं । इसीलिये समिति ने विशेषकर औद्योगिक जनसंख्या को नीरा पीने का सुझाव दिया है जहां बहुत अधिक श्रमिक ताड़ी पीने के आदि हैं । यदि सरकार ने इस पर ध्यान दिया होता तो इसने बहुत ही अच्छा कार्य किया होता । आन्ध्र में

और कुछ अन्य स्थानों में राज्य सरकार और कुछ सरकारी समितियों ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है लेकिन यह बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है। यदि सरकार इस प्रकार के ठोस प्रचार कार्य को गभीरतापूर्वक ले, तो निश्चय ही वह बहुत अधिक सीमा तक सफल होगी।

एक महत्वपूर्ण कारण और है जिसका प्रस्तावक ने उल्लेख किया है। टेक चन्द समिति ने राज्यों के उत्पादन शुल्क और अन्य राजस्वों पर मद्य निषेध के प्रभाव का विश्लेषण किया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि जहां मद्य निषेध विद्यमान है वहां के राजस्व पर आवश्यक रूप से कोई प्रभाव नहीं। इसने यह सिद्ध करने के लिये कुछ उदाहरण दिये हैं कि जो धन जनता के पास बच गया था, वह अनाज, वस्त्र आदि में लगाया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन-स्तर में काफी सुधार हुआ है।

मैं मन्त्री महोदय से क्रमबद्ध उत्तर चाहूंगा कि क्या सरकार कांग्रेस दल की मद्य निषेध की घोषित नीति पर अटल रहेगी। यदि ऐसी बात है तो क्या वह संविधान में संशोधन करके राज्यों को भी मद्य निषेध लागू करने के लिये कहेगी ? यह भी बताया जाना चाहिये कि राज्यों को उनकी हानियों की क्षतिपूर्ति करने के लिये कोरी सहानुभूति दिखाने की अपेक्षा सरकार राज्यों को आकर्षण और प्रलोभन देने के लिये कुछ ठोस कार्य करेगी ताकि वे इस कार्य को संभालें ?

क्या सरकार मद्यपान की बुराइयों के बारे में जनता और अन्य लोगों पर प्रभाव डालने सम्बन्धी प्रचार को बढ़ावा देने और इन बुराइयों को समाप्त करने तथा कठिनाइयां कम करने के लिये कोई प्रस्ताव और कार्यक्रम रखेगी ?

इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, in 1954 a committee had been set up under the Chairmanship of Shri Mannarain and that committee submitted its report. After that in 1956 a resolution was passed by the members of almost all the parties to the effect that there would be prohibition by the end of the second five year plan. A little later a committee was set up under the chairmanship of Mr. Tekchand, I have gone through the history of the congress party. In the meeting of congres proposals were passed time to time for implementing prohibition. But still it has not been implemented. The only difficulty which arises in implementing prohibition is of the revenue.

In the whle process of the sale of liquor, the Governmant receive only 25 percent of the total income as revenue. If the people give up this evil of drinking and spent the money which they spend on liquor, on other articles then there would be some more income to the States by way of sales tax etc. The figures collected by the mill owners of Calcutta and Bombay show that a labour who does not drink, per-forms his duty in more working hours rather that of the labours who drink.

At the same time the Government should consider all the evil aspects of drinking. It causes a accidents and consequently trucks, cars etc. are damaged. Even then the Government have to spend a lot of money on investigation work of the culprits as all of them are held under drinking condition. The Government have to spend to much amount for such persons who drink.

The Government should have studied the report submitted by Tek Chand committee with a view to know the difference between revenue and expenditure. In case prohibition is introduced, it will not be a lossing bargain. The Government should take steps to counter act the false motion of liquor being a worry dissolment. The aforesaid committee has also recommended that the motor drivers should be prohibited to take liquor, many accidents occur as a result of drinking by drivers. The Government should take steps to persuade people not to indulge in drinking by doing propaganda through literature television and Radio.

The evil should be removed in accordance with the recommendations made by Tekchand committee. We should have strict pickating over the liquor being smuggled through embassies, Government servants should be instructed not to come to offices after taking liquor. I have been continueously requesting that wine shp should be removed from marketing centre in sector 22 of chandigrah. It is not proper to establish wine shops near schools. In view of above I suggest that Government should implement unanimous resolution of this House and enforce prohibition in the country.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I am sorry to point out that results of Prohibition in our state are not satisfactory. Only police or enforcement staff can not enforce prohibition. They are themselves involved in distillation illicit liquor. It is not the question of loss of revenue of Rs 7.8 crores but it is a question of the character of the people. There is a provision of prohibition even in our constitution. There is no use of passing resolutions if they are not implemented. I would suggest that first of all leaders, Ministers, M· P. S., M. L. As should take initiative and if they themselves do not stop drinking then how ean they ask others to do so.

Shri Vasudevan Nair in the Chair : In my opinion liquor is the root cause of all types of crimes. I would suggest that social organisation should be given financial assistance to enable them to carry on their propaganda in villages. Government should take steps to enforce prohibition in the army also. The entry of Hippies should be banned. In fact Government should take necessary steps to creat an atmosphere in which prohibition could be enforced.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) · Government has not studied the situation properly. They have taken steps only on Government level. I personally know some of the families who have been ruined just because of indulging in drinking. Half of the income of labourers goes in drinking. Moreover prohibition should be complete. It is not advisable to have prohibition in one area but no restriction in other areas. We can not solve this problem in this manner, It can be solved only by creating proper atmosphere to enforce it simply by passing legilsation. Therefore, I am in agreement with Shri Randhir Singh that we cannot deal with this problem on Government level only. We have passed legislation to abolish prostitution but in fact this evil is still there. In view of this there is need to bring socialistic resolution. This is very much true in respect of prohibition. I know when prohibition was introduced in Kanpur tincture Ginger was sold and taken by poor labourers. I want to lay emphasis that we can not solve this problem in half hearted manner. Proper atmosphere should be created to abolish this social evil. Many people carry on illicit distribution in villages. I am not against any legislation intended to abolish this evil but I want to say that only legislation will not help us. In view of this I suggest this problem should be dealt with on social and political level. Government should seek the cooperation of all the political parties and social organisation for this purpose.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं पूर्ण रूप से मद्यनिषेध लागू करने के पक्ष में हूं। मुझे पता है कि मद्य निषेध को ठीक प्रकार से लागू न किये जाने के कारण ही हमें असफलता मिली है। भ्रष्टाचार के कारण नशाबन्दी लागू नहीं की जा सकी है। महात्मा बुद्ध के समय से शराब पीने की निन्दा की जाती रही है। महात्मा गांधी और डा० अम्बेडकर ने भी नैतिक मूल्यों, स्वास्थ्य तथा आर्थिक कारणों से शराब पीने की निन्दा की है। इस बुराई के के कारण अनगिनत परिवार तवाह हो गये हैं। इस लिये मद्यनिषेध को पूर्ण रूप से तथा सख्ती से लागू किया जाना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि केवल कानून पास कर देने से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। जिन लोगों को शराब पीने की अत्यधिक आदत है वे अपने घरों में बैठ कर पी सकते हैं परन्तु यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि मद्यनिषध की नीति के कारण श्रमजीवी वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों को लाभ पहुंचा है। इसलिये हम कहते हैं कि मद्यनिषेध सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये

यह कहा गया है कि अवैध रूप से शराब निकालने के कार्य ने कुटीर उद्योग का रूप ले लिया है और अब प्रत्येक घर में अवैध शराब निकाली जाती है। यह धारणा गलत है। जिन स्थानों पर अवैध शराब बनाई जाती है वहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जिन व्यक्तियों को श्रमजीवी वर्ग का अथवा दलित वर्ग का कोई अनुभव नहीं है, वही व्यक्ति मद्यनिषेध के विरुद्ध है। परन्तु मद्यनिषेध से निश्चय ही श्रमजीवी वर्ग तथा अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचा है।

वस्तुतः मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि मद्यनिषेध कहां तक सफल रहा है और उसे पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे है ? परन्तु इसके विपरीत सरकार इस सम्बन्ध में ढील देना चाहती है।

मध्य प्रदेश में सर्वेन्टस आफ इण्डिया सोसाइटी के एक सदस्य श्री कोठंडा राव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिन्होंने एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। टेकचन्द समिति का प्रतिवेदन भी हमारे समक्ष है। उनका निष्कर्ष यह है कि मद्यनिषेध से लाभ पहुंचा है। अतः सरकार को मद्यनिषेध पूर्ण रूप से लागू करना चाहिये।

श्री के० रमानी (कोयम्बतूर) : माननीय सदस्यों ने इस मामले पर नैतिक दृष्टि से विचार किया है। मेरे विचार में यह समस्या एक आर्थिक समस्या है। अतः हमें इसी दृष्टि से इस समस्या पर विचार करना चाहिये। हम यह नहीं कहते कि शराब पीना आवश्यक है। परन्तु प्रश्न यह है कि मद्यनिषेध की नीति को किस प्रकार लागू किया जाना चाहिये।

सब से पहली बात है कि पुलिस बल की सहायता प्राप्त किये बिना सरकार मद्यनिषेध लागू नहीं कर सकती। कानून बनाने के बावजूद भी सरकार मद्यनिषेध को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकी है और इसीलिये नैतिक पक्ष पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने श्रमजीवी वर्ग तथा देहातो में रहने वाले उन लोगों का उल्लेख किया है जिनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस देश में

विदेशी शराब का आयात बन्द कर रही है ? हम देखते हैं कि बड़े आदमियों के लिये मद्यनिषेध नहीं है। यहां पर बार बार गरीब लोगों का उल्लेख किया गया है जिनकी आय बहुत कम है और जिन्हें एक छोटे से कमरे में समस्त परिवार के साथ रहना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों से आप चरित्र निर्माण की आशा किस प्रकार कर सकते हैं ? उनके पास खाना खाने और पानी पीने को नहीं है। इसीलिये उन पर मद्यनिषेध सम्बन्धी प्रचार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रत्येक देहात में, जिन गरीब लोगों के पास कोई भूमि नहीं है, जिनके लिये कारखानों में काम नहीं है, वे सब अवैध रूप से शराब बनाने का धन्धा करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी जो स्वयं शराब नहीं पीते हैं, यह धन्धा करते है। यह कार्य नियमित व्यवसाय का रूप ले रहा है। फिर पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। तामिलनाडू में गोली चलाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में यदि सरकार कानून बनाकर मद्यनिषेध लागू करना चाहती हैं तो वह पूर्ण रूप से असफल रहेगी। इसलिये सरकार को गरीब लोगों के रहन सहन की स्थिति में सुधार करना चाहिये। यदि उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था की जाये तो वे स्वयं शराब पीने या न पीने के सम्बन्ध में निर्णय कर सकेंगे। इस समय केवल गुजरात और तामिलनाडू में मद्य-निषेध की नीति लागू है। कांग्रेस सरकारों ने भी इस नीति का परित्याग कर दिया है। मद्य-निषेध के कारण तामिलनाडू को प्रतिवर्ष 16 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इस राशि के साथ सरकार कृषि श्रमिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में काफी सुधार कर सकती है। इसीलिये वहां के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से कहा कि यदि वे उपर्युक्त घाटे को पूरा करने के लिये तैयार हैं तो वे मद्यनिषेध की नीति जारी रखेंगे अन्यथा नहीं।

केरल में मद्यनिषेध नहीं है। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इस नीति को नरम किया जा रहा है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार मद्यनिषेध लागू करना चाहती है तो उसे दमन की नीति नहीं अपनानी चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav. (Bara Banki) All sections of society will agree that prohibition should be enforced in its entirety. This is social as well as economic problem. We have to pass legislation and also take other measures to enforce the policy of prohibition

It is the question of prestige for the people belonging to congress the ruling party to enforce prohibition. I want to point out that even Magistrates drink and it looks strange when a person who himself drinks punish others for drinking. Though Government has adopted the policy of prohibition but if it is observed closely it will be seen that drinking has been encouraged. Certain states have encouraged it in order to collect more revenue. The liquor has become a source of income but at the cost of poor men. The Government blow hot and cold at the same breath.

In view of this if Government wants to implement the policy of prohibition they should take concrete steps to implement it in its entirety. Many people have started thinking, that a person who does not drink is not a modern one. It has become a symbol of being modern. We know many M P. S. and Ministers who drink. This is why determination is lacking. In 1966, a resolution was passed in this very house and a committe was set up, they had given some suggestion but they are not being implemented.

Government should take steps to enforce the policy of prohibition fully and in the whole country. They should also seek the cooporation of other institutions.

सभापति महोदय : अब समय कम है और वक्ताओं की संख्या अधिक है । इसलिये अध्यक्ष महोदय कार्य मंत्रणा समिति के साथ विचार विमर्श करके इस विषय पर आगे चर्चा करने के लिये कोई अन्य समय निश्चित करेंगे ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 8 मई, 1970/18 वैशाख, 1892 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha Then Adjourned Till Elven of the Clock on Friday, May 8, 1970/ Vaisakha, 1892 (Saka).

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]